राजस्थान विधान सभा

७६ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक २१ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में मध्यान्ह पूर्व ८–११ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री हनवन्तसिंह ।

प्रश्न संख्या १८३६

जैसलमेर के पुलिस थाने तथा चौकियां

श्री हनवन्तसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) जिला जैसलमेर में कितने पुलिस थाने हैं और कितनी पुलिस चोकियां हैं ?

(ख) क्या हर तहसील में एक थानेदार है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले थोडा यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रेवेन्यु डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर और पुलिस डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में थोड़ा सा फर्क है । बापको रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जा रहा है और इस कारण से जो बाप थाना है वह पुलिस डिस्ट्रिक्ट में है इसलिए मैं उसी अनुसार उत्तर दूंगा ।

(क) जिला जैसलमेर में छः पुलिस थाने हैं और १५ चौकियां हैं ।

(ख) बाप तहसील को छोड़कर जहां केवल पुलिस चौकी है जिसका इन्चार्ज एक हैड़कान्स्टिबल है । सब जगह थानेदार हैं ।

श्री हनवन्तसिंह—पोकरण में थानेदार है वह किस सुपरिन्टेन्डेन्ट के अन्डर में है ?

श्री जयनारायण व्यास—वह जैसलमेर सुपरिन्टेन्डेन्ट के नीचे आने वाला है । अभी रद्दोबदल हो रही है इसलिए मुकम्मिल तौर पर अभी नहीं हुआ है ।

श्री हनवन्त सिंह—आप के इन्सपेक्टर को जैसलमेर के अन्डर में क्यों रखा गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने अभी कहा था कि जैसलमेर जोधपुर से अलग होकर पृथक जिला बना है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट को एक करने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़े समय बाद जैसलमेर का जिला जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से वह भी बन जायगा और पुलिस थाने जैसलमेर के नीचे आ जावेंगे। मुकम्मिल तौर पर अभी नहीं हुआ है।

श्री हनवन्तसिंह—चार महिने तो हो गये फिर और कितना समय लगेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—जैसलमेर चार महीने में नापे जाने लायक नहीं है। यह बहुत लम्बा चौड़ा है रास्तों की दिक्कतें हैं, ऊंचे २ टीबे हैं।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—जैसलमेर को नापने में कितना समय लगेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—जैसलमेर को पूरी तरह से विकसित करने में २०, २५ वर्ष लग जायेंगे। पुलिस के सम्बन्ध में दो चार महिने लग जावेंगे।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—आपने विकसित फरमाया और मैंने नापने के लिए कहा था।

श्री जयनारायण व्यास—नापना उस समय हो सकता है जब कि विकास हो जायगा।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—पहले विकास होगा या नापना ?

श्री अध्यक्ष—नेकस्ट, श्री मोहम्मद अब्दुल हादी।

प्रश्न संख्या १८६७

त. सांचोर (जि. जालोर) में बम्बई के मवेशियों का नयड इलाके में चरने आना

श्री मोहम्मद अबदुल हादी—क्या कस्टम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सांचोर तहसील जिला जालोर बम्बई राज्य से मिला हुआ होने के कारण क्या बम्बई के मवेशी सांचोर के नयड इलाके में लाखों की तादाद में चरने के लिए हर साल आया करते हैं ?

(ख) क्या बम्बई के मवेशियों से राजस्थान सरकार को कुछ आमदनी होती है ? अगर हां, तो कितनी।

[श्री मोहम्मद अब्दुल हादी]

(ग) सांचोर के मवेशी अगर बम्बई में जावें तो उन पर क्या रोक टोक है और क्या टेक्स देना पड़ता है ?

(घ) पिछले साल बम्बई की कितनी मवेशी सांचोर तहसील में आई और कितनी मवेशी सांचोर से बम्बई में गई ?

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई के मवेशी इतनी तादाद में आते हैं कि मुकामी मवेशियों के लिये चारा नहीं रहता है जिससे वे भूखे मरते हैं ?

(च) क्या सरकार के यह विचाराधीन है कि बम्बई के मवेशी को सांचोर में आने से रोका जावे ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)---(क) हां, लाखों की तादाद में तो नहीं अलबत्ता हजारों की तादाद में ऐसे मवेशी आते हैं।

(ख) जो मवेशी बम्बई राज्य से महज चराई के लिए आते हैं और वांपिस चले जाते हैं उन पर राजस्थान सरकार को कोई कस्टम सम्बन्धी आमदनी नहीं होती।

(ग) सांचोर के मवेशी भी बम्बई प्रान्त में चराई के लिए बिना आदायगी कस्टम ड्यूटी जा सकते हैं।

(घ) बम्बई प्रान्त से सांचोर इलाके मे ६१२८७ मवेशी (जिनमें बकारा, बकरी व भेड़ भी शामिल हैं) चराई के लिए आई और ७२६४६ मवेशी सांचोर तहसील से बम्बई राज्य में चराई के लिए गई।

(ङ) नहीं, यह सही नहीं है।

(च) इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

प्रश्न संख्या १८६८

गंगापुर से हिन्डौन, करौली, लालसोट इत्यादि के बस किराये की निर्धारित दरें

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.4

[श्री रिद्धिचन्द पालीवाल]

(क) गंगापुर से हिन्डौन, गंगापुर से करौली, हिन्डौन से करौली व गंगापुर से लालसोट का निर्धारित बस किराया क्या है ?

(ख) किराया किस हिसाब से निर्धारित किया गया है ?

(ग) ऐसे मोटर मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है जो निर्धारित किराये से अधिक चार्ज वसूल करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मंत्री)—(क) निर्धारित किराया निम्न प्रकार है:—

१.	गंगापुर, हिन्डौन	१) रु० प्रति सवारी ।
२.	गंगापुर, करौली	१५ आना ६ पाई प्रति सवारी ।
३.	हिन्डौन, करौली	१३ आना प्रति सवारी ।
४.	गंगापुर, लालसोट	१) रु० २ आना प्रति सवारी ।

(ख) किराया निम्न दरों से निर्धारित किया जाता है :

(ए) क्लास रूट ८ पाई प्रति सवारी प्रति मील ।

(बी) क्लास रूट ११ पाई प्रति सवारी प्रति मील ।

(सी) क्लास रूट १४ पाई प्रति सवारी प्रति मील ।

(ग) निर्धारित किराये से अधिक चार्ज करने पर मोटर व्हिकल एक्ट, १६३६ के अन्तर्गत सजा हो सकती है और परमिट कैंसल या सस्पेन्ड भी किया जा सकता है ।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या सरकार को मालूम है कि हिन्डौन और करौली में निर्धारित रेट से भी अधिक वसूल किया जा रहा है यानी डेढ़ रुपया फी सवारी से वसूल किया जा रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—हिन्डौन और करौली में साढ़े पन्द्रह आने निर्धारित हैं ।

श्री रामदास गोयल—क्या सरकार को वास्तव में मालूम है या नहीं कि १।।) रु० फी सवारी से वसूल किया जा रहा है ?

श्री रामकरण जोशी —नहीं ।

Page No.5

श्री श्रीदास गोयल—क्या किसी आधार पर जवाब दिया गया कि १।।) वसूल नहीं होता है ?

श्री रामकरण जोशी—१।।) रु० वसूल नहीं हो सकता है। मालूम होने पर सरकार की ओर से सजा मिल सकती है।

श्री श्रीदास गोयल—ऐसी बातों की मालूमात करने के लिये सरकार ने क्या एजेन्सी बना रखी है ?

श्री रामकरण जोशी—हर जगह इन्सपेक्टर जाते हैं। यही एजेन्सी है।

श्री श्रीदास गोयल—इस सिलसिले में सवाल आने पर क्या इन्सपेक्टर वगैरह से दर्याफ्त किया गया ?

श्री रामकरण जोशी—जवाब देने से पूर्व ही सब बातों का दर्याफ्त किया जाता है।

श्री श्रीदास गोयल—गंगापुर-हिन्डौन के मार्ग में निर्धारित दर से ज्यादा किराया वसूल किया जाता है तो क्या लोकल इन्सपेक्टर जो डेपुटेड हैं उनसे उनकी रिपोर्ट ली गई है ?

श्री रामकरण जोशी—रिपोर्ट आने के पहले या जांच करने के पहले जवाब नहीं दिया जाता है। १।।) रु० लेते हैं या १५।। आने लेते हैं यह अब पूछा जा रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—मैं फिर निवेदन करूं कि प्रश्न साफ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि निर्धारित दर से यदि अधिक वसूल किराया किया जाता है तो सरकार क्या कदम उठाती है ? यह प्रश्न का भाग है और उसके लिए रिपोर्ट आना जरूरी है।

श्री रामकरण जोशी—जांच करने पर मालूम हुआ कि अधिक नहीं लिया जाता है। इस सम्बन्ध में किसी का शिकायती पत्र पेश नहीं हुआ है।

श्री श्रीदास गोयल—अभी माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि ऐसा नहीं किया जाय, ऐसा नहीं कहा कि नहीं किया गया है। क्या माननीय मन्त्री महोदय फरमायेंगे कि इन्स्पेक्टर से ऐसी रिपोर्ट क्या पेश हुई है कि किराया ज्यादा वसूल हुआ है ?

श्री रामकरण जोशी—रिपोर्ट इन्स्पेक्टर की क्या हुई, यह तो दफ्तर में हो सकती है। उसका किराया निर्धारित है। यदि अधिक लेता है तो उसको उसकी सजा मिलेगी।

श्री श्रीदास गोयल—इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्न का पूरा जवाब नहीं हुआ। प्रश्न है कि गंगापुर से हिन्डौन के मार्ग में किराया ज्यादा लिया जाता है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? क्यों हुक्म की अवज्ञा करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—मेरे ख्याल से प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ा गया और उसके बिना ही प्रश्न किये जा रहे हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या किराये की दर कम करने का विचार है ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—इस प्रश्न का क और ग भाग रिलेवेन्ट है कि गंगापुर और हिन्डौन के मार्ग में अधिक किराया वसूल करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी—इसमें होती ही नहीं है, बल्कि होती है तो ऐसा है। उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री श्रीदास गोयल—यह रिलेवेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—ऐसे मोटर मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है जो निर्धारित किराये से अधिक चार्ज वसूल करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसका उत्तर दिया गया है कि जो अधिक किराया वसूल करते हैं तो मोटर व्हिकल एक्ट के जरिये उनको सजा दी जा सकती है और उनका परमिट कैन्सल किया जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आज तक किसी मोटर मालिक के खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही की गई ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग से प्रश्न है और इसके लिए सूचना देनी पड़ेगी।

श्री श्रीदास गोयल—जो व्यक्ति मोटर में बैठाकर सवारियों को जबरदस्ती उतार देता है समय पर नहीं चलाता है तो उसके लिए क्या कानून है ?

श्री रामकरण जोशी—मोटर व्हिकल एक्ट के जरिये निर्धारित रेट से अधिक वसूल करता है तो कार्यवाही की जा सकती है। सूचना देनी पड़ती है और जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या लोकल इन्स्पेक्टर्स अधिक तौर पर मोटर मालिकों को रियायतें देते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी शिकायतें आने पर उनको भी सजा मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८६६

महाराजा कॉलेज, जयपुर की जूनियर तथा-सीनियर फिजिक्स तथा केमिस्ट्री प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों के लिए स्थान

श्री हिम्मतसिंह अटरू—Will the minister for Education be pleased to state :-

(a) What is the total accommodation available in the Junior and Senior Physics and Chemistry Laboratories in the Maharaja's College at Jaipur?

(b) How many students are there at present in the Intermediate and B. Sc. classes, who work in these laboratories and how are they being accommodated?

(c) Is it a fact that the accommodation is limited and the number of students is increasing more and more and that it becomes absolutely difficult for one laboratory bearer and one Demonstrator to tackle all the students properly?

(d) Is it also a fact that the Government is opening a separate Sciesnce College in Jaipur? If so, when will this scheme be materlalise and how?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री):—

(a)

PHYSICS		CHEMISTRY	
Inter. Lab. i. e. Junior Lab.	B. Sc. Lab. i. e. Senior Lab.	Inter. Lab. i. c. Junior Lab.	B. Sc. Lab. i. c. Senior Lab.
40 regular seats.	30 seats.	48 regular seats.	40 regular seat
14 Improvised seat.		8 Improvised seats.	8 Improvised seats.
54.		56.	48.

(b)

Total number of students:—		Total number of students.	
I yr. Sc.	399	I yr. Sc.	399
II yr. Sc.	407	II yr. Sc.	407
III yr. Sc.	81	III yr. Sc.	104.
Iv yr. Sc.	77	Iv yr. Sc.	126

[श्री भोलानाथ]

The students are being accommodated by splitting the class in groups of nearly the number that a Laboratory can take at a time on regular as well as improvised seats.

The exact number of groups and the students in each group are given below :—

PHYSICS.

1st Yr. Sc. 8 groups.

A	51	
B	51	
C	51	
D	45	Total 399
E	50	
F	49	
G	51	
H	51	

II Yr. Sc 8 groups.

A	52	
B	53	
C	54	
D	49	
E	50	Total 407
F	48	
G	50	
H	51	

Hence the total number that works in the Inter. Laboratory is 806 in 16 groups.

CHEMISTRY.

1st Yr. Sc. 8 groups.

A	51	
B	51	
C	51	
D	45	Total 399
E	50	
F	49	
G	51	
H	51	

II Yr. Sc. 8 groups.

A	52	
B	53	
C	54	
D	49	
E	50	Total 407
F	48	
G	50	
H	51	

Hence the total number that works in the Inter. Laboratory is 886 in 16 groups.

PHYSICS

III Yr. Sc. 3 groups.

A	27	
B	27	Total 77
C	27	

CHEMISTRY.

III Yr. Sc. 3 groups.

A	48	
B	28	Total 104
C	28	

[श्री भोलानाथ]

IV Yr. Sc. 3 groups.			Iv Yr. Sc 3 groups.		
A.	27		A.	43	
B.	25	Total 77.	B.	42	Total 126
C.	25		C.	41	

Hence the total number that works (c) B. Sc. Lab. in 158 in 6 groups.

Hence the total number that works in B. Sc. Lab. is 230 in 6 groups.

(i) The accommodation is limited. Two laboratory bearers works in each of the morning classes and two in each of the day classes.

The accommodation is limited. Two demonstratros and two Laboratory bearers work in each class.

(ii) Two or three demonstrators as the case may be work in the each intermediate class and one in each of the B. Sc. class.

(d) The matter is under consideration.

प्रश्न संख्या १८७०

गंगापुर में नगर विकास का मामला १२ वर्ष से विचाराधीन

श्री छंगा—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखि प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गंगापुर के टाउन इम्प्रूवमेंट का मामला १२ साल से जैसा का तैसा पड़ता हुआ है ?

(ख) म्युनिसिपल बोर्ड ने भी उपरोक्त टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी को खत्म करके यह काम बोर्ड के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रक्खा था उसका क्या हुआ ?

(ग) सरकार इस ओर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) इस स्टेज पर टाउन इम्प्रूमेन्ट का कार्य म्युनिसिपल बोर्ड के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। बोर्ड का प्रस्ताव फाइल कर दिया गया है ।

[श्री रामकरण जोशी]

(ग) एस. डी. ओ. गंगापुर को जो इम्प्रूवमेंट कमेटी का कन्वीनर भी है इस दिशा में शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिये पुनः आदेश दिये गये हैं।

श्री छंगा—अब तक क्या काम किया गया है, क्या यह सरकार को मालूम है ?

श्री रामकरण जोशी—आज-कल उस जमीन को एक्वायर करने की कार्यवाही में लगे हुए है।

श्री छंगा—कितने साल लगेंगे उसको एक्वायर करने में।

श्री रामकरण जोशी—यह तो गंगापुर की जनता के उत्साह और वहां के कन्वीनर की शीघ्रता पर निर्भर है।

श्री श्रीदास गोयल—यह एक्वीजीशन की कार्यवाही कब से आरम्भ हुई है ?

श्री रामकरण जोशी —अभी इसी साल से।

श्री श्रीदास गोयल—अब तक बारह वर्ष तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शुरु नहीं की गई ?

श्री रामकरण जोशी—बारह वर्ष पहले कार्यवाही करने न करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—जो जमीन एक्वायर कर रहे हैं वहां जो हरिजनों की बस्ती है, क्या उन हरिजनों को वहां मकान बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी – जब तक जमीन एक्वायर नहीं करली जाती तब तक बसने देने और न देने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—ऑलरेडी जिनके मकान बने हुए हैं और वे टूट गये हैं उनको बनाने की इजाजत नहीं दी जाती ?

श्री रामकरण जोशी—यह गलत है उनको इजाजत है।

प्रश्न संख्या १८७१

गंगापुर नगर में मिट्टी का ठेका देना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री रिद्धिचन्द पालीवाल]

(क) क्या गंगापुर नगर में म्युनिसिपल बोर्ड के ओब्जेक्शन के बावजूद भी मिट्टी का ठेका दे दिया गया है जब कि मिट्टी की कोई खान नहीं है ?

(ख) यह ठेका कितने में दिया गया है और किस शर्त पर दिया गया ?

(ग) पहिले पहल कब दिया गया था और कितने रुपयों में ?

(घ) इस प्रकार के ठेके जयपुर डिविजन में ईंट बनाने की मिट्टी के कहां कहां दिये गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) गंगापुर नगर के आसपास जहां कई मिट्टी की खाने हैं उनका डाईरेक्ट वर्किंग का ठेका तारीख १-१०-५१ से ३१-३-५३ तक १५० रुपये का दिया गया था। इस बारे में माईनिंग डिपार्टमेंट में म्युनिसिपल बोर्ड गंगापुर नगर से ठेका नहीं देने की बाबत कोई ओब्जेक्शन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा इस साल खानों से निकाली गई मिट्टी पर रोयल्टी वसूली का ठेका ५५ रु० में ता० ३१-३-५५ तक का दिया गया है। इस तरह का ठेका जयपुर खास का भी रोयल्टी वसूली का दिया गया है। जिन शर्तों पर ठेका दिया गया है उनकी नकल टेबिल पर रख दी गई है।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या यह सच है कि किसान लोग जो अपने खेत में से मिट्टी लाते हैं क्या उन पर भी टेक्स लिया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग बात है यहां जो ठेका दिया गया है और जिस क्षेत्र के लिये ठेका दिया गया है अगर उसमें कोई दखल देता है तो मुमकिन हो सकता है ठेकेदार शिकायत करता हो और उसके खिलाफ एक्सन लिया जाता हो।

श्री श्रीदास गोयल—प्रश्न यह है कि एक खातेदार किसान अपने खेत से मिट्टी लाकर अपने मकान के लिये ईंटें बनाता है तो क्या उससे रॉयल्टी वसूल की जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ अपने मकान के लिये यदि कोई ईंटें बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये बिजनेस करना चाहे तो दिक्कत हो सकती है।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या इस प्रकार का वहां बिजनेस है ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है, जैसे मेरा घर बनाना हो तो आप ईंटें लाकर दें, इस प्रकार का व्यापार हो सकता है। कोई अपने घर के लिये बनाता है तो उस पर कोई रॉयल्टी नहीं ले सकता।

श्री श्रीदास गोयल—खातेदार किसान जो निजी उपयोग के लिये मिट्टी लाता है क्या उससे भी रायल्टी वसूल करते हैं तो क्या इस प्रकार की वसूलात को रोकेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—हां।

श्री अध्यक्ष—No, No. If the Hon'ble member wants concrete information, he can seek. But if something will happen, what may happen, such questions cannot be asked.

श्री श्रीदास गोयल—जो खातेदार किसान अपने खेत से मिट्टी लाता है और उसकी ठेकेदार रॉयल्टी वसूल करता है तो क्या सरकार उस रायल्टी को रोकेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका जवाब दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या १८७२

सिरोही व जालोर जिलों में गुजरात से गायें, भेड़ बकरियां जुलाई, ५४ में आना

श्री जवानसिंह—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही व जालोर जिलों में इस साल गुजरात से कितनी गायें और कितनी भेड़-बकरियां माह जुलाई, ५४ से अब तक आई हैं ?

(ख) सिरोही जिलों में औसतन सालाना कितनी मवेशी गर्मियों में गुजरात में जाती हैं ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) जालोर जिले में माह जुलाई, सन् १९५४ से चराई के लिए गुजरात से ३३००० गायें, भैंसें और बैल आयात हुए हैं। गायों की संख्या के अलग आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। भेड़ व बकरियों की संख्या १,१५,४११ हैं।

(२) इसी तरह सिरोही जिले में गुजरात से चराई के लिए जुलाई, सन् १९५४ से २००४९ गायें और १,१?,८२१ भेड़ व बकरियें आई हैं।

(ख) सिरोही जिले से गर्मियों में गुजरात से सालाना औसतन सवा लाख मवेशी चराई के लिए जाते हैं।

श्री जवानसिंह—आई कितनी और गयीं कितनी, यह अलग २ से बताइये ?

श्री भोलानाथ—जिला जालोर में गुजरात चरने के लिये ३३ हजार के गरीब गायें-भैंसें आयात हुई है। गायों की संख्या अलग से प्राप्त नहीं है।

भेड़ और बकरियों की संख्या १,१५,४११ है।

सिरोही में गुजरात से चरने के लिए गई सन् ५४ तक २०,०४६ गायें और १,११,८२१ भेड़ और बकरियां।

(ख) सालाना औसत के हिसाब से ही बताया है, सिरोही जिले से गर्मियों में २० हजार ४६ गायें और भैंसें और १,११ हजार के करीब भेड़ें और बकरियां गई हैं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस वक्त ऐसा कदम लेने की सोच रही है कि जो यह व्यवस्था है कि राजस्थान में ज्यादा आती हैं और राजस्थान से बाहर कम चरने के लिए जाती हैं इस व्यवस्था में कोई फेरफार करने को तैयार है ?

श्री भोलानाथ—पिछले सवाल के उत्तर में मैंने यह कहा था कि पहली साल का औसत अपने यहां से जाने का ज्यादा है। लगभग दस हजार मवेशी ज्यादा गये हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह जो पशु दोनों तरफ आते जाते हैं क्या उनसे कोई ग्रेजिंग फीस ली जाती है या दोनों स्थानों पर मुफ्त में चरती हैं ?

श्री भोलानाथ—फोरेस्ट वाले तो नियमानुसार फीस लेते हैं। कस्टम वाले कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं।

जैसे अभी आपके प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि सांचोर इलाके से ६११८७ मवेशियां अपने यहां बम्बई प्रान्त से सांचोर में आई थीं और ७१६८६ मवेशियां अपने यहां से बम्बई प्रान्त में गयीं थीं। इस में करीब ११ हजार का फर्क है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि राजस्थान से जो पशु गुजरात की तरफ जाते हैं उनमें से वापिस बहुत कम पशु लौट कर आते हैं। उनमें से काफी पशु वहां से कसाई-खानों में भेज दिये जाते हैं ?

श्री भोलानाथ—जितने कम आते हैं उन पर कस्टम का टैक्स वसूल किया जाता है और उनकी निकासी मान ली जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपने ग्रेजिंग फीस के लिये जवाब फरमाया उसमें कुछ साफ जवाब दिया नहीं कि कस्टम विभाग नहीं लेता, रेवेन्यू व फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट चार्ज करते हैं; तो वे जो चार्ज करते हैं वह कोई फिक्स चार्ज होता है उनका या ऐसे ही जो दिल में आया लगा दिया जाता है ?

श्री भोलानाथ—यह कस्टम विभाग से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। अगर माननीय वनमंत्री महोदय से इसका जवाब पूछा जावेगा तो ठीक तौर से वे आपको उत्तर दे सकेंगे।

श्री जवानसिंह—तो क्या यह मान लिया जावे सही तौर पर कि सरकार उन जानवरों पर टैक्स लेकर उनको कसाई खाने में कटाने की इजाजत दे देती है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रिद्धिचन्द।

प्रश्न संख्या १८७३

हिन्डौन मंडी योजना व गंगापुर नगर विकास-कार्य कार्यान्वित करना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

हिन्डौन मण्डी स्कीम व गंगापुर टाउन इम्प्रूवमेन्ट का कार्य किस स्टेज पर चल रहा है ? क्या इस योजना के कार्यान्वित न होने के कारण समाप्त माने जावें ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—हिन्डौन मण्डी का प्लान जून, सन् ५४ में स्वीकृत हो चुका है। प्लाट्स की रेट तय करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। एस. डी. ओ. हिन्डोन से पूर्ण विवरण मांगा गया है।

गंगापुर टाउन इम्प्रूवमेन्ट स्कीम भी स्वीकृत हो चुकी है। जब तक लैण्ड एक्वीजिशन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो तब तक डिमार्केशन का कार्य आरम्भ करना सम्भव नहीं। एस. डी. ओ. गंगापुर को उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र करने के लिये पुनः आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या १८७४

हिन्डौन के हरिजनों को मकानों की तंगी के कारण भूमि देना

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हिन्डौन के हरिजन मकानों की तंगी के कारण परेशान हैं ?

(ख) क्या सरकार हिन्डौन हाई स्कूल तथा गढ़ के बीच वाली भूमि को इक्वायर करने की कार्यवाही शीघ्र करा कर तीन माह के अन्दर इन्हें भूमि अलॉट करने का प्रबन्ध करेगी ?

[श्री रिद्धिचन्द पालीवाल]

(ग) अगर हां, तो कार्य कब शुरू कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) जी हां, जांच करवाने पर ज्ञात हुआ है कि तंगी है।

(ख) यदि हरिजन इस जमीन की मांग करें तो उसे एक्वायर करने की कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्य तीन माह के अन्दर होना सम्भव नहीं, क्योंकि प्रथम तो अभी फसल खड़ी है, दूसरे जब तक लैंड एक्वीजीशन अधिनियम के अनुसार एक्वायर नहीं हो, कोई अन्य कार्यवाही नहीं हो सकती।

(ग) हरिजनों की मांग के आने पर ही उक्त कार्य आरम्भ किया जा सकता है।

श्री धर्मपाल—कहीं से ऐसी कोई मांग सरकार के पास आई ?

श्री रामकरण जोशी—अभी तो नहीं आई ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हरिजनों को रियायत से जमीन लेने में दिक्कत पड़ती है। क्या सरकार उनको दिलाने की कोशिश कर सकती है ?

श्री रामकरण जोशी—मांगने पर मिलती है।

श्री धर्मपाल—किसी को मिली है !

श्री रामकरण जोशी—जो मांगते हैं, उनको मिल जाती है।

श्री भैंरू सिंह—अगर हरिजनों की कोई मांग न भी आवे तब भी उनकी जरूरत को महसूस करते हुए सरकार यह आश्वासन देगी कि वह अपनी तरफ से भी इनीशियेटिव ले सकती है ?

श्री रामकरण जोशी—मकान बनाने के लिए पैसा चाहियेगा और फिर रिहाईशी जरूरत अपनी किस तरह ले है यह तो वे स्वय ही तय कर सकते हैं। जैसे यह हिण्डौन की जमीन का ही नमूना ले लीजिये। वह बस्ती से काफी दूर जमीन पड़ती है। अगर वे वहां रहना पसन्द करें और जरूरत समझें अपने रहने के लिए तो सरकार को कह सकते हैं। सरकार उनकी मांग आने पर उस जमीन को एक्वायर करके उनको दिला सकती है।

श्री जवानसिंह—क्या यह जरूरी है कि हरिजनों को बस्तियों से दूर ही रक्खा जावे ।

श्री रामकरण जोशी—यह तो अपनी अपनी पसन्द का सवाल है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यहां से मांग सरकार से की जा रही है कन्सेशन रेट पर जमीन देने की, क्या सरकार उसे स्वीकार करने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—यह हिण्डौन के बारे में प्रश्न है । उसी के बारे में सप्लीमेन्टरी करियेगा अगर करना है तो ।

नेक्स्ट, श्री सन्तोषसिंह ।

प्रश्न संख्या १८७५

जोधपुर पुलिस बैंड पर १९५० से व्यय तथा आय

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर पुलिस बैण्ड में सन् १९५० से अब तक कितनी किस्म के बैण्ड रहे ?

(ख) जोधपुर पुलिस बैन्ड की आमदनी व खर्च सन् १९५० ई० से आज तक हर वर्ष में कितने कितने रुपये रहा है ? नफा रहा या नुकसान ?

(ग) कौन कौन से बैन्ड किस किस तारीख को बन्द किये गये अथवा नये रक्खे गये ? बन्द करने अथवा नये रखने के क्या क्या कारण हैं ?

(घ) बंसरी व मशक बैन्ड को तोड़ने के खास खास क्या क्या कारण हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री) — (क) जोधपुर में सन् ५० से केवल एक मशक बैंड था । एक छोटा ब्रास बैंड फिफ्थ बी० एन० आर० ए० सी० का यहां अप्रेल,१९५३ में नियुक्त हुआ ।

(ख) जोधपुर पुलिस मशक बैंड की आमद खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

सन्	आमद	खर्च
१९५१	४९५)	...
१९५२	१९२२)	...
१९५३	३२६५।१०।०	
१९५४	६९०)	...

[श्री जयनारायण व्यास]

सन् १९५० की आमद खर्च का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं है, यह आमदनी पुलिस इमर्जेन्सी फंड में जमा करा दी गई।

नफा नुकसान का कोई प्रश्न उठता ही नहीं क्योंकि बैन्ड के आदमी अन्य पुलिस कर्मचारियों की भांति ही पुलिस लाइन में नौकरी देते हैं और पुलिस लाइन की नफरी में ही बैंड का काम ड्यूटी के अतिरिक्त करते हैं।

(ग) मशक बैन्ड पाली और बाडमेर जिलों में तबदील जुलाई सन् १९५४ में कर दिया क्योंकि वहां बैंड रखना जरूरी था।

(घ) बंसरी बैन्ड जोधपुर में नहीं था, मशक बैन्ड पाली बाडमेर जिलों में बांट दिया गया।

श्री सन्तोषसिंह—यह बंसरी बैण्ड आपने कहा कि जोधपुर में नहीं था, पर मेरी ऐसी जानकारी है कि कई वर्षों से यह मारवाड़ में था और मारवाड़ रियासत के वक्त बराबर था।

श्री जयनारायण व्यास—मैं राजस्थान बनने के बाद की बात कहता हूं। पहले की बातें हमें भूल जाना चाहिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह बैण्ड जिस किसी को दिया जाता है फ्री दिया जाता है या हायर पर दिया जाता है जिसकी कुछ फीस ली जाती हो?

श्री जयनारायण व्यास—यह ऑफीसियल यूज के लिए फ्री दिया जाता है और प्राइवेट लोगों के लिए फीस पर।

कु० श्री जसवन्तसिंह—तो इससे यह समझा जाये कि गवर्नमेंट के इन्डीविजुअल ऑफीसर कन्सर्ड को यह हमेशा ही फीस पर दिया जाता है?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि ऐसा ही होता है और अगर कोई आफीसियल फन्कशन होगा तो फीस नहीं ली जावेगी।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह बंसरी बैण्ड जोधपुर का बड़ा मशहूर था उसको तोड़ देने का क्या कारण हुआ?

श्री जयनारायण व्यास—मशहूर था जब राजस्थान नहीं बना था। इसके बनने के बाद में इसमें तोड़फोड़ हो गई और बंसरी बैण्ड नहीं रह गया। और मशक बैण्ड जोधपुर की आवश्यकता

[श्री जयनारायण व्यास]

के लायक जितना चाहिये था उतना रख दिया गया इसके साथ ब्रास बैन्ड भी रक्खा गया है। और बाकी मशक बैण्ड बाडमेर और पाली जिलों में बांट दिया गया।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या बाहर से आने वाले सुपरिन्टेन्डेन्ट को अच्छा नहीं लगा इसलिये बदल दिया, क्या यह सही है ?

श्री जयनारायण व्यास—सुपरिन्टेन्डेन्ट कोई बाहर से नहीं आया, राजस्थान से ह आया था।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—मेरा मतलब यह था कि मारवाड़ के बाहर अलवर का आया था।

श्री जयनारायण व्यास—अब मारवाड़ की दृष्टि से सोचा नहीं जा सकता।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार को यह मालूम है कि ब्रास बैन्ड पर मारवाड़ी गाने अच्छे नहीं गाये जाते ?

श्री जयनारायण व्यास—मालूम है और चीफ मिनिस्टर को और ज्यादा मालूम है कि ब्रास बैण्ड पर मारवाड़ी गाने बहुत अच्छे गाये जा सकते हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अब मशक बैण्ड पाली और बाडमेर को बांट दिया गया, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह वहां अडाने (गिरवी) रख दिया गया है, इसके क्या माने हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—यह हिन्दी भाषा की अनभिज्ञता के कारण ही ऐसा कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बैण्ड वाले कुछ आदमी इधर भेज दिये गये, कुछ उधर भेज दिये गये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ऐसे ही तमाशा देखने के लिए भेज दिये गये हैं वहां पर या कुछ काम है वहां उनका ?

श्री जयनारायण व्यास—वहां पर पुलिस भी है और मशक बैंड भी है।

श्री संतोषसिंह—जो बैंड बाहर भेजे गये हैं केवल इन्स्ट्रुमेंट्स ही भेजे गये हैं या बजाने वालों को भी भेजा गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—वहां कोई प्रदर्शिनी नहीं हो रही है कि जिसमें इन्स्ट्रुमेन्ट ही भेजना पड़े। वहां पुलिस की नफरी है, बैण्ड और बैण्ड के आदमी दोनों भेजे गये हैं।

Page No.19

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री हरिकृष्ण व्यास, १८७६।

प्रश्न संख्या १८७६

अलवर में साप्ताहिक अवकाश अधिनियम के अन्तर्गत पृथक निरीक्षक की नियुक्ति

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer

(a) Is it a fact that the Tehsilder, Alwar, is entrusted with the work of an Inspector for the Weekly Holiday's Act?

(b) Will the Government state the number of prosecutions launched so far in Alwar under this Act?

(c) Will the Government consider appointment of a separate Inspector for this work?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) अब तक चलाए गये कुल मामलों की संख्या ४४ है।

(ग) जी नही, कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सम्बन्ध में कोई रिप्रेज़ेन्टेशन सरकार को प्राप्त हुआ है कि देख रेख की कार्यवाही उचित रीति से नहीं हो रही है?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। काम पड़ने पर ही ऐसा कहा जा सकता है कि उचित रीति से देखभाल नहीं हो रही है। ४४ ऐसे मामलों का चालान हुआ है, जिनमें ३७ में सजा दी गई है, सात मामले अन्डर कन्सीडरेशन हैं। इससे मालूम होता है कि तहसीलदार काम ठीक ही कर रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में कोई रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त हुआ है कि कार्यवाही उचित तौर पर नहीं हो रही है?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के पास इस प्रकार का कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि गुमाश्ता यूनियन ने इस सिलसिले में लगातार पिछले कई महीनों से शिकायतें भेजी है लेबर विभाग के पास?

श्री रामकरण जोशी—जब तक तहसीलदार को इस सम्बन्ध में अख्तियार नहीं दिये गये थे तब तक ऐसी शिकायतें आ जाती थीं पर उनकी नियुक्ति कर देने के बाद में कोई शिकायत नहीं आई।

श्री हरीकृष्ण व्यास—नियुक्ति कर देने के बाद देखरेख पूरी नहीं हो रही है इस सिलसिले में क्या कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई ?

श्री रामकरण जोशी—इस वक्त तक की प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ऐसी कोई ...

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि ऐसे विशेष कामों के लिए तहसीलदारों को नियुक्त करने के बजाय विशेष अधिकारी नियुक्त करके इस एक्ट को एनफोर्स करने का पूरा इन्तजाम किया जायगा; Special Inspectors for this work instead of entrusting it to the Tehsildar ?

श्री रामकरण जोशी—यह काम की तादाद पर मुनस्सर है। जैसे जयपुर, जोधपुर भीलवाड़ा आदि में इस किस्म का ज्यादा काम है वहां पर लेबर ऑफिसर है उनको अधिकार दे दिया है। अकेले वीकली होलीडेज़ के लिए इन्सपेक्टर बड़े बड़े शहरों में रखे जा सकते हैं। ऐसी जगहों में तहसीलदारों को पर्याप्त समय मिलता है। वह देखरेख कर सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रेजरी से कोई दुश्मनी हो तो एक एक काम के लिए एक एक आदमी मुकर्रर करने की नीति गवर्नमेन्ट बना ले तो वह ऐसा कर सकती है; लेकिन सरकार का अभी कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८७७

म्युनिसिपल बोर्ड नागौर के अवधिकाल में वृद्धि तथा पुनः चुनाव

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self Government be pleased to answer:--

(a) Has the Government granted any fresh extension to the life of the Municipal Board, Naguar, if so, when, and for what period ?

(b) will the Minister refer to his answer to my question of 23-3-1954 and state whether the assurance given therein has been honoured ? If, not, why not ?

Page No.21

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) Will the Government state by when latest does it propose to get elections to the Nagaur Municipal Board ?

श्री **रामकरण जोशी**(स्वायत शासन मंत्री)—(क) जी हां, ३० जून १९५४, को। ३१ अक्तूबर, १९५४ तक।

(ब) दिनांक २३- ३- ५४ को विधान सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि सीमा का प्रश्न ये होते ही निर्वाचन करा दिये जावेंगे। चूंकि सीमा का प्रश्न तय होने में कुछ आशा। अधिक समय लग गया इसलिये बोर्ड का अवधि काल बढ़ाया गया।

(स) रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त प्रोग्राम के अनुसार नागौर नगरपालिका के चुनाव तारीख १६- १- ५५ को संपन्न होंगे।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—क्या यह सही है कि अन्तिम तौर पर अब अवधि बढ़ा दी गई है इसके आगे नहीं बढ़ाई जायगी। इस प्रकार का आश्वासन माननीय मंत्रीजी ने दिया था ?

श्री **रामकरण जोशी**—आश्वासन यह दिया गया था कि ज्योंही बोर्ड की सीमा का प्रश्न तय हो जायगा, चुनाव तुरन्त सम्पन्न करवाये जायेंगें और उस आश्वासन के अनुकूल ही प्रगति चल रही है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—एक अलग प्रश्न के उत्तर में कि अब आगे अवधि नहीं बढ़ाई जायगी इसके उत्तर में हां कहा गया था। यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि अवधि नहीं बढ़ाई जायगी क्या ?

श्री **रामकरण जोशी**—चुनाव का सवाल एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखता है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर का भी हाथ होता है। रिटर्निंग ऑफिसर जिस काम को जितना जल्दी संपन्न करा लेता है उसके मुताबिक चुनाव का निर्धारण किया जाता है। इसमें सरकार की तरफ से पूरी कोशिश इस बात की की गई थी कि उसी काल के अन्दर चुनाव हो जाय, लेकिन उस सीमा के बारे में गवर्नमेंट से अभी अगस्त के महीने में तय किया है। अब उसके मुताबिक ४ महीने चुनाव में और लगने बाकी रहे हैं। ऐसी सूरत में १६-१-५५ को चुनाव संपन्न हो जायेंगे। तिथि निश्चित होगई है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—देरी लगने के लिए कौन जिम्मेवार है, सरकार ने इसके लिए कोई जांच की है क्या ?

श्री रामकरण जोशी—कोई जिम्मेवार नहीं है। उसी सीमा के प्रश्न में सवाल यह था कि वहां एक मेला लगता है इसलिए पंचायत क्षेत्र के लोगों में और म्युनिसिपल क्षेत्र के लोगों में मेले की सीमा उसमें नहीं आजाय इस बारे में आपसी सवाल था जिसको कि कलेक्टर को निपटारा करना था। उसको निपटाने के बाद कलेक्टर ने जो सिफारिश की सीमा की तो तुरन्त सरकार ने मन्जूर करली है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह सवाल कितने दिनों से क्लेक्टर के सामने विचाराधीन रह चुका है।

श्री रामकरण जोशी—इसका उत्तर में नहीं दे सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि आज से करीब एक साल पहले उस समय के कलेक्टर ने सिफारिश कर दी थी कि चुनाव करवा दिये जायं, फिर भी चुनाव क्यों नहीं करवाये गये?

श्री रामकरण जोशी—संभव है कि उस समय के कलेक्टर होते तो यह सारा काम जल्दी हो जाता। इस समय के कलेक्टर को कुछ समय लगा है।

श्री हरीकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि कलेक्टर को सिफारिश के बावजूद सरकार ने स्टे आर्डर देकर चुनाव को फिर रखा है?

श्री रामकरण जोशी—सीमा का प्रश्न हल नहीं हुआ था। वे पुराने हिसाब से ही चुनाव करवाना चाहते थे। सीमा का प्रश्न नहीं आता था इसके लिए वह कार्रवाई की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सीमा के कारण से २ एक्सटेन्शन्स इस बोर्ड को दिया जा चुके?

श्री रामकरण जोशी—ठीक ठीक काम बनवाने के लिए दो एक्स्टेन्शन्स की जरूरत पड़ जाय। यह हो सकता है कि ठीक तौर से डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ वार्ड्स नहीं हो, सीमा ठीक नहीं हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जब क्या एक्स्टेन्शन दिया गया था तो यह अन्दाज किया गया था कि उक्त अवधि में सीमा का प्रश्न हल हो जायगा?

श्री रामकरण जोशी—यही उम्मेद की गई थी कि अवधि के अन्दर वह ठीक हो जायगा, लेकिन वह उसमें नहीं हो सका इसलिए इसको एक एक्स्टेन्शन और दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह चुनाव नहीं हो सके इसके कारण का पता लगाने के सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं?

श्री रामकरण जोशी—इसका कारण सोनाके प्रश्न में देरी होना है। रूरल और अरबन पापुलेशन के हलके के बीच में झगड़ा था इसलिए समय ज्यादा लग गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस सिलसिले में कोई अवधि नियत करके कलेक्टर को आदेश दिया था कि उपरोक्त समय तक अपनी सिफारिश भेज दे ?

श्री रामकरण जोशी—कलेक्टर को जल्दी से जल्दी करने के लिए आदेश दिया गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास-कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट मुकर्रर करके आदेश दिया गया था।

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र कह देना स्पेसिफिक से ज्यादा असर डालने वाली बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जो तारीख सिफारिश करने के लिए मुकर्रर की गई थी उस तारीख से पहले कलेक्टर ने अपनी सिफारिश सरकार के पास भेज दी। देरी सरकार के पास लगी है।

श्री अध्यक्ष—कोई तारीख उनको नहीं कही गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह उनको मालूम नहीं है।

श्री जवानसिंह—क्या जल्दी से जल्दी की परिभाषा भी वही है जो कि सदन में की जाती है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !

प्रश्न संख्या १८७८

ग्राम चोखा त० जोधपुर के प्राथमिक पाठशाला में अध्यापकों की कमी

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर तहसील के गांव चोखा में कौन कौन से सन् में कितने अध्यापकों और कितने विद्यार्थियों की संख्या से प्राइमरी स्कूल खुला था ?

(ख) उपरोक्त प्राइमरी स्कूल में कौन कौन से वर्ष में कितने २ अध्यापक व कितने २ विद्यार्थी रहे ?

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

(ग) उपरोक्त स्कूल में कौन२ से अध्यापक कितने २ वर्षों से पढ़ा रहे हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त स्कूल का अध्यापक छात्रों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेता और अपना काम ही करता रहता है इसलिये उक्त स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या हर वर्ष कम होती जा रही है ?

(ङ) क्या सरकार उपरोक्त प्राइमरी स्कूल में योग्य अध्यापक भेजने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) उपरोक्त प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद से आज तक कौन २ अधिकारी व इन्सपेक्टर किस किस तारीख को उक्त स्कूल का निरीक्षण करने के लिए गये ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) जोधपुर तहसील के ग्राम चौखा में प्राइमरी पाठशाला ३४-३५ में खुली थी। उस समय २ अध्यापक और ३० छात्र हो गये थे।

(ख) उपरोक्त पाठशाला के खुलने के बाद लगातार कई वर्षों तक २ अध्यापक कार्य करते रहे हैं और छात्रों की संख्या ३०-३५ के बीच में रही है।

(ग) उपरोक्त पाठशाला में श्री कस्तूरचन्द १६-२-४७ से कार्य कर रहे हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में ऐसी कोई शिकायत विभाग में नहीं आई है। वह उसी गांव का अध्यापक है। गांव के लोग उसको सहयोग नहीं देते हैं। इसलिये पाठशाला उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो रही है। यहां तक कि गांव के लोगों ने उसको रहने का मकान तक नहीं दिया है। वह दूसरे गांव में रहता है और चोखा में कार्य करने जाता है।

(ङ) जब कि वर्तमान अध्यापक कार्य अच्छी तरह से कर रहा है तो दूसरे अध्यापक को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) इस पाठशाला का निरीक्षण १९५१ में सहायक इन्सपेक्टर के द्वारा किया गया था। उसके बाद का कार्य विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—आपने अभी इस स्कूल के विद्यार्थियों को संख्या ३०-३५ बताई है, तो क्या यह सही है कि इस वक्त उनकी संख्या ४० से भी अधिक है ?

श्री भोलानाथ—३५ से ५ बढ़ गई होगी। इसमें बढ़ सकती है।

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा—यह मास्टर १६४७ से काम कर रहा है तो उसकी कोई भी शिकायत सरकार के पास नहीं पहुँची ?

श्री भोलानाथ —यहां सेक्रेटेरियेट लेवल तक तो मालूम नहीं। किसी डिप्टी इन्सपेक्टर के पास भेजी हो तो अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० १८७९

फैक्ट्री एक्ट तथा वीकली होलीडे एक्ट के अन्तर्गत पी० डब्ल्यू० डी० के गेंगमेन, कारीगर मिस्त्री, इत्यादि को सप्ताह में एक दिन अवकाश

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा —क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उतर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या राजस्थान में फैक्ट्री एक्ट १६४८ और वीकली होलीडे एक्ट १६४२ के अनुसार हरएक श्रमजीवी व गुमास्ता आदि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी के हकदार होते हैं ?

(ख) क्या पी. डब्ल्यू. डी. के गेंगमेन, कारीगर, मिस्त्री व सुथार इत्यादि को भी साप्ताहिक छुट्टी मिलती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार इन श्रमजीवियों को भी साप्ताहिक छुट्टी का हक देने की कृपा करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशो (श्रम मंत्री)—पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों पर फेक्ट्रीज़ एक्ट तथा वीकली होलीडेज़ एक्ट लागू नहीं होता है।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि भूतपूर्व जोधपुर स्टेट केबिनेट ने इस सिलसिले में निर्णय दिया था, वीकली होलीडेज़ देने का निर्णय किया था ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल कोई अलग होगा पहले का। अभी की वर्तमान स्थिति के लिए मैने आप से निवेदन किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार की केबिनेट ने उस निर्णय को सेट एसाइड करने का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है, इसलिए वह चालू है टेक्निकली, लीगली और मोरेली।

श्री अध्यक्ष—Ask a separate question.

श्री रामकरण जोशी—लेबर लॉज ही राजस्थान में इस समय काम में लाये जा रहे हैं। और इसलिये उस किस्म की परम्परा को स्वीकार किया है, ऐसा तो कहीं नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेबर लॉज़ से सेपरेटली विशेष तौर से उनके फेसिलिटी प्रोवाइड की गई है।

श्री रामकरण जोशी—राजस्थान के पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में किसी एक स्टेटमेंट हुआ था। मैं समझता हूं इस प्रश्न को सामने नहरू रखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब तक कि एक कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के द्वारा वह रिवर्स नहीं होते तब तक उन्हें लागू कर रखने की जिम्मेवारी सक्सेसर गवर्नमेंट की है। क्या सरकार इस बारे में विचार करेगी?

श्री रामकरण जोशी—राजस्थान के पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिये वह उत्तर मैंने दे दिया। जोधपुर और जयपुर की पी० डब्ल्यू० डी० विभाग ने कुछ किया है उसका सवाल नहीं पूछा गया था।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—गेंगमेन को फेक्ट्री एक्ट में नहीं लिया गया, इसका कारण नहीं बताया आपने?

श्री अध्यक्ष—गेंगमेन को फेक्ट्री एक्ट में क्यों नहीं लिया गया है, इसका क्या कारण है?

श्री रामकरण जोशी—गेंगमेन किसी फेक्ट्री में काम नहीं करता है और फेक्ट्री एक्ट में जो फेक्ट्री की परिभाषा दी गई है उसके मुताबिक गेंगमेन फेक्ट्री के मजदूर नहीं होते हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—फेक्ट्री एक्ट में क्या परिभाषा है?

श्री अध्यक्ष—यह फेक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, श्री कस्तूरचन्द।

प्रश्न संख्या १८८०

कस्बा बनेड़ा (जि० भीलवाड़ा) के ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा इस्तीफे तथा पंचों द्वारा कार्य न करना

श्री कस्तूरचन्द—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री कस्तूर चन्द]

(क) क्या कस्बा भनेड़ा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच ने डेढ़ साल से इस्तीफा दे रखा है और वे काम भी नहीं करते हैं।

(ख) क्या यह सही है कि उस पंचायत के कितने ही पंचों ने चुने जाने के बाद में पंचायत दफ्तर का मुंह तक भी नहीं देखा है ?

(ग) क्या कानूनी तौर से उक्त पंच लोग पंच माने जाएंगे ?

(घ) क्या उनमें कोई सजायाफ्ता भी है।

(ङ) शेष कितने पंच रह जाते हैं जो कि पंचायत चलाने वाले हैं।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) उक्त पंचायत के सरपंच और उप सरपंच ने त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं किया है और वे बराबर कार्य कर रहे हैं। केवल एक पंच बैठक में सम्मिलित नहीं हुए और एक और पंच हैं जिनका स्थान रिक्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) इसके अतिरिक्त ६ दूसरे पंचों ने लगातार पंचायत की ५ बैठकों में भाग नहीं लिया इसलिए पंचायत एक्ट की धारा १७ के अनुसार उनका स्थान रिक्त हुए। अब ४ पंच और १ सरपंच वहां पर काम कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—उस पंचायत में कुल कितने पंच है ?

श्री रामकरण जोशी—कुल १३ पंच थे।

श्री चांदमल मेहता—क्या उस पंचायत का कभी इन्सपेक्शन किया गया ?

श्री रामकरण जोशी—इन्सपेक्शन जरूर किया गया होगा। यदि आप निश्चित सूचना चाहें तो अलग प्रश्न पूछें।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सच है कि उक्त पंचायत का इन्सपेक्शन नहीं हुआ और बिना इन्सपेक्शन के कहा जा रहा है कि वह पंचायत काम कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—वह पंचायत काम कर रही है यह सही है।

(श्री चांदमल मेहता के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री कस्तूरचन्द—क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि इस पंचायत के बारे में शिकायत नहीं की गई कि यह पंचायत काम नहीं करती है और कोरम पूरा नहीं है।

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सभवतः इस महीने में रिक्त स्थान के चुनाव होंगे।

श्री कस्तूरचन्द—मेरा मतलब है कि इस के बारे में क्या शिकायत नहीं की गई है कि कोरम पूरा नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—इस में शिकायत क्या की गई होगी। जो रिक्त स्थान हैं उनके चुनाव शीघ्र करवाने ही हैं।

श्री कस्तूरचन्द—क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि १३ पंचों में से ४ पंच रह गये हैं, फिर भी कोरम पूरा है।

श्री रामकरण जोशी—६ आदमियों की गैर हाजरी से जो स्थान रिक्त हुए हैं उनके चुनाव शीघ्र ही कराये जायेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

श्री कस्तूरचन्द—क्या यह बात सही है कि सरपंच और उप सरपंच का इस्तीफा डेढ़ साल पहले ही आ चुका है और आपकी फायल में नत्थी है ?

श्री रामकरण जोशी—अब तक उनका इस्तीफा सरकार के पास नहीं पहुँचा। पता नहीं कहां भटक रहा है।

श्री कस्तूरचन्द—क्या मंत्रीजी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके रजिस्ट्रार के पास उनकी फायल में वह स्तीफा नत्थी है ?

श्री रामकरण जोशी—सरकार के पास अब तक नहीं आया है, रजिस्ट्रार के पास आया होगा तो उनसे पूछा जायगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—रजिस्ट्रार और सरकार में क्या फर्क है ?

श्री रामकरण जोशी—रजिस्टार से प्रश्न करेंगे तो उसको सामने आना पड़ेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या रजिस्ट्रार को राजस्थान सरकार के दायरे से बाहर कर दिया है ?

श्री रामकरण जोशी—सूचना जिससे मांगी जायगी उसके पास जो जवाब आयगा उसी के आधार पर जवाब दिया जाता है।

श्री भैरूंसिंह—एक पंच का इस्तीफा सरकार के पास कितने समय में पहुँच जाता है ?

श्री अध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द।

श्री कस्तूरचन्द—क्या मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि जिला इन्सपेक्टर ने इन्क्वायरी करके गवर्नमेंट से मांग की है कि इस पंचायत को खत्म करके दूसरी पंचायत नोमिनेट की जाय ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायत को नोमिनेट करने की सिफारिश किसी इन्सपेक्टर की नहीं मानी गई है। लेकिन चुनाव करने की सूचना मिली है। एक महीने में चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह चुनाव जिन पंचों ने इस्तीफा दिया है उन्हीं तक सीमित है या सारी पंचायत का चुनाव होगा ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायत के चुनाव ६-१२-५२ को हुआ था, इसलिये तीन साल पूरे हुए बिना फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। जो स्थान रिक्त हैं उनके चुनाव कराये जायेंगे।

श्री कस्तूरचन्द—क्या सरपंच और पंच का इस्तीफा और उप सरपंच का इस्तीफा पहले से आ चुका है और अधिकतर पंच पहले से ही उपस्थित नहीं होते हैं और २ पंच शेष रह जाते हैं ऐसी हालत में सारी पंचायत का चुनाव फिर से क्यों नहीं कराया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—इस्तीफा फायल पर आते ही मंजूर हो जायगा। अभी तक आया नहीं है।

श्री रोशनलाल—क्या रजिस्ट्रार साहब की जेब में तो नहीं पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १८८१

श्री रिदाराम की ढाणी (त. जोधपुर) की प्राथमिक पाठशाला को शासकीय-आर्थिक सहायता

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

(क) क्या सरकार को विदित है कि जोधपुर तहसील में श्री रिडारान को ढाणी में किसानों की तरफ से कई वर्षों से प्राइवेट प्राइमरी स्कूल अच्छी हालत में चलती थी और अब वे उसको सरकार के संरक्षण में देकर चलाना चाहते हैं ?

(ख) सरकार ने उपरोक्त स्कूल को शीघ्रातिशीघ्र अपने संरक्षण में लेने के लिये क्या क्या व्यवस्था की है ? और वहां पर सरकार अध्यापक कब तक भेज रही है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या सरकार को विदित है कि वहां के किसानों ने उक्त स्कूल के भवन के निर्माण के हेतु करीब ६०० रु० को लागत की छोणें व पत्थर आदि मोके पर श्रमदान में इकट्ठा कर दिया है ?

(घ) क्या सरकार अब इस भवन के निर्माण को पूर्ति के लिये सहायतार्थ ६०० रु० तक की मदद देने की उदारता करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) हां विदित है।

(ख) इस स्कूल को सरकार के संरक्षण में लेने का प्रश्न विभाग के विचाराधीन है। जब यह स्कूल सरकार के संरक्षण में आजायगी तो अध्यापक भी नियुक्त किये जायेंगे।

(ग) इस बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) ग्राम निवासियों की तरफ से इस तरह का प्रार्थना-पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया था। उनके पास से आ जाने पर उस पर ध्यान रख कर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

अल्पकाल-सूचना प्रश्न ३८/एस. एन. क्यू.

श्री अध्यक्ष—Now the starred questions are over Short Notice questions. There two are Short Notice questions on one subject and both have been allowed because if any one of the members are absent the other may ask. As such, request that the members might choose any one of the two questions and the other may ask the supplementaries.

श्री जयनारायण—My question is more exhaustive, therefore, I may be allowed.

श्री अध्यक्ष—Yes.

कुं श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय अध्यक्ष ने फरमाया कि दो सदस्यों के क्वेश्चन्स आये थे उनमें से यदि एक का ही प्रश्न रखा जाता और वह गैर हाजिर रहते तो गिर जाता इसलिये दोनों के नाम से प्रश्न रखा। तो क्या आयन्दा भी एक ही सवाल दो के नाम से रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—Not that. Both the questions are allowed and the priority was given to Shri H. K. Vyas as it was reported from office that the Member is not coming and as the matter is of urgency it should be allowed. So naturally Shri Jawan Singh would have lost his right to put the question, as his question would have been rejected.

yes Shri Jvang sing

ग्राम पीठ (जि. डूंगरपुर) में जनता को वहां की हाई स्कूल तक बना देने का शासकीय आश्वासन

श्री जवानसिंह--Will the Minister for Education be pleased to answer :

(1) Did the Government give written guarantee to the public of Peeth village in Dungarpur District to raise the status of the existing school of that place to that of a High School, if the public would build a suitable building for the school ?

(2) Have the people of Peeth built at a cost of sixty thousand rupees a building suitable for a school !

(3) Did the Government sand its School Inspector to examine and report on the buiding erected by the Peeth public ?

(4) Has the District Board of Dungarpur built another school in Simlawara close to Peeth ?

(5) Did the Inspector of School instead of inspecting the new building at Peeth go to inspect the school building erected by the District Board ?

(6) Has the Government now established a High School in Simlawara instead of at Peeth as was promised ?

(7) Is it a fact that the students of Peeth are on a strike from the 13th August, 1954 ?

[श्री जवानसिंह]

(8) Is it also a fact the students Dungarpur and Sagwara want on sympathetic strike for 8 days ?

(9) Has the public of Dungarpur resolved and strongly resented the action of the Government in the above affairs ?

(10) Has the public of Peeth given the Government a notice of a fortnight to put things right !

(11) Will the Government now consider the matter and shift the High School to Peeth which is a bigger village and save the situtation likely to arise out of the breach of promise ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(1) No.

(2) A building has been constructed by a local Seth. The cost is not in the information of the Government. The building has not been constructed in consultation with the Department.

(3) No.

(4) No. The District Board have not built a school, but have been given a grant of Rs. 5,000/—

(5) In view of reply to question No. (3) above, the question does no arise.

(6) The Government has upgraded the Middle School to a High School. No such promise was given for Peeth.

(7) yes.

(8) One day strike.

(9) No.

(10) Nothing of the sort.

(11) No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या हाई स्कूल बनाने का निर्णय लेते समय पीठ के गांव के लोगों की मांगों पर भी विचार किया गया था ?

श्री भोलानाथ—हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसका नाम युनिवर्सिटी के पास भेजा गया था ?

श्री भोलानाथ—आवश्यक नहीं समझा गया ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि अगस्त सन् १९५३ में राजस्थान के डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग ने पत्र लिख कर पीठ की जनता को सूचित किया था कि यदि दो कमरे बढ़ा दें तो अगले वर्ष आपके यहां हाई स्कूल बनाने का प्रश्न विचारार्थ लिया जा सकता है ?

श्री भोलानाथ—यह जवाब नहीं दिया गया। यह जवाब कैसे दिया जाता ? ५२ में तो वहां मिडिल स्कूल बनाने वाला था और ५३ में वहां आठवीं कक्षा प्रारम्भ हुई थी। तो इस तरह के पत्र लिखने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं जिस पत्र का जिक्र कर रहा हूं वह श्री कुंभारे द्वारा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है और टाइप्ड है, उस सिलसिले में मुझे उत्तर चाहिये। As this is a specific case I want the reply, 'yes' or 'no'-

श्री भोलानाथ – कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

कुं श्री जसवन्तसिंह – पीठ में और शिमलावाडा में कितना फर्क है, फासला है ?

श्री भोलानाथ – दो मील।

श्री जसवन्तसिंह – दोनों कि आबादी क्या है ?

श्री भोलानाथ – आबादी की सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही हैं कि पीठ में किसी सेठ ने हजारों रूपया लगा कर स्कूल के लिये इमारत बनाई है ?

श्री भोलानाथ – पीठ में कोई सरकारी स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल भी किराये का था इसलिये लिखा गया, और वहां मिडिल स्कूल के लिये बिल्डिंग बना दिया।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि पीठ में एक कीमती स्कूल बिल्डिंग सेठ द्वारा बना दी गई है ?

श्री भोलानाथ—हां, बना दी है। The building has been constructed by the Seth but the cost is not known to this Department.

श्री जवानसिंह—फिर शिमलावाड़ा में जो कि वहां से दो मील की दूरी पर ही है, हाई स्कूल बनाने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—शिमलावाड़ा में पीठ से भी अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है, युनिवर्सिटी के आदेशों के मुताबिक बनाई है, वहां पर मिडिल स्कूल है और गर्ल्स स्कूल भी चलता है, वहां प्रोजेक्ट का सेंटर है और तहसील हैड क्वार्टर से २ मील नज़दीक है, जब कि पीठ ४ मील दूर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि माननीय शिक्षा मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी ने पीठ के नागरिकों को लिखित आश्वासन, ऑर्डर लिख कर दिया था, वहां की स्कूल को हाई स्कूल बनाने के बारे में ?

श्री भोलानाथ—मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी कोई ऑर्डर नहीं लिखा करता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस तरह का लिखित आश्वासन दिया गया था, मैं इस स्पेसिफिक केस में जानना चाहता हूँ कि लिखा या नहीं।

(श्री मोहब्बतसिंह के बोलने के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—The Member who has put in a short notice question should exhaunst his supplementaries. He has the first right.

कु० श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि एक सेठ ने रुपया दिया और स्कूल के लिये ६००००) रुपये के लागत की बिल्डिंग बनाई, क्या यह सही है ?

श्री भोलानाथ—आपने ध्यान से उत्तर सुना नहीं इसमें साफ है कि :

"The building has been constructed by the Seth. The cost is not known to this Department."

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जुलाई सन् १९५४ में वहां का डेपुटेशन जयपुर में आया था उस समय उस डेपुटेशन ने वह पत्र एज्युकेशन मिनिस्टर को और एज्युकेशन सेक्रेटरी को दिखाया था ?

श्री भोलानाथ—उस समय तो वह स्कूल खुल गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी को और एज्युकेशन सेक्रेटरी को वह पत्र दिखाया था या नहीं ?

श्री भोलानाथ—मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी का कोई पत्र मुझे नहीं बताया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—शिमलावाड़ा में जो हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने और लोकल डिवेलपमेंट बोर्ड ने कितनी ग्रान्ट्स दी हैं ?

श्री भोलानाथ--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा ५००० और लोकल डिवेलपमेंट विभाग द्वारा ५००० की इमदाद दी गई है। बाकी ४०-५० हजार रुपया जनता के चन्दे से इकट्ठा किया हुआ रुपया लगाया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि जिस समय शिमलावाड़ा गांव में हाई स्कूल रेज़ करने का प्रश्न विचारार्थ लिया गया उस समय पीठ गांव को स्कूल का नाम लिस्ट में से काट कर युनिवर्सिटी के पास भेजा गया ?

श्री भोलानाथ—यह आपका खयाल है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने जो नाम युनिवर्सिटी को भेजे थे कि अमुक अमुक स्थानों में हाई स्कूल के लिये मकान हैं, उस लिस्ट में पीठ का नाम था या नहीं ?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नहीं रखने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—क्योंकि उचित नहीं समझा गया। वहां ४२ में तो मिडिल स्कूल भी नहीं था तो फिर ५४ में हाई स्कूल भी हो जाय यह कैसे हो सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिमलावाड़ा में मिडिल स्कूल पीठ से कितना पहले खोला गया था ?

श्री भोलानाथ—पीठ से शिमलावाड़ा में ५-७ साल पहले खुला होगा, ठीक ठीक तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि शिमलावाड़ा से पीठ में ज्यादा विद्यार्थी हैं ?

श्री भोलानाथ—मैंने जवाब दिया कि शिमलावाड़ा में गर्ल्स स्कूल है, मिडिल स्कूल है डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर नजदीक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि शिमलावाड़ा से पीठ में ज्यादा छात्र हैं ?

श्री भोलानाथ—संख्या के बारे में इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि शिमलावाड़ा में सिर्फ ७ विद्यार्थी हैं ?

श्री अध्यक्ष—But these are not the supplementaries relating to the short-notice Question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They are related.

श्री अध्यक्ष—Then separate questions could have been asked. This short-notice question has been allowed on account of the urgency and graveness of the situation which has arisen due to the strike there and therefore questions relating to that should be asked. If the Hon'ble member asks questions relating to the school and the number of boys, his question is not scheduled.

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह सही है कि वहां विद्यार्थियों के आन्दोलन में शिवा भाई और नारायण भाई यह भी नारे लगाते हैं कि पीठ को गुजरात में मिला देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—There may be political reasons for this

श्री हरिकृष्ण व्यास—There may be political reasons either way, that is beside the point.माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां हड़ताल शुरू होने के बाद से आज तक क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच कराई है ?

श्री भोलानाथ—डिपार्टमेंटल जांच तो जो आवश्यक है वह कर ली गई है कि लड़कों को कोई मिसगाइड कर रहा है, लड़के बहकाये हुए हैं। पर स्ट्राइक करने से कोई हाई स्कूल नहीं खोला जा सकता। अगर इस तरह से खोले जांय तो शायद ऐसे बहुत से लोग जगह जगह पहुँच जायेंगे और स्ट्राइक्स करवायेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस सिलसिले में डूंगरपुर में कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की है ?

श्री अध्यक्ष—This is not the supplementary relating to this short-notice question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It was denied that there is no resentment in the public in regard to this question. A very false statement has been made.

Page No.37

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

My information has been based after verification that some people have resorted to hunger strike in Doongarpur.

श्री अध्यक्ष—The scope of the short-notice question has not been defined in our Rules of Business. If political reasons were to act and counteract then there may be no end to the supplementaries.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह क्वेश्चन नं० ६ में लिखा हुआ है, "Has the public of Doongarpur......"

श्री अध्यक्ष—Order, Please ! कोई किसी ने भूख हड़ताल कर रखी है क्या डूंगरपुर में ?

श्री भोलानाथ—डूंगरपुर में नहीं पीठ के लड़कों ने कर रखी है, डूंगरपुर से कोई इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—क्या माननीय मन्त्री इस बात को साफ करेंगे कि यह स्ट्राइक कम्युनिस्टों द्वारा चलाया जा रहा है ?

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—One more, Sir, माननीय शिक्षा मन्त्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के इस पत्र को यदि माननीय मन्त्री के सम्मुख पेश किया जाय तो क्या वे इस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष – It will be placed before me.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am prepared to place it just now.

श्री अध्यक्ष—The Hon' ble Minister has already denied it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—He has denied the existence of the Private Secretary.

श्री अध्यक्ष—Not that.

(हंसी)

श्री भोलानाथ —He has not written any such order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That we will see.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि रावत श्री शम्भूसिंह, डि० न० १३६, ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक १ सितम्बर, १९५४ से १२ सितम्बर, १९५४ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

कु० श्री जसवन्तसिंह—Shall you be good enough to enlighten the programme of this Assembly because the Members are very anxious to know as to what is goiug to be the programme.

श्री अध्यक्ष – That will be circulated today.

Clause 119- shall we proceed with this or onward ? The Revenue Minister will reply.

(विराम)

As many as 12 members had spoken on this.

श्री मोतीलाल चौधरी—अभी... ..

कु० श्री जसवन्तसिंह—A new point has arisen.

श्री अध्यक्ष—What is that new point ? That is not before me. The amendment was moved by Shri Yadav yesterday on a new point which was admitted.

श्री जवानसिंह—That has already been admitted.

श्री अध्यक्ष—So if any more discussion is desired I would like the Hon'ble members to stand and catch my eye.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—I think the Government is thinking of moving an amendment.

श्री अध्यक्ष—When nobody is standing I would ask the Treasury Benches to reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ११६ पर काफी चर्चा चल रही थी और इसके दौरान में भरतपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने यह संशोधन रखा था कि इसमें जहां 'टिनेन्ट' शब्द है उसके शुरू में उसके साथ 'खातेदार' शब्द और जोड़ दिया जाना चाहिये, नहीं तो बहुत से खातेदार रेन्ट नहीं पे (pay) करेंगे और जैसा इस कानून में लिखा है इजेक्टमेंट होने के बाद रेन्ट से फ्री हो जावेंगे। मैं समझता हूं कि इस एमेंडमेंट में फोर्स है और इस बात की सम्भावना है कि अगर इस एमेन्डमेन्ट को स्वीकार नहीं करें तो सब-टिनेन्ट बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो इस स्थिति में मुझे इस एमेन्डमेन्ट को मानने में एतराज नहीं है। फिर यह क्लॉज़ इस प्रकार हो जावेगा ;

"Subject to the provisions of sections 120, 121 and 122, when a khatedar tenant is ejected from his holding etc. etc." यह खातेदार शब्द टिनेन्ट से पहले जोड़ दिया जावे। इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूँ कि इसको पास किया जावे।

श्री अध्यक्ष—मि॰ मिर्धा अगर कोई जवाब देना चाहते हों।

श्री नाथूराम मिर्धा—मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष—I think it is a very trivial amendment.

श्री नाथूराम मिर्धा—एक शब्द बढ़ाने से ही बहुत ...

श्री अध्यक्ष—To me there is only one word.

श्री नाथूराम मिर्धा—इस क्लॉज़ की चर्चा कुछ समय से सदन में चल रही थी। इस तरीके से अगर एक किसान को एरियर ऑफ रेन्ट के लिए उस पर जब इजेक्टमेंट की डिक्री हो जाती है तो उसको उसके खेत से बेदखल कर दिया जाता है और बेदखल करने के बाद सारी लाएबिलीटीज़ एरियर ऑफ रेन्ट की समाप्त हो जाती है। अगर उस किसान के पास देने का जरिया नहीं रहे, तो उससे कोई रकम वसूल नहीं की जावेगी। सदन में इस बात की आपत्ति की गई थी कि ऐसा

[श्री नाथूराम मिर्धा]

प्रोविजन कानून में रहने से कोई इसका नाजायज फायदा भी उठा सकता है और इसका नाजायज फायदा उठाया जावेगा और खास तौर पर जोर दिया गया कि हमने सब-लेटिंग के पीरियड को ५ साल का रखा है। एक किसान जो सब-टिनेन्ट है उसे जमीन दो वर्ष के लिए जोतने के लिये दी गई थी वह आशा कर सकता है कि......

श्री अध्यक्ष—आप अपने एमेन्डमेन्ट का ही जवाब दें।

श्री नाथूराम मिर्धा—उसका जवाब देना तो है ही......

श्री अध्यक्ष—Omit the words 'whether decreed or not.'

श्री नाथूराम मिर्धा—I am speaking on that,

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is only entitled to reply. Do you object it ? I want to know whether the Hon'ble Member is opposing the suggestion made by the Revenue Minister ?

श्री नाथूराम मिर्धा—No.

श्री अध्यक्ष—Then I also want to ascertain whether the Hon'ble Member is stressing his amendment ?

श्री नाथूराम मिर्धा—No, Sir

श्री अध्यक्ष—Then there is no need for making a reply, So I put it to vote.

श्री मोतीलाल चौधरी—अभी जो अमेंडमेंट आया है कि 'खातेदार' शब्द रखा जावे उस पर मैं ओब्जेक्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—If you object to this then I reject it. If the Hon'ble Member object to it's admissibility, I reject. But if it has been agreed to by the House then......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let it be rejected.

श्री जवानसिंह—उसकी ओरिजनलीटी की तरफ ध्यान रखते हुए....

Page No.41

श्री अध्यक्ष—Order please;

श्री श्रीदास गोयल—अमेंडमेंट रखने का विरोध नहीं करते लेकिन

श्री अध्यक्ष—My decision gets very embarrased when the Revenue Minister puts his amendment and the Members of his party object to it. There is no alternative for me.

श्री श्रीदास गोयल—अमेंडमेंट रखने का मतलब नहीं है, वे अपने व्यक्तिगत विचार और विरोध के शब्द कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—That had been included when he made his statement.

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओब्जेक्शन हैं तो इसको रिजेक्ट कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—If it is after mature discussion and agreement of the party.

श्री एच. के. व्यास—There are other parties in this House also, only one party may agree.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Agreed to.

श्री अध्यक्ष—Agreed to, than I allow, if the Hon'ble Members simply want to discuss and simply take the time of the House, then I hesitate in...

कु० श्री जसवन्तसिंह—Shri Gopilal Yadav's amendment was admitted by the Chair though there was some objection.

श्री अध्यक्ष—Now there is no amendment.

कु० श्री जसवन्तसिंह—It was accepted.

श्री अध्यक्ष—I have only two amendments; one moved by Shri Nathuram Mirdha and the other by Shri Gopilal Yadav. Shri Yadav's amendment is, "I want to move the following amendment:—

'Delate clause 119.'

and Shri Nathuram Mirdha's amendment has been circulated to all the members.

So the insertion of the word 'Khatedar' before the word 'tenant' is a fresh amendment and it has been agreed to by the Revenue Minister.

Page No.42

कु० श्री जसवन्त सिंह—Yesterday, Sir, I definitely remember.

श्री अध्यक्ष—It is only now with me.

कु० श्री जसवन्तसिंह—There was debate on this. I do not know, on what basis you say. May be as papers are not with me. The debate took place on this issue.

श्री अध्यक्ष—Might have.

श्री हरिश्चन्द्र व्यास—I submit that at least the amendment should not be permitted.

श्री अध्यक्ष—Some ten members who had spoken on clause 119 on the revious occasion and then again ten more members spoke yesterday.

श्री नाथूराम मिर्धा—No, Sir.

श्री अध्यक्ष— I am sorry. In all some 12 Members had spoken.

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, कल उपाध्यक्षजी ने यह आदेश दिया था कि कल फिर इस सम्बन्ध में सोच-विचार हो सकेगा और जो आदमी इस सम्बन्ध में बोलना चाहेंगे उन्हें मौका दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—I do'nt object to that. I am objecting to the present amendment which is before me.

श्री मानसिंह महार—Mr. Speaker, Sir, may I through you submit to the Hon'ble Revenue Minister that since amendments are being brought in at the eleventh hour and since there is a rumour that we are adjourning on the 24th, why not recommit this Bill to the same select Committe and take in to it consideration on the 11th October when we meet again. That will be better instead of violating all the conventions, procedure and rules that we have framed in this House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह खातेदार शब्द जोड़ा जाने के लिए नया संशोधन नहीं है। मैं निश्चित रूप से, माननीय अध्यक्ष, बोल रहा था। मेरे बोलने के पहले जब आर्ग्युमेंट दिये गये तो नया सुझाव सामने आया

Page No.43

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है । इसलिए डिस्कशन हुआ था । इलेवेन्थ आवर यह बात आयी हो, यह सही नही है । यह बात पहले कल चर्चा में आ चुकी थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या अमेन्डमेंट मूव हो चुका था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह रेकर्ड में न हो । निश्चितरुप से कल माननीय उपाध्यक्ष ने कहा था ।

श्री मानसिंह महार—My suggestion is to limit the debate. There will be adout 11 days at our disposal and the select Committee will go through all the amendments and place be fore the House an agreed solution.

श्री अध्यक्ष—What I wented to know is whether it was agreed between the Congress Benches and the. pposition Bbenches ?

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—Yes Sir.

श्री अध्यक्ष—Then there should be no debate.

(श्री हरिकृष्ण व्यास के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member wants to oppose it, I will give him an opportunity.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes, I object. Firstly I want to object it on technibeca grounds since there is no proper notice given.

श्री अध्यक्ष—Your objection and speech may go at the same time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But my speech will be redundant if you accept the amendment.

श्री अध्यक्ष—I will look into it on the basis of the arguments that the Hon'ble Member advances.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ११६ इस बिल में से हटा दिया जाय ऐसी भी तरमीम, ऐसा भी संशोधन, इस सदन के सामने आया है और अब खातेदार शब्द को इन्क्ल्यूड करने की इजाजत देने के जरिये जो पूरे के पूरे क्लॉज़ को पूरी मूव करने का नतीजा हुआ करीब करीब ऐसा ही नतीजा, इस 'खातेदारी' शब्द को इन्क्ल्यूड करके कोशिश की जा रही है। प्रश्न क्या है ? प्रश्न यह है कि कोई टिनेन्ट हो; चाहे वह खातेदार हो, चाहे वे सबटिनेन्ट हों वह कुछ आर्थिक कारणों की वजह से लगान जमा नहीं करा सकता, अवधि पूरी हो जाने के बावजूद भी जमा नहीं करा सकता और काफी लम्बा अर्सा गुजर जाय तो कुछ कारणों की वजह से वह लगान जमा नहीं करा सका है उसे जमीन से बेदखल करने के सिलसिले में एक हुक्म शाया किया जाता है। जब इस संशोधन के जरिये इसका तात्पर्य यह होगा कि खातेदार काश्तकार को छोड़ कर सब टिनेन्ट या गैर ख़ातेदार काश्तकार जो हैं वे यह लगान जमा करा न पावें तो लगान न जमा कराने की वजह से जमीन से बेदखल होंगे और बकाया लगान की डिक्री उनके सिर पर लटकती रहेगी। मैं यह पूछना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष, कि किसान को अपनी जमीन कितनी प्यारी है कि वह, जहां तक उसके लिए मुमकिन होगा कुछ भी करके जमीन अपने हाथ से नहीं जाने देगा और यदि आर्थिक कारणों की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से, जमीन छोड़ने के लिये अथवा जमीन से अपने आपको वंचित करने के लिए मजबूर हो जाता है तो वह किसान, जिसके पास आमदनी का जरिया नहीं है, इन्सान बन जायगा और एक जमीन का टुकड़ा जिसकी वजह से आजीविका चला सकता है वह उससे छीनने के बाद भी, हम यह संशोधन मन्जूर करके ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उसके बाद भी डिक्री उसके ऊपर लटकती रहे। कैसे होगी उस डिक्री की वसूली ? एक तरफ तो उसकी जिन्दगी का, उसके भरण पोषण का जरिया छीन लिया। जब जमीन उसके पास थी और लगान न दे पाया और लगान न देने की वजह से जमीन छिन जाने के बाद डिक्री हो जाने का मतलब यह होगा कि स्लेव लेबर इन्ट्रोड्यूस किया जाय। क्या सरकार की मर्जी यह है कि स्लेव लेबर कराई जाय ? जमीन को रखने न दिया, और फिर भी स्लेव लेबर कराने की मर्जी हो तो दूसरी बात है। नहीं तो न्याय की बात जाने दीजिये, कानून की बात जाने दीजिये किन्तु व्यवहारिक बात को देखिये। जमीन नहीं बची तो फिर डिक्री का पैसा देगा कैसे ? उसके कपड़े, हांडी को नीलाम करावेंगे, उसके पास बैल बच गया तो उससे पूर्ती कराई जायगी। आखिर मंशा क्या है ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग नाजायज फायदा उठावेंगे, यह गलत सोचा जा रहा है। यह माना जा रहा है कि कोई किसान अपनी जमीन छोड़ने के लिए आतुर रहता है। किन्तु हकीकत यह है माननीय अध्यक्ष, कि कोई किसान अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वह आखिर दम कोशिश करेगा कि बेदखल न किया जाय और उन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी, कठिनाइयों की वजह से लगान न दे पाये और यदि उसको बेदखल करते हैं तो इन्सानियत यह कहती है कि जिसके पास जीविका चलाने का साधन नहीं है तो क्या उसे मनुष्यों के दास के रूप में खरीदना चाहिये ? यह व्यावहारिक तौर पर अन्यायपूर्ण अमेन्डमेंट है और उसका नतीजा यह होगा कि खातेदार काश्तकार को छोड़ कर बाकी टिनेन्ट जो हैं उनको दोहरी मार लगेगी। एक तो आजीविका का साधन गया और नयी आजीविका का साधन किया तो डिक्री उसके सिर पर लटकती रहेगी और वह उनकी परेशानी का एक बायस और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो जायगी। तो क्या आपको राजस्थान के अन्दर लाखों की तादाद में नये रिफ्यूजी तैयार करने हैं? क्या राजस्थान के हमदर्द ऐसा कानून बनावें जिससे पुनर्वास की और आवश्यकता हो? माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूं कि पुनर्वास में जब हजारों और लाखों रुपये खर्च किये, जिनके पास आज तक बड़ी बड़ी जमीनें, साधन हैं उनको मुआवजा और देना चाहते हैं, लेकिन किसानों की जमीन छीनते हुए यह कहा जाता है कि डिक्री और उनके सिर पर लटकेगी। यह हद है, अजीब है। विचित्र प्रकार का न्याय हो रहा है।

पाकिस्तान से लोग आये हमने उस वक्त उनको यहां रख लिया यह कहकर के कि इनके पास इनकी आजीविका कमाने का जरिया नहीं, घरबार नहीं, उनके पास जमीन नहीं, धंधा नहीं, नौकरी नहीं इसलिए सरकार ने उनको कर्जा दिया, प्रत्येक को राशन्स दिए और मदद दी। आज ये जो नये रिफ्यूजी बन रहे हैं, जो अपनी जमीन से बेदखल होंगे, जिनके पास आजीविका के साधन नहीं रहेंगे, जिनके लिए रोजगार की गुंजाइश नहीं, परिवार के भरण पोषण के लिए जरिया नहीं। वे बिना जमीन के मारे मारे फिरें और फिर भी पुराने लगान को अदा करें।

मैं एक चीज और इसके साथ निवेदन करना चाहता हूँ। आज राजस्थान सरकार की अलग अलग तकबे के प्रति जो नीति है उस नीति की तरफ सदन गौर करे तो क्या यह हकीकत नहीं? इन किसानों की बात जाने दीजिये, ऐसे कई लोग हैं जो समझे गये जिनको राजस्थान सरकार ने कर्ज दिया, लेकिन उसके बाद विशेष परिस्थितियों के कारण कर्जा कम किया जाय या माफ किया जाय। हम जोधपुर के अन्दर इस प्रकार का कानून देखते हैं माननीय रेवेन्यू मन्त्रीजी ने एक समय कहा था कि हम सभी जगह के लिए इस प्रकार का कानून लागू करेंगे, सारे राजस्थान के लिए जिसमें यह देखा जायगा कि कौनसा कर्जा है और किसने लिया है। जो काफी अर्से से जो नहीं दे पाये हैं उनके लिए डेट रीकॉन्सीलियेशन बोर्ड बनाया जाय, इस वजह से कि व्यावहारिक तौर से यह देखा जाय कि वह इतने अर्से तक कर्जा क्यों नहीं दे सका जिस प्रकार का कर्जे का सवाल, जमीन किराये का सवाल है, जिस किसान की माली हालत बहुत कमजोर है ऐसी परिस्थिति में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर इस पर फिर से विचार करें। मैं उनका ध्यान करांची कांग्रेस के उस प्रस्ताव की ओर आकर्षित करूंगा जिस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि अगर किसी किसान की माली हालत अच्छी नहीं है या अनइकोनोमिक होल्डिंग है उसका लगान और रेन्ट दोनों माफ कर दिया जायगा। यह कांग्रेस का प्रस्ताव है। यह अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन द्वारा पास किया हुआ प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव पं० नेहरू की तकरीरों में कई दफा गया हुआ प्रस्ताव है। लेकिन आज उस किसान का लगान या रेन्ट माफ करना तो दूर रहा यदि अन-इकोनोमिक होल्डिंग की वजह से अगर वह लगान न दे पाया हो तो उसकी जमीन छीन ली जायगी और उससे नया लगान के अलावा पुराना जो भी कुछ बकाया है उससे वसूल किया जायगा। मैं नहीं समझ पाया कि उसकी जमीन छिनने के बाद उससे पुरानी रिकवरी किस प्रकार पूरी की जायगी, सिवाय इसकी वसूली का एक ही तरीका है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और वह यह कि इस अमेंडमेंट के मन्जूर करने से यही मतलब होगा कि नयी प्रकार से दास प्रथा को फिर से चालू करना। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष, इस पर टेक्निकली पोइन्ट को भी आप देखें यह जो अमेंडमेंट लाया गया है इसकी कोई सुचना भी नहीं दी गई। ऐसे ही कई अमेंडमेंट जो एन वक्त पर पेश किये गये थे उनको रिजेक्ट किया गया था, इसी बिना पर इसको भी रिजेक्ट समझा जाय। कई ऐसे अमेंडमेंट थे जो टाइम की कमी की वजह से भी रिजेक्ट किये गये थे। ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि राजस्व मंत्रीजी को इस संबन्ध में किसी प्रकार की रियायत दी जाय। इसके लिए जो यह कहा गया कि आपस में तस्फिया करके यह लाया गया था तस्फिया अगर हुआ होगा तो उन्हीं के लोगों में हुआ होगा। लेकिन सदन के बहुत तबके की बहुत हिस्से की राय इसमें नहीं है और इस सिलसिले में न किसी प्रकार की बातचीत ही हुई और न किसी प्रकार का तस्फिया ही हुआ। इसलिये मैं विरोध करता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं आप इसे रिजेक्ट करें, इसको हरगिज इजाजत न दें। इससे यह साबित होगा कि चाहे वह रेवेन्यू मिनिस्टर हो या और कोई हो सब के साथ एक समान बर्ताव गिना जायगा। इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करूंगा कि इसको नामन्जूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष—I like only unattached members to speak. only unattached.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is no agreement. Their own party members denounce.

[श्री किशनलाल शाह के बोलने को खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष—I will like only unattached members to speak

श्री किसनलाल शाह—I have not been able to follow what the word 'unattached' implies.

श्री अध्यक्ष—I am very sorry.

श्री किशनलालशाह—"Unattached" in relation to the clause or "unattached" in relation to the party ?

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, जो कुछ भी एतराजात माननीय सदस्य ने पेश किये हैं उसका जवाब देना तो जरूरी हो जाता है ताकि हाउस को मालूम हो सके कि यह किस प्रकार की स्थिति में अमेंडमेंट आया है।

श्री अध्यक्ष—It is very clear.

श्री श्रीदास गोयल—'Un-attached'....

श्री अध्यक्ष—Now the Deputy Leader will reply. In the House the Chair recognizes parties only because of its convenience so that the business of the House may be transacted conveniently.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, बड़े जोश के साथ जो स्पीच दी गई है उसका जवाब तो रेवेन्यु मिनिस्टर देंगे ही किन्तु कुछ अन्य सदस्यों को भी कहने का मौका दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी क्लॉज ११९ पर जो संशोधन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उस पर विचार सदन के सामने प्रस्तुत हुए। माननीय अध्यक्ष, जिन शब्दों में और जिस आवेश और जोश के साथ यह बातें रखी गई मैं समझता हूं उस आवेश के स्थान पर अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाता तो इस प्रकार के आवेश में आने का कोई मौका ही नहीं रहता।

जहां इस क्लॉज में 'टिनेन्ट' शब्द का प्रयोग किया गया उसके साथ हम 'खातेदार' शब्द को एड नहीं करते तो जिस प्रकार की दिक्कतें आज सब-टिनेन्ट या गैर खातेदार या अन्य प्रकार के ऐसे काश्तकार हैं, उनके सामने उपस्थित होंगी। उन सारी दिक्कतों का चिट्ठा सदन के सामने उपस्थित करके मैं सदन का समय ज्यादा लेना नहीं चाहता किन्तु अगर इसे दूसरी दृष्टि से भी सोचा जाय कि खातेदार टिनेन्ट पर आफत आने वाली है यह उस वक्त में आयगी जबकि खातेदार टिनेन्ट अपनी जमीन को जो गैर खातेदार सब-टिनेन्ट है उसे दो-ढाई साल के लिये सब-लेट देता है, सब-लेट करने के बाद अगर दो साल तक लगान नहीं देता है। दो साल का लगान न देने के बाद इजेक्टमेन्ट के डर द्वारा उसको जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है तो उससे लगान नहीं लिया जाय, यह अगर मान लिया जाय तो खातेदार टीनेन्ट्स से तो सरकार लगान बराबर वसूल करेगी। तो खातेदार टिनेन्ट के लिये यह रियायत क्यों? यदि शिकमी काश्तकार, उसको लगान नहीं देता तो ऐसी सूरत में होना तो यह चाहिये कि वह खातेदार टिनेन्ट भी सरकार को लगान न दे ऐसी स्थिति में तो न्याय होता। लेकिन यह जहां सब टिनेन्ट को सेफ गार्ड करता है अगर उसके ऊपर कोई एरियर्स ऑफ रेन्ट बाकी है तो वह उससे नहीं लिया जाय वहां यह खातेदार के लिये घातक है। अगर माननीय सदस्य जिन्होंने यह सुझाव दिया है अगर वे यह सुझाव देते कि खातेदार पर जो लगान का सारा जिम्मा है, सरकार को देने का, जिस प्रकार आप सब-टिनेन्ट को उससे माफी देना चाहते हैं उसी प्रकार खातेदार टिनेन्ट को माफ कर दीजिये। लेकिन जब खातेदार टिनेन्ट के लिये माफी का प्रश्न नहीं है, तो क्या आप एक के साथ अन्याय कर दूसरे के साथ न्याय करना चाहते हैं? अगर आपको न्याय ही करना है तो दोनों के साथ न्याय करें। अगर आप एक के साथ अन्याय कर, दूसरे के साथ न्याय करना चाहते हैं तो यह एक बेकार सा प्रश्न है। जिसके पास काश्त करने की जमीन

[श्री ...]

नहीं और उसको यदि कोई सब लेट करता है तो इस अमेन्डमेन्ट को न करने के बाद यह स्थिति होगी कि कोई किसी को भी जमीन सबलेट नहीं करेगा। जो व्यक्ति इस बात के लिये मुन्तजिर है कि सरकार उनको जमीन दे ताकि वे किसी प्रकार अपनी अजीविका चला सकें तो उस गैर खातेदार के साथ न्याय किया गया है, अन्याय नहीं किया। वह बेचारा बेरोज़गार था, उसको रोजगार दिया अगर इसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो जिस बेरोज़गारी को हम दूर करना चाहते हैं, खातेदार पर अविश्वास करलें तो खातेदार क्या करेगा, अपने पास जमीन पड़त रहने देगा, लेकिन किसी भी सूरत में दूसरे को सबलेटिंग नहीं करेगा। और सबलेटिंग के स्थान पर वह जमीन पड़त रहे तो इस तरह से बेकारी की समस्या हल होने के बजाय बनी रहेगी। तो ये जितनी रियायतें हैं वे सब उन लोगों के साथ होंगी जो आज उस जमीन पर काबिज हैं। उनके साथ नहीं, किन्तु जिन्होंने रियायत करके एक साल-दो साल के लिए अपनी जमीनें उन लोगों को जोतने के लिए बता दी हैं। पर जिस वक्त वे स्वयं बेकारी की हालत में फंस जावें और अपना धन्धा वापिस लेना चाहें तो उनसे यह कहा जावे कि तुम वापिस अपना धन्धा नहीं ले सकते तो यह कहां का न्याय है, उस खातेदार के साथ !

माननीय अध्यक्ष, आज शहरों में भी इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर किसी ने मकान किराये पर लिया, पर अगर किरायेदार तीन साल तक किराया नहीं देता है तो मकान मालिक को कोर्ट में दावा करने पर उस पर उस किराये की डिक्री मिलती है, पर यह कहीं कानून नहीं है कि उसे बेद-खल कर दिया जावे और बेदखल करने के साथ साथ उसका किराया भी सारा का सारा समाप्त हो जावेगा।

तो इसी तरह से खातेदार और टिनेन्ट का भी सवाल आता है। अब इनमें भी एक आर्थिक स्थिति का प्रश्न आ सकता है। काश्तकार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह लगान नहीं दे सकता अगर इतनी खराब है कि वह लगातार दो-तीन साल तक का लगान दे ही नहीं सकता तो आप इसका बोझा डालें सरकार पर। लगान उसका सरकार माफ कर दे। इसका बोझा खुद सरकार बर्दाश्त करे न कि वह बोझा डाला जावे उस खातेदार पर। लगान सरकार का तो लिया ही जावे पर साथ साथ किसान पर भी बोझा न पड़े और खातेदार ही मारा जावे तो यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। तो सरकार पर दबाव डाला जाना चाहिये कि अगर वह टिनेन्ट को लगान से बचाना चाहती है, उसकी आर्थिक स्थिति के खराब होने से उसकी मदद करना चाहती है तो वह काश्तकार को लगान माफ कर दे। तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आवेगी। अगर इस प्रकार 'खातेदार' शब्द को इसमें न जोड़ा गया तो यह खातेदार के साथ अन्याय होगा और इस प्रकार का अन्याय सरकार को शोभा नहीं देने वाला है। इससे किसान को भी कोई रिलीफ मिल जायगा, ऐसी बात भी नहीं है बल्कि उसकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। इससे किसान के दिल में बेईमानी पैदा होगी, वह सोचेगा कि दो साल तक अगर लगान नहीं देंगे तो हमसे खातेदार जबर्दस्ती तो करने वाला

[श्री भैरों सिंह]

नहीं । इसके बाद अगर नहीं देगे तो कोर्ट में मुकद्दमा चलेगा, इस मुकद्दमे के चलने में दो-तीन साल और लग सकते हैं और इसके बाद अगर डिक्री भी हो गई तो साल डेढ़ साल और निकाल सकते हैं और इसके बाद बेदखल तो होने ही वाले हैं, बेदखल हो जावेंगे और इस तरह से चार-पांच साल तक लगान देना नहीं पड़ेगा और इतने अरसे तक जमीन का भोग करके बेदखल हो जावेंगे तो इस क्लॉज के होने से जिसको सब-लेट जमीन की जावेगी वह कभी लगान नहीं देगा । तो जिस आर्थिक समस्या को आप दूर करना चाहते है वह आर्थिक समस्या तो जटिल रूप में उसके सामने आवेगी। यह सारा बोझ खातेदार पर पड़ने वाला है क्योंकि उसको तो सरकार को लगान देना पड़ेगा, पर अगर टिनेन्ट से उसको वसूल नहीं हुआ तो वह सरकार को कहां से देगा । इसका परिणाम यह होगा कि वह कभी किसी सबटिनेन्ट को सबलेट नहीं करेगा और इस तरह से उस लैण्डलैस किसान के लिये आर्थिक हालत के जटिल होने में कोई सहायक नहीं हो सकेगा । तो यह बात जरूर विचारणीय है और अगर इस बात पर गहराई से विचारा जाता है तो माननीय गोपीलाल जी यादव ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह ठीक है । अब टेक्नीकल ग्राउन्ड पर किया जावे या नहीं, यह बात अलग है । पर मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल जब प्रस्तुत हुआ तब से एट दी इलेविन्थ अवर भी कोई संशोधन आया है तो उसे स्वीकार किया गया है और उसे कानून का अंग माना गया है । मैं समझता हूं कि उसी तरह से इसको भी स्वीकृति मिलेगी। इस टैक्नीकल ग्राउन्ड पर रिजैक्ट नहीं किया जावेगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह 'खातेदार' शब्द बड़ी अहमियत रखता है । बाकी इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने में ध्यान न दिया जावे और इसको इसी रूप में स्वीकार कर लिया जावे ।

(श्री एच. के. व्यास के श्री ईश्वरी सिंह से बातें करने पर)

श्री अध्यक्ष—No prompting in the House.

श्री हरीकृष्ण व्यास—I am accepting his sugesstion

श्री ईश्वरीसिंह—यह इतना सुन्दर कहा जाता है, पर वह अन्दर से ऐसा होता है कि काश्तकार उनका शिकार हो जाता है । अभी यहां श्री गोपीलाल जी ने जो तरमीम रक्खी उसके पहले एक क्लॉज़ ९३ स्वीकार कर लिया गया, उसमें भी इतना बड़ा अन्याय किसान के साथ हुआ है कि जैसा १०० वर्षों में नहीं हुआ; ऐसी चीज़ पास कर ली गई है । तो काश्तकार दुनियां में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे मार ही दिया जावे । और बेदखल की चीज के वास्ते मन्त्री जी कह रहे थे कि यह कानून जोधपुर में था और जयपुर में था, पर वह चीज क्या थी । तीन साल तक भी अगर काश्तकार लगान नहीं देता था तो वह काश्तकार आखिर तीसरे साल में लगान दे देता था, उसको बेदखल नहीं करते थे, उसको नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती थी । अब दूसरे साल भी अगर लगान न दे तो तहसीलदार जांच करे और नोटिस दे दिया जाता है । अब अगर तीन साल भी लगान न दे सके तो दो साल उसको और दिये जाने चाहिए ।

("ऑर्डर" सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष—लगान देने की बात नहीं हो रही है। जो अमेंडमेंट है उसके पोइन्ट को अगर आप समझते हैं तो उस पर बोलें।

श्री ईश्वरीसिंह—मैं उसी पर बोल रहा हूं और...

श्री अध्यक्ष—आप अमेंडमेंट पर नहीं बोल रहे हैं, असंगत बोल रहे हैं।

श्री ईश्वरीसिंह—जो कानून बनाया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष—क्या कानून बनाया जा रहा है? जो क्लॉजेज़ पास हो चुके हैं उस पर बहस न करें। अब क्या पास हो रहा है उस पर बोलियेगा।

श्री ईश्वरीसिंह—तो उसे बेदखल कर दिया, फिर भी डिक्री आवे और....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, ये किस पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—यह माननीय सदस्य को भी पता नहीं और मुझको भी पता नहीं।

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—तो उनके पास में बैठने वालों को पूछ लिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी पता लग जावेगा आपको।

श्री ईश्वरीसिंह—फिर भी इसको काफी सोच-विचार लिया जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तो समझ में आ गया होगा माननीय मन्त्री जी के।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने जब संशोधन रक्खा है "खातेदार" शब्द जोड़ने के बारे में उसके बाद में उपस्थित होने वाले माननीय सदस्य ने पूरे जोर के साथ अपनी तकरीरों को रखा और हमेशा की तरह से यह कहा कि इससे लाखों आदमी शरणार्थी बन जावेंगे, उनकी पुनर्वास की समस्या सरकार के सामने जटिल रूप से खड़ी हो जावेगी और राजस्थान में न जाने क्या क्या बरबादी इससे हो जावेगी अगर "खातेदार" शब्द को इसमें जोड़ दिया गया तो।

तो इस पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि "खातेदार" शब्द जोड़ने से न किसी जागीरदार को और न गवर्नमेंट को इस प्रकार के अख्तियार दिये जा रहे हैं कि वे इससे कोई फायदे में होने वाले हैं। असल में खातेदार भी एक टिनेन्ट है और सब-टिनेन्ट उसका एक टिनेन्ट है। इन दोनों के बीच के आपस के कन्फ्लिक्ट को न बढ़ाया जावे और उनका रिलेशन ज्यादा स्मूथ हो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]
सके इस खयाल से खातेदार की बात यहां रक्खी गई है । जो छूट सब-टिनेन्ट को दी गई है, उसी फ्रीडम को अगर खातेदार को देते हैं वे भी जब टीनेन्ट इजेक्ट किया जावे तो लगान लेने के हकदार हों तो इसमें ऐसा क्या अन्याय है ? अगर यह अधिकार खातेदार को नहीं देते हैं और सरकार खातेदार से लगान लेती है तो यह अधिकार खातेदार को नहीं देना अन्याय ही होगा ।

पहले तो हमें यह सोचना है कि यह एक काश्तकार और दूसरे काश्तकार के बीच का झगड़ा है । अब एक को तो अधिकार रहे और दूसरे को उस अधिकार से वंचित किया जावे तो यह उचित नहीं होगा । दो काश्तकारों के बीच का रिलेशन कौनसा ठीक होगा, यह विचार हमें करना होता है । अब 'खातेदार' शब्द जोड़ने के बारे में अमेंडमेंट मैंने क्यों मूव किया उसको थोड़े विस्तार से बता दूं कि जो इजेक्टमेंट का चेप्टर है इसमें प्रोसीजर वगैरह पर कल हमने बहस की और बहुत से क्लॉज़ेज़ पास किये । उनके अनुसार २ साल के बाद तो नोटिस देने की बात आई है । दो साल तक एरियर्स बढ़ जाते हैं तो दो साल के बाद नोटिस देने की बात है । अगर वह कन्टेस्ट करे तो सूट हो जाय और उस सूट के डिसीज़न में दो एक साल लग सकते हैं । उसके बाद इजेक्टमेंट की डिक्री हो जाने के बाद साल भर निकले और साल भर निकलने के बाद ३१ मई अब जब आये तब जाकर वह काश्तकार इजेक्ट हो सकता है ।

सबटिनेन्ट, जिसको डिफेन्ड करने की बात बहुत जोरदार शब्दों में कही गई है : तो सब-टिनेन्ट रहेगा कौन ? जो पहले सब-टिनेन्ट थे वे हमारी १६ वें क्लॉज़ेज़ व अन्य क्लॉज़ेज़ के जरिये खातेदार टिनेन्ट हो सकते हैं, वे खातेदार टिनेन्ट हो जाते हैं । अब उनके खातेदार टिनेन्ट हो जाने के बाद नये तौर से जिनको सबलेट किया जाना है साल या दो साल के लिये या अधिक से अधिक ५ साल के लिए वह एक क्लॉज़ बीच में बैठती है । उसके अलावा दूसरी क्लॉज़ेज़ नहीं रहती हैं ··

श्री हरिकृष्ण व्यास—What about tenant of khudkasht ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उसको भी खातेदारी राइट्स एक्वायर करने का प्रोविजन है । जैसे कि सब-टिनेन्ट कर सकता है वैसे ही टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त कर सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Compensation ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—That is a different thing.

उसके खातेदारी राइट्स एक्वायर करने के लिए इसमें प्रोविजन्स हैं । वह इजेक्ट नहीं हो सकता है अगर बराबर रेन्ट पे करता रहे तो । वह क्लॉज़ इसके अन्दर है । उसके बाद मैंने कल अपनी दलील में कहा था कि मैं इस बात को समझने में असमर्थ हूं कि हम किसको सबलेट करना चाहते हैं, इस प्रकार की बात कहकर । सब-टिनेन्ट जो कि लगान नहीं देगा २ साल तक और वह दावा चलता रहे तब भी नहीं दे और बाद में बेदखल हो गया तो कोई बकाया बाकी नहीं रहना

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

चाहिये। सबटिनेन्ट बेदखल होता है तो जमीन उसकी खुद की नहीं होती है। 'खातेदार' शब्द अगर यहां रख देते हैं तो खातेदार फिर भी कुछ है क्योंकि वह अपनी खुद की जमीन लूज होने के डर से अपनी जमीन लूज करना पसन्द नहीं करेगा। वह जमीन उसके हाथ में बच जाय, वह इस बात को पसन्द करेगा। कैसे भी वह लगान देगा, लेकिन जमीन वह अपने कब्जे में रखना पसन्द करेगा। सबटिनेन्ट की बात दूसरी है। मुकदमे का पीरियड कितना ही हो सकता है। इस सारे समय के बीच में लगान सबटिनेन्ट किसी को पे नहीं करता है तो वह कुछ भी न देकर जमीन का उपभोग कर सकता है; तो मैं समझता हूँ कि उसकी मन्शा कोई पूरी नहीं होती, यह उचित भी नहीं होती। सबटिनेन्ट का एक्स्प्लायटेशन नहीं हो पाये उसके लिए रेन्ट कितना हो यह उन क्लॉजेज़ के जरिये तय किया है। जब कि हमने कल दूसरे क्लॉजेज में उसकी जो व्यवस्था हो सकती है वह हमने दे दी है तो उसके बाद माननीय अध्यक्ष, मैं यह कन्टेम्प्लेट नहीं कर सकता कि हालात के खराब हो जाने की वजह से, ३-४ साल लगान नहीं दे पाये जो कि मिनीमम होगा; उसके बाद तो कतई मुश्किल नहीं है। १:६ एक सबटिनेन्ट देगा जब कि आगे तय कर दिया गया है कि डबल से ज्यादा नहीं हो सकता है, उस हालत में कोई पे नहीं करता है तो एरियर्स ऑफ रेन्ट की वजह से बेदखली की शक्ल होगी। सबटिनेन्ट खातेदार को लगान नहीं दे वह जमीन का उपभोग करता रहेगा बाद में जमीन से इजेक्ट होगा तो बकाया नहीं रहने वाला है तो फिर इन चीजों से एक काश्तकार और दूसरे काश्तकार के बीच झगड़ा करवाना चाहते हैं वह काश्तकार के हित वाली चीज नहीं है। इसलिए उस समस्या के हल के लिए खातेदार टिनेन्ट के लिए यह आवश्यक बात मन्जूर करने के लिये मैं सहमत हूं। वे अपनी एस्टेट, जमीन लूज करना पसन्द नहीं करेंगे। वह जरूर पे करेंगे बजाय जमीन से इजेक्ट होने के। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बात सोचना कि काश्तकार के साथ अहित होगा, लाखों काश्तकार बेघरबार हो जायेंगे, ऐसी परिस्थिति उस समय जब पैदा हो जायगी जब कि ४-५ साल तक लगान नहीं दे। जो कि दूसरे की जमीन लेकर बैठा है, जब ४-५ साल तक एक शिकमी काश्तकार अपने खातेदार टिनेन्ट को लगान पे करना पसन्द नहीं करे उसके बाद यह कहें कि इनको डिफेन्ड किया जाना चाहिये, इनके सारे राइट्स होने चाहिये। यह मैं समझता हूँ कि न तो इक्विटी की बात है और न सोशल जस्टिस की बात हो सकती है। इसलिये जो एमेंडमेंट मैंने मूव किया है सदन से उम्मीद करता हूं कि जिस बैकग्राउण्ड को लेकर कि जिसमें एक काश्तकार से दूसरे काश्तकार के रिलेशन्स का सवाल है, झगड़ा हो सकता है, उसको बचाने के लिए मैंने यह एमेन्डमेन्ट पेश किया है, उसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—This amendment is allowed. Shri Gopilal Yadav wants to withdraw ?

श्री गोपीलाल यादव—जो मैंने संशोधन रखा था वह लिख कर नहीं दे सका इसलिए मैं अपने उस डिलीट करने वाले संशोधन को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह है अनुमति है कि वे अपना संशोधन वापिस लें।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गोपीलाल यादव—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नाथूराम मिर्धा ने क्लॉज ११९ के अन्तर्गत रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन 'खातेदार' शब्द जोड़े जाने के बारे में रखा गया है वह स्वीकार किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसने रखा है ?

श्री अध्यक्ष—This is by the Treasury Benches; moved by Shri Mohanlal Sukhadia.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जोर से) हां।

श्री अध्यक्ष—Microphone does not add to the magnificance.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It doss add force.

श्री अध्यक्ष—But that is artificial force.

श्री हरिकृष्ण व्यास—One day it may becoms real also.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ११९, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ ११६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

Clause 121 Shri Kapil Deo Agrawal has moved his amendment and Shri Nathuram Mirdha.

श्री नाथूराम मिर्धा—कौनसी क्लॉज़ ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १२१ ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस पर बहस हो चुकी है ।

श्री अध्यक्ष—Four Hon'ble Members had spoken; Shri Gopilal yadav, shri Shyamlal Goyal, Shri Brij Sunder Sharma and...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—This amendment is acceptable to me if this closes the debate.

श्री अध्यक्ष—An amendment has been moved by Shri Kapildeo. There is another amendment moved by Shri Nathu Ram Mirdha. That is also the same.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Not necessary.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेव अग्रवाल ने क्लॉज़ १२१ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२१ में संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने ।

श्री भैरोसिंह (वि० सं० १६)—इसमें मुझे निवेदन करना है कि इसमें कन्सीक्वेन्श्यल चेन्ज है, टिनेन्ट के साथ में खातेदार टिनेन्ट लिखा गया है ।

श्री अध्यक्ष—कौन सा ?

श्री भैरोंसिंह—क्लॉज़ १२१।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—नहीं, वह सब-टिनेन्ट के लिए है।

श्री अध्यक्ष—I should put it to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२१, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२१, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्लॉज़ १२२ स्वीकृत हो चुका, अब क्लॉज़ १२५ है।

श्री अध्यक्ष—१२५ पर श्री नाथूराम मिर्धा ने अपना अमेंडमेंट मूव कर दिया है।

(विराम)

So I put it to vote.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२५ के अन्तर्गत श्री नाथूराम मिर्धा ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२५ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज़ १२६, श्री कपिलदेव अग्रवाल।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेन्डमेंट है :

In sub-clause (I) for the words, figures and brackets "sub-section (2) of sub-section (5)", the words, figures and brackets "sub-section (3) or sub-section (4)" be substituted" हमने पहले के क्लॉज़ेज़ को अमेन्ड कर दिया है इसलिये यह कॉंसीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—This is identical with the amendment moved by Shri Nathu ram Mirda ? I think they are the same.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, जिस वक्त मैंने अमेन्डमेन्ट पेश किया था उसके बाद यह क्लॉज़ संशोधित रूप से पास हो जाने के बाद ओरिजिनल क्लॉज़ ही बदल गया। ओरिजिनल क्लॉज़ जिस रूप में था उसके अमेन्ड होने से सब सेक्शन (२) और (५) बिल्कुल बदल गये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस क्लॉज़ को बाद में लिया जाय, इतने में इसको चेक-अप कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—बाद में लेने से गड़बड़ी हो जाती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी थोड़ी देर में इसको ले लेंगे। पहले १२६ ले लिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष, मेरे संशोधन क्लॉज़ १२६ पर हैं जो मूव नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज़ १२६ आज ही लिया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा—नहीं मैं कहता हूँ। मेरे संशोधन मूव नहीं हुए हैं इसलिये उनको मूव करना चाहता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—अब तो क्लॉज़ १२६ पर आ गये हैं।

खण्ड १२६

श्री अध्यक्ष—We continue. It is no use leaving one section and jumping over to the other. The whole Bill gets incomplete.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२६ जो मौजूदा टिनेन्सी कानून में है वह इस तरह है—

"Bar to suits and applications in certain cases."

इस हैड के नीचे मौजूदा जो क्लॉज़ है वह इस तरह से रीड करता है:—

"(1) Except as provided in sub-section (2) or sub-section (5) of section 124, no suit for arrears of rent shall lie in respect of the arears specified in a notice issued under the provisions of section 123 or in respect of any instalment of rent payable into court under the provisions of sectoin 124.

(2) No notice shall be issued under the provisions of section 123 in respec of an arear for the recovery of which a suit has been instituted under section 110 or section 114."

इसमें मेरे जो संशोधन हैं, वे अध्यक्ष महोदय, कॉंसीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट्स हैं। हमने क्लॉज़ १२३ और दूसरे ऊपर के क्लॉज़ेज़ जो पास किये हैं उन सबके इरादे का समावेश करने के लिये जो मामूली शब्दावली में तरमीमें हैं उनको मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। वे संशोधन ये हैं :

"In sub clause (1)

(i) Omit 'or sub-section (5)'

इसके द्वारा सब क्लॉज़ (५) हटाने के सम्बन्ध में संशोधन है :

सेकन्ड अमेन्डमेन्ट मेरा जो है वह इस प्रकार है :

"(ii) Omit 'or in respect of any instalment of rent payable into court undrt the provisions of section 124;"

Page No.58

[श्री नाथूराम मिर्धा]

ये दोनों तरमीमें कांसीक्वेन्शियल तरमीमें हैं क्योंकि क्लॉज़ १२४ के सब क्लॉज़ (५) को ही हटा दिया गया है पहले से ही, इसलिये यहां से भी इनको ओमिट करना लाजमी है।

श्री अध्यक्ष—Very clear.

श्री नाथूराम मिर्धा—इसके साथ साथ इन्सटालमेन्ट्स का जो जिक्र था वह नहीं रहा है, तो इसमें से भी इसको हटाना जरूरी है। मेरे ये अमेन्डमेन्ट्स कांन्सिक्वेनशियल हैं और बहुत टेक्नीकल हैं, इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—Then Mr Kapil Deo's amendment does not stand

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अमेन्डमेन्ट तो मैं अपने वापिस ले लूंगा लेकिन मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मौजूदा क्लॉज १२६ जिस तरह का है उसका मतलब यह है कि यदि क्लॉज़ १२३ के अन्तर्गत कोई नोटिस एरियर ऑफ रेन्ट का दिया गया है तो उसके बाद कोई सूट दायर नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी लैंड होल्डर का एरियर ऑफ रेन्ट बाकी है तो उसको रिअलाइज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो यह कि क्लॉज़ ११४ के अनुसार दावा कर दे और दूसरा यह कि क्लॉज़ १२३ के अनुसार नोटिस दे दे। मैं इसके बारे में यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि यदि वह दावा नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ नोटिस ही देना चाहते हैं और उनका यह ख्याल हो कि नोटिस से ही तस्फिया हो जायगा और यदि नोटिस से तस्फिया नहीं होता है और उनको दावा करने के लिये बाध्य होना पड़ता है तो यह क्या कानून है कि वह दावा नहीं कर सकता है। इसमें कहा गया है कि :

"Except as provided in subsection (2) or sub section (5) of section 124, no suit for arrears of rent shall lie in respect of the arrear specified in a notice issued under the provisions of sections 123 or in respect of......"

श्री अध्यक्ष—आगे का डिलीट कर दिया गया है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इन्सटालमेंट्स का प्रोविज़न हटा दिया है इसलिये यह डिलीट हो गया लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि मान लीजिये कि मेरा तीन साल या ढाई साल का एरियर बाकी है जिसके लिये मैंने नोटिस दिया और टिनेन्ट ने कंटेस्ट किया कि मेरे अन्दर एरियर नहीं है तो क्लॉज १२४ (२) के अनुसार कोर्ट फीस देने के बाद वह नोटिस सूट बन जायगा, लेकिन क्लॉज़ १२६ के अनुसार सूट नहीं लिया जायगा। मान लीजिये मैं शुरू में सूट नहीं करना चाहता और

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

नोटिस देना चाहता हूं और बाद में सूट करना चाहता हूं, तो जो फंडामेंटल राइट है क्लॉज़ ११४ के अनुसार उससे डिबार कैसे किया जा रहा है। यह कर दीजिये कि १२४ (२) के अनुसार कोर्ट फीस देकर दावा करता है तो ११४ के अनुसार दावा नहीं होगा। नोटिस देने से उसकी अहमियत ही चली गई और सूट करने से डिबार हो गया। नोटिस रेस जुडिकेटा नहीं है। मैंने नोटिस दिया और टिनेन्ट कंटेस्ट करता है तो मेरी मर्जी है कि मैं दावा पेश नहीं करूं, ६ महीने तक लॉ ऑफ लिमिटेशन मुझे इजाजत देता है। आप यह क्यों लाजमी रखते हैं कि मैं दावा करूं ही और अगर नहीं करूं तो डिबार हो जाऊंगा। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि समेरी रेमेडी है और दूसरी तरफ रेमेडी को काम में नहीं लाने देते। यह न्याय के विरुद्ध है और फंडामेन्टल प्रिन्सिपल्स के विरुद्ध है। यदि आप डिबार करेंगे तो अन्याय होगा। यदि नोटिस दिया है तो दावा नहीं कर सकता, यह प्रोविजन गलत है।

मैं माननीय मन्त्रीजी के सुझाव के लिये यह रखता हूं कि यह गलत प्रोविजन है। कल भी जब हम इसे डिस्कस कर रहे थे तो यह फाइनली डिस्कस नहीं हो सका और बहुत टाइम होने से लोग डिस्पर्स हो गये, नहीं तो कल भी मैंने यह डिस्कशन...

श्री अध्यक्ष—It is a query raised ? ऑल्टरनेटिव सजेशन है क्या ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इसमें यह कर दिया जाना चाहिये कि क्लॉज़ १२४ के सब क्लॉज़ की रेमेडी को अगर वह ऑप्ट कर लेता है तो उसको सूट करने का हक नहीं होना चाहिये और अगर इस रेमेडी को ऑप्ट नहीं करता है तो उसको सूट करने का हक होना चाहिये। इसलिए मेरी यही गुजारिश है।

श्री गोपलाल यादव—इसमें मुझे जो कुछ अर्ज करना है वह यह है कि यह जो आपका क्लॉज़ है १२३ : "Whenever rent due from a tenant is in arrear for two years or for a longer period..." तो अगर नोटिस दिया जायगा तो तब दिया जायगा कि दो साल या ज्यादा का रेंट ड्यू हो लेकिन मैं अपने टिनेन्ट में एक साल से ज्यादा रेंट नहीं छोड़ना चाहता। वह एक साल का रेंट नहीं देता है तो मैं उस पर दावा करता हूं, नोटिस को एवोइड कर सकता हूं, । रेंट की रेमेडी को एक साल के लिये भी दूर कर सकता हूं ? दो साल तक तो बिल्कुल बगैर रेंट के बैठा रहे इसलिये मिस्टर कपिलदेव ने कहा कि यह कर दिया जावे कि क्लॉज़ १२४ के सब क्लॉज़ (२) को, अवेल जो कर चुका है उसके लिये यह सूट बार्ड हो जायगा। आम तौर से सूट को बार्ड कर दें, यह नहीं हो सकता। यह तो हर एक का फंडामेंटल राइट है, सूट करने से किसी को बार्ड नहीं किया जा सकता, क्लॉज़ १२४ की सब क्लॉज़ (२) की रेमेडी को अवेल करने के बाद कोई सूट नहीं कर सकता।

श्री जवानसिंह—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक नोटिस देने का प्रोसीजर रखा जाता है उससे सूट बार्ड हो जाता हो, ऐसा अगर मानें तो यह गलत धारणा होगी। नोटिस इश्यू

[श्री जवानसिंह]

करने के बाद उस किसान को मौका मिलता है लगान के लिये कन्टेस्ट करने का । यह जो नोटिस देने का पॉवर दिया गया है इसके बाद वह कन्टेस्ट करता है तो सूट आप ही जारी हो जाता है । सूट फाइल होकर आता है, सूट वह फाइल करता है और नोटिस देता है तो नोटिस देने के बाद यह स्टेज आती है तो वह प्रोसिडिंग्स जो नोटिस देने के बाद रेकर्ड हुई हैं वह कैसे चेंज हो सकती हैं ? तो ऐसी सूरत में यह जो नया सुझाव है इसके माफिक किया गया तो यह इतना ही कारगर होगा जितना कि कारगर प्राइवेटली डाक में कागज डालते हैं, जो होता है ।

इसलिये मेरा खयाल है कि इस समय इस कदर जो है वही सही है ।

श्री अध्यक्ष—सही है ? It is itself sufficient.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—What is the concrete proposal कन्क्रीट सजेशन आ जाय तो अच्छा है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Should we differ it ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—By that time let him give it.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे को लेकर माननीय सदस्य, नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न एक सदन के सामने प्रस्तुत किया है और उन्होंने अपनी दलील में यह बात कही है कि हम एक फंडामेंटल राइट कोई इस क्लॉज के जरिये पेश करने जा रहे हैं जहां तक मैं समझ पाया माननीय अध्यक्ष, इस कानून के बनाने के वक्त यह इच्छा रहती है और रहनी चाहिये और यही कानून बनाने का बुनियादी सिद्धांत है कि जहां तक बने वहां तक हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ टिनेन्सी को एन्करेज नहीं करें ।

उन्होंने अपने भाषण के दौरान में यह दलील सदन के सामने प्रस्तुत की कि एक किसान जिसको कि क्लॉज १२३ के तहत नोटिस इस अमर का मिला है कि उसमें अमुक अमुक लगान की रकम बकाया है, उसको यह रकम अदा करनी चाहिए, फलां तारीख तक नहीं तो उसे बेदखल कर दिया जायगा और इसके बाद में अगर वह अदालत में हाजिर होकर वह कहता है कि मुझे यह रकम नहीं देनी है तो उसको हक है कि कोर्ट फीस इस सिलसिले में क्लॉज १२४ की सब क्लॉज (२) के नीचे दाखिल कर दे और वह कार्यवाही रेगुलर सूट में चालू हो जावेगी । यह मौजूदा कानून कहता

[श्री नाथूराम मिर्धा]

है। जो नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उनका यह कहना है कि इस दफा के रखने से यह दिक्कत आती है कि उस स्टेज में वह किसान कोर्ट फीस दाखिल नहीं करना चाहता और यदि यह चाहता है कि बाद में सूट करेगा तो सूट करने की किसी के लिए मनाई नहीं है। किसान में लगान बकाया है जो लैंड होल्डर है, जब इस स्टेज तक पहुँच जाता है, नोटिस को कार्यवाही हो जाती है, दो तीन दफा आना पड़ता है, उस स्टेज में कह दे कि मुझे तो उसको सूट के रूप में परिणत नहीं करना है। क्लॉज़ेज़ ११४ और ११० के नीचे सूट को करवाया है तो जितनी कार्यवाही इतने दिनों तक हुई वह बेकार जायगी और जो लिटिगेशन का खर्चा होगा और जो लिटिगेशन का खर्चा हुआ है वह फालतू जायगा और वापिस वह दुबारा १२४ के नीचे दावा कर सके। नोटिस के जरिये वह कर देता है कि कार्यवाही हो रही है उसी को सूट के रूप में परिणत करवा दे। इसके बाद उस पर रोक नहीं लगावे कि अगर उस कार्यवाही को सूट के रूप में परिणत नहीं करवावेगा तो फिर वह नया सूट लावे और फिर दो-चार महीने बाद कह दे कि मैं तो सूट के रूप में परिणत इस कार्यवाही को नहीं करना चाहता।

इसलिये इस क्लॉज की जो मंशा है वह ठीक है। एक स्टेज तक लिटिगेशन के पहुँचने के बाद बिना किसी कारण के ५—४ महीने बाद सूट करेगा तो इससे कोई काम हल नहीं होगा। किसी लिटिगेशन के एक स्टेज पर पहुँचने के बाद क्या स्वीट विल पर छोड़ना ठीक है? एक पर्टीक्युलर स्टेज पर चेंज करना न किसान के हित में होगा और न लैंड होल्डर के ही हित में होगा। इसलिए यह जैसा है वैसा ही रखा जावे।

श्री गोपीलाल यादव — I agree, it is correct.

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा— माननीय चेयरमेन, इसमें जो रेमेडी रखी गई है उसके सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सारा कन्फ्यूजन यह है कि रेमेडी तो उस सूरत में पैदा होती है जब हम इजेक्टमेंट का नोटिस दें और दूसरी रेमेडी, जब हम रेन्ट वसूल करना चाहें तब पैदा होती है। जब तक हम इजेक्टमेंट का नोटिस ही नहीं दें तब तक कोई दावा नहीं करता। इसलिए मैं यह कहूंगा कि चीजें दोनों होनी चाहिये। कभी हम इजेक्टमेंट करावें तो इस तरह का नोटिस दे दें और उसके बाद जो भी कानूनी कार्यवाही के बाद नतीजा हो, हो जावे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमको रेन्ट का दावा करने का हक नहीं हो और इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा जावे। कोई एक साल का रेन्ट किसी से लेना चाहता है तो जो कपिलदेवजी ने एमेंडमेंट मूव किया उसका रहना जरूरी हो जाता है। इसमें कोई मल्टीप्लिसीटी ऑफ सूट्स का प्रश्न नहीं है। कोई भी रेमडीज़ एक दूसरे से कोन्साइड करने वाली नहीं। रेन्ट का दावा अलग किया जाने के लिए कानून होना बहुत जरूरी है। इसलिए यह अमेंडमेंट जरूरी है।

श्री गोपीलाल यादव — On a point of order, Sir, इसके लिए रेमेडी प्रोविजन में दी हुई है :

[श्री गोपीलाल यादव]

"(2) No notice shall be issued under the provisions of section 123 in respect of an arrear for the recovery of which a suit has been instituted under section 110 or section 114."

वह क्लॉज़ ११० और ११४ की तहत ला सकता है। लेकिन जहां आप नोटिस दे देते हैं वहां इस प्रकार का दावा नहीं ला सकते हैं। इसमें कोई गलती हो गई थी।

श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा—यही मेरा मतलब है।

(श्री हरिकृष्ण व्यास एवं श्री श्रीदास गोयल एक साथ बोलने को खड़े हुए)

श्री सभापति (श्री गुलाबचन्द कासलीवाल)—Order please !

(श्री श्रीदास गोयल के बैठ जाने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—He has already taken his seat and I claim my right.

श्री सभापति—Let him speak first.

श्री श्रीदास गोयल—(बोलने के लिए खड़े हुए) I am very generous to him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is no particular point. माननीय चेयरमेन, श्री नाथूराम मिर्धा ने जो बताया वह दुरुस्त है। एक बात यह है कि फन्डामेंटल प्रिन्सिपल्ज़ का सवाल उठता ही नहीं। उसको रोका सिर्फ एक चीज से गया है और वह यह कि आप किसी मौके पर प्रोसीडिंग का एक हिस्सा शुरू कर दें और सामने वाली पार्टी को मजबूर करें कि डिफेन्ड के लिए जो भी करना हो करे और जब वह सामने आवे और अपनी बात बतावे तो आप इश्यू के डिटर्मिन होने से पीछे हट जावें। Then it shall be treated as your notice. यह मतलब है। नोटिस आपने इश्यू किया और अगर टिनेन्ट एडमिट करता है या एरियर नहीं होता, जैसा भी केस हो तो क्लॉज़ १२४ (१) एप्लाई किया जाता है: The Tehsildar shall pass an order. If the tenant appears and contests, यानि वह आए और यह कहे कि मुझे झूठा नोटिस दिया गया है, आपकी कोई रकम मुझमें बकाया नहीं है, उस समय कुछ कार्यवाही नहीं करें और बाद में कार्यवाही करें। अब यह क्लॉज़ जिस ढंग से है, उसका कहना यह है और उसके कहने की तरफ श्री कपिलदेवजी जरा ध्यान फरमावेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके ध्यान में सब बात आ जावेगी। जब सामने वाला आदमी आकर यह कहे कि कोई एरियर नहीं देना है, आप उस वक्त कोर्ट फीस जमा नहीं करा रहे हैं। अभी वह दावा करता है उससे अपोजिट पार्टी का कहना है कि मुझे कुछ नहीं देना है। अभी तो एवीडेन्स भी फ्रेश ही है, इश्यूज भी डिटर्मिन नहीं हुए हैं, किसी कारण से या दिल की धड़कन से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बहुत समय लग गया। टीनेन्ट कहता है कि एरियर ड्यू नहीं है और सामने वाला उस समय चुप्पी साध लेता है। जब वह एक बार चुप्पी साध लेता है तो फिर कोई सूट नहीं लाना चाहिये। मेरा यह खयाल है माननीय चेयरमेन, यह दुरुस्त है और हकीकत में हमारे सिविल लॉ आदि हैं उनमें भी प्रोविजन्स हैं और अगर उसके बारे में भी आप केवल सूट करते हैं तो वह 'in respect of interest not the rent.' है और उसकी डिक्री हो जावे तो उसके कुछ लीगल कोन्सीक्वेन्सेज़ फॉलो करते हैं। जो आदमी दावा करता है तो उसको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिये कि सामने वाला जो कहता है उसका जवाब देने के लिए तैयार रहे। अगर वह तैयार है तो it should be presumed that he has no case. This is the accepted principle.

इस माने में श्री कपिलदेव का जो संशोधन है वह वाजिब नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, इस चेप्टर में दो प्रकार का मार्ग अपनाया गया है : एरियर ऑफ रेन्ट एक तो १४४ के अन्तर्गत वसूल करता है और दूसरा समेरी रेमेडी जो १२३, १२४ और १२६ क्लॉज़ेज़ में भी संबन्धित है। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हम इसमें कुछ व्यवहारिकता से परे चले गये हैं। जहां तक श्री नाथूरामजी मिर्धा ने कहा है कि एक नोटिस जारी कर देता है और अपोजिट पार्टी कॉन्टेस्ट कर लेती है तो यह उचित मालूम होता है कि कॉन्टेस्ट करने वाले के मुकाबले में उसी वक्त कोर्ट फीस देकर क्यों न अन्तिम फैसला कर दिया जावे, जब कि दो वर्ष नोटिस के लिए मियाद है और तीन साल की मियाद एरियर ऑफ रेन्ट की है। अगर वह सूट करेगा और अपना जवाब पेश करे तो उसमें भी दो साल से ज्यादा समय लग जावेगा। नेचुरली यह व्यवहारिकता का मार्ग है और इसमें समय लगेगा। जब एक व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करा दिया जाता है तो कोई कारण नहीं होना चाहिये कि उसका अन्तिम निर्णय क्यों न किया जावे ? जब हमारा उद्देश्य खास तौर से मल्टीप्लिसिटीज़ ऑफ लिटीगेशन को डिस्करेज करने का है और वह भी इल्लिट्रेट मासेज़ में तो कोई वजह नहीं कि फिर हम क्लॉज़ ११४ के अन्दर ऐसी बात क्यों न रखें ? लॉ ऑफ लिमिटेशन के क्लॉज़ ५ और १३ भी काम में लिए जा सकते हैं मगर इसकी वजह से कॉम्प्ली-केसी को और बढ़ाना होगा। इसमें भी साल, डेढ़ साल लग जावेगा। इसके लिए मियाद तीन साल की है और उस कानून के माफिक मियाद के अन्दर अन्दर हमारी क्लेम मानी जा सकती है। मगर मल्टिप्लिसिटीज़ ऑफ लिटीगेशन से दोनों पार्टीज़ को बहुत ज्यादा समय और खर्चा लग जावेगा; जैसा माननीय मित्र श्री कपिलदेवजी ने कहा कि इस प्रकार की सुविधा क्लॉज़ ११४ में उसको रहनी चाहिये।

जब वह नोटिस देता है तो बाद में कोर्ट फीस देकर क्लेम नहीं करना, यह बात व्यवहारिकता से दूर है। क्लेम को उसी समय तय किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसा तो कोई अद्वितीय मस्तिष्क के इन्सान की जरूरत नहीं होती है कि जिसके लिए अद्वितीय मस्तिष्क रेमेडी सीक करे। कोर्ट फीस

[श्री श्रीदास गोयल]

कानून में भी यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति उस समय कोर्ट फीस अदा नहीं कर सकता है तो वह उस समय तो मामूली रु० ५) के स्टाम्प में दावा कर देता है और बाद में कोर्ट फीस विदिन ड्यु कोर्स ऑफ टाइम में जमा करा देता है। इसलिए कोर्ट फीस की भी कोई रुकावट हमारे सामने नहीं आती। ऐसी हालत में मौजूदा एमेंडमेंट जो श्री मिर्धाजी का है उसी तक सीमित रहना चाहिये। मेरे माननीय मित्र श्री गोपीलालजी यादव को भी कुछ मुगालता हो गया.... ...

माननीय यादवजी को थोड़ा मुगालता हुआ है। इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। १२६ वे सब क्लॉज़ में यह है कि :

"No notice shall be issued under the provisions of section 123 in respect of an arrear for the recovery of which a suit has been instituted under section 110 or section 114."

यह बिल्कुल जुदागाना है और इसका १२६ से या १२४ के सब क्लॉज़ (२) से सम्बन्ध नहीं है। १२६ और १२४ के सम्बन्ध में मिर्धाजी ने जो कहा है वह काफी एक्ज़ॉस्टिव है और उसको एन्करेज करना चाहिए ताकि किसान लोग भविष्य में बरबादी से बचें, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने एक संशोधन इस बात का रखा है कि जो क्लॉज़ १२३ के अन्दर नोटिस इश्यू हो जाय उसके बाद उसी क्लॉज़ के अन्दर सूट होना चाहिए और उसके बाद ११४ व ११० की रेमेडी नहीं रहती है। वह भी ओपन हैं, उसके लिये यहां पर बात कही गई है। मैं समझता हूँ कि जो संशोधन श्री मिर्धाजी द्वारा रखा गया है और जो यह मूल क्लॉज़ है उससे भी स्पष्ट जाहिर होता है कि यहां पर ११०, ११४ में प्रोसिडिंग्स चल रही है वहां १२३ में न चले और जहां यह चल रही है उसमें न जाय। एक प्रोसिजर एडॉप्ट किया जाय, यही इस क्लॉज़ में समावेश किया गया है और दोनों सब क्लॉज़ेज़ इस बात की ताइद करने वाले हैं। इसमें रख दें कि नोटिस इसमें दे और बाद में दावा करे तो उसमें करे। मैं समझता हूँ कि इसमें गुन्जाइश है। ऑपोचुर्निटीज़ कई हैं। नोटिस देने के बाद भी जरूरी नहीं हो जाता है। यहां भी रहता है। इस स्थिति में अलग अलग न कर जो कोन्सिस्टेंटली डील हो जाती है और श्री मिर्धाजी ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जायगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, जो दलीलें इस अमेंडमेंट के विरुद्ध दी गई हैं उस सम्बन्ध में मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन माननीय सदस्यों ने क्लॉज़ १२६ के सब क्लॉज़ (२) और (१) को गम्भीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न नहीं किया है।

सब क्लॉज़ (२) एक इन्डिपेन्डेन्ट क्लॉज़ है जिसमें कहा गया है कि ११४ के तहत सूट दायर कर दिया तो १२३ में नोटिस नहीं दिया जायगा। यह क्लीयर है कि तहकीकात हो जायगी

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

तो नोटिस नहीं दिया जायगा । सब क्लॉज़ (१) यह कहता है कि क्लॉज़ १२३ के तहत एरीयर्स ऑफ रेन्ट का नोटिस दिया है और टिनेन्ट ने महज कन्टेस्ट करने की कोशिश की है तो कोर्ट फीस देगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर वह कोर्ट फीस नहीं देता है तो क्या आपका कहना है कि उसकी सारी रेमेडीज़ बार्ड हो जाती हैं या उसको मजबूर करना चाहिए कि वह कोर्ट फीस दे। अगर आपकी मंशा यही है तो मैं कहूँगा कि दुनिया के किसी कानून में ऐसा नहीं है कि महज कोर्ट फीस न देने की वजह से तमाम रेमेडीज से उसको डिबार कर दिया जाय। मान लीजिये कि उसके पास उस वक्त कोर्ट फीस नहीं है। छः महीने के बाद जैसा कि उसको कानूनी हक मिला हुआ है, फिर आप उसको क्यों डिबार करते हैं ? टिनेन्ट कहता है कि देना बाकी है किन्तु इस वक्त नहीं दे सकता। उसके लिये तीन के बजाय छः साल की मयाद है। रेमेडी १२३ में दी है। ११४ में छः साल बाद दावा कर सकता है। एक टिनेन्ट आता है, लगान बाकी है, दावा नहीं करता है, कोर्ट फीस नहीं देता है, तीन साल के लिए और सब्र करता है, तो लिमिटेशन एक्ट के माफिक उसका एक्नॉलेज़मेन्ट हो जाता है। छः साल का दावा करेगा। आप उसको मजबूर करना चाहते हैं कि वह कोर्ट फीस दे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट का सिद्धान्त यहां एप्लाई नहीं होता है। टिनेन्ट कहता है कि बाकी नहीं, वह कन्टेस्ट करता है।

सबसे बड़ी बात है जो मुझे अर्ज करना है वह यह है कि कोर्ट का नोटिस नहीं।

"It is a notice by the Tehisldar in his executive capcity."

माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर, माननीय मिर्धा साहब और माननीय गोपीलालजी यादव जो आज दलीलें दे रहे हैं उन्होंने ही १२४ में कोर्ट शब्द को हटवा कर उसके स्थान पर तहसीलदार शब्द करवाया था और वे इसलिये कह रहे थे कि कोर्ट का फन्कशन नहीं है, एक्जीक्युटिव फन्कशन है। तहसीलदार कोर्ट नहीं है, एक्जीक्युटिव बॉडी है। यदि आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जब गवर्नमेंट का रेन्ट बाकी रहता है तो तहसीलदार नोटिस देता है, और कोर्ट ऑफ तहसीलदार नोटिस नहीं देती है, बल्कि तहसीलदार एज़ रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ गवर्नमेंट नोटिस देता है और यहां पर यदि कोर्ट फीस नहीं दी जाती है तो उसकी सारी रेमेडीज़ बार्ड हो जाती है। मैं आपको अर्ज करूंगा कि यह कानून के खिलाफ ही नहीं किन्तु भारतीय संविधान के भी खिलाफ जायगा। किसी व्यक्ति के जो फन्डामेन्टल राइट्स हैं उनको प्राप्त करने का उसका हक है मैं आपको एक मिसाल दूं कि किसी व्यक्ति के यहां चोरी हो जाती है तो चोरी करने की वजह से उसको सजा कराने का अधिकार है और उस व्यक्ति का यदि चोरी की गई कोई प्रोपर्टी गई है और नहीं मिली है तो कीमत का दावा करने का भी उसे अधिकार है इंडियन पीनल कोड में ऐसा प्रोविज़न नहीं लगा सकते हैं कि जिसकी वजह से वह कीमत का दावा नहीं कर सकता हो। आप उसके अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जो कि उसके फन्डामेन्टल राइट्स हैं।

आप यह कानून बना कर यह कहना चाहते हैं कि या तो यह चीज करें, नोटिस दे देगा और १२३ पर बहस होती है तो आप कहते हैं कि लिमिटेड रेमेडी देना चाहते हैं। लेन्ड होल्डर्स

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

और किसान को आप मौका देते हैं कि नोटिस पर ही वे फैसला करलें और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि हम लैन्ड होल्डर को सहूलियत देना चाहते हैं, एक ओर नोटिस पर फैसला करे और दूसरी ओर मजबूर करते हैं कि किसान फैसला नहीं करता है तो दावा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो सकती है नोटिस देने के बाद कि किसान को चार छः महीने बाद सद्बुद्धि आ जाय और वगैर लिटिगेशन के, कोर्ट में गये ही फैसला करले। उसके लिये आप उसमें बाधा क्यों करना चाहते हैं। तो उसको जहां टिनेन्ट ने यह कहा कि मेरे में बाकी नहीं है। वह कन्टेस्ट करना चाहता है, १२४ से मजबूर करना चाहते है कि वह कोर्ट फीस दे।

इसके साथ साथ यह भी इससे पता नहीं चलता है कि कब तक कोर्ट फीस नहीं देता है। मान लीजिये कि १२ महीने नहीं देता है, एरीयर्स बाकी हैं। माननीय चेयरमेन, आप इस पोज़िशन को समझने का प्रयत्न कीजिये, लैन्ड होल्डर नोटिस दे टिनेन्ट को, और वह कहता है कि लगान बाकी है किन्तु दे नहीं सकता है, और किसी आड़ पर कन्टेस्ट करता है तो वह प्रोसिडिंग्स सूट में परिणत हो जायंगी।

जब लेन्ड होल्डर ने हिदायत कर दी टिनेन्ट को प्रोपर कोर्ट फीस देने की तो वह कितने अर्से तक वह दे सकता है ? कौन सा रीज़नेबल टाइम है ? मान लीजिये टिनेन्ट कहता है कि उसकी मियाद चार साल की और बाकी है, तो आप उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं, चार साल पहले फीस देने के लिये।

इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि वह कोर्ट फीस कब अदा करे, How can you refuse it. कोनसे क्लॉज़ के तहत आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं ? जिन माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया वे इसके इम्पलीकेशन्स को देखें और समझने का प्रयत्न करें। जिन लोगों ने क्लॉज़ १३२ के खिलाफ जो बात कही है वे ही १२६ के बर खिलाफ बोलते हैं। मेरा राजस्व मंत्री से अनुरोध है कि वे इसको एक बार फिर देखें। इस पर गौर करना जरूरी है और आवश्यक है। कानून और न्याय इस बात की मांग करता है। वह इस रेमेडी से अलग नहीं हो सकते।

श्री सभापति—क्लॉज़ १२६ पर सदन में दो संशोधन उपस्थित हैं;

(१) श्री कपिलदेव और (२) श्री नाथूराम मिर्धा का।

प्रथम श्री कपिलदेव के संशोधन पर मत लिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि श्री कपिलदेव का संशोधन स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

[श्री सभापति]

श्री कपिलदेव का संशोधन गिर गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि श्री नाथूराम मिर्धा का संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री नाथूराम मिर्धा का संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२६, संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२७

श्री हरिकृष्ण व्यास—कपिलदेवजी खुद तो अपने अमेन्डमेन्ट के पक्ष में हैं या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, मेरा यह निवेदन है कि क्लॉज़ेज़ १२७ और १२८ पर अभी विचार स्थगित रखा जाय।

श्री सभापति—क्लॉज़ेज़ १२७ और १२८ पर विचार स्थगित रखा जाता है क्लॉज़ १२९।

क्लॉज़ १२९ पर श्री कपिलदेव का संशोधन है। श्री कपिलदेव अपना संशोधन उपस्थित करें। आपका संशोधन नं० ३०९ है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, इसमें मेरा एक छोटा सा संशोधन इस प्रकार है:

"In item (b) of sub-clause (I) for the word and figure 'Section 3' the words 'this Act' be substituted."

Page No.68

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

यह बिल्कुल टेक्निकल है। इसके बाद यह क्लॉज़ इस प्रकार हो जायगा।

"On the ground that he or any person holding from him has broken a condition, on the breach of which he is, by special contract which is not contrary to the provisions of this Act liable to be ejected:"

किसी भी प्रोविजन के खिलाफ है तो इसमें भी इजेक्ट हो सकता है। क्लॉज़ ४ के बजाय जो स्पेशल सेक्शन्स हैं वह इस सारे एक्ट को कवर अप करने के लिये हैं। इसमें कोई खास अहमियत नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I accept the amendment.

श्री सभापति—क्लॉज़ १२६ में श्री कपिलदेव का संशोधन सदन के सन्मुख प्रस्तुत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस पर वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री सभापति—आप बोलने के लिये देर से खड़े हुए। आपको बोलने के लिए जरूर समय दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, यह जो क्लॉज़ १२६ पर विचार हो रहा है यह मेरे खयाल से बहुत लिबरल और वाइड क्लॉज़ है और कम से कम इस रूप में तो इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये, ऐसी मेरी राय है।

मैं सबसे पहले क्लॉज़ १२६ के सब क्लॉज़ (१) के पार्ट (ए) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें यह लिखा है कि इजेक्टमेंट के अधिकार देने के सिलसिले में-

"A tenant shall, on the suit of the land-holder, be liable to ejectment from his holding..." for what ?

"(a) on the ground that the holding is being used for a purpose inconsistent with the purpose for which it was let."

पार्ट (ए) का आखिरी भाग। अब "inconsistent with the pur-pose for which it was let" यह किस इरादे से रखा गया है अथवा इसको रख कर कौनसा उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया? क्योंकि पहला पार्ट (ए) जो है उसमें यह लिखा है कि—

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"on the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding......" यह तो कवर हो चुका। अगर एक ऐसी पोजीशन आये माननीय चेयरमेन जिसमें एक एक्ट डेट्रीमेन्टल न हो लेकिन फिर भी फॉर्मली, टेक्निकली इसको इन्कॉन्सिटेन्ट कहते हैं। मसलन एक लेन्ड को लीजिये जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिये है, उसके कुछ हिस्से में कुछ क्रॉप की या कुछ को वेजीटेबल गार्डन बनाया। उस पर यह क्लेम किया जायगा कि यह तो क्रॉप्स रेज़ करने के लिये किया जाय। अब जिस चीज के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है तो "That is inconsistent with the purpose for which it was let," और महज टेक्निकल आधार पर इजेक्टमेंट की गुंजाइस पैदा हो जायगी। हकीकत यह है कि इससे कोई उस जमीन का नुकसान नहीं हुआ और न इजेक्टमेंट के लिये वेलिड रीज़न्स ही पैदा हुए। यह मैंने एक मिसाल के तौर पर अर्ज किया। आप देखेंगे "on the ground of any act or omission" यानी "ओमीशन" शब्द इस्तेमाल किया गया है। जहां तक मेरा खयाल है ओमीशन के लिये पहले तभी पेनेल्टी प्रेसक्राइब की जा सकती है जब तक कि वह wilful or beyond his control न हो अब यहां इस ढंग से 'omission' को इस्तेमाल किया गया है जिसका अगर कानूनी मतलब निकालने लगें तो काफी बड़ी मात्रा में टीनेन्ट्स को इजेक्ट करने की गुंजाइश पैदा हो सकती है। मान लीजिये एक किसान का खेत है और उसके पास से एक नाला बहता है और वह उस पर डाइ बनाना चाहता है, किन्तु उस टिनेन्ट की माली हालत ठीक नहीं, साधन नहीं है उसकी इच्छा होते हुए भी तो He will not be able to do it वह नहीं कर पायेगा।

This will be an act of omission, wllful omission नहीं होगा, मेलाफाइडी इन्टेन्शन से ओमीशन नहीं होगा, पर ओमीशन जरूर होगा और यहां पर ओमीशन को पेनेलाइज़ किया जा रहा है। वे केवल ओमीशन के आधार पर इजेक्टमेन्ट करेंगे। मैं इसके लिए दूसरा दृष्टान्त दूं। अगर ओमीशन को सख्ती से लिया जावे तो किसी भी जमीन को या तो पूरी मात्रा में खाद दिया जावे या फिर एक साल के लिए उसे पड़त रक्खा जावे। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की राय की बिना पर यह कहा जा सकता है कि यह इस जमीन को ठीक तरह से रखने के लिए आवश्यक है। अगर खाद नहीं दे सका कोई टिनेन्ट तो it will be claimed that it is an omission detrimental to the land. पड़त जमीन नहीं रक्खी जावे, यह ओमीशन नहीं। It is an omissim which is detrimental to the land. यदि ओमीशन शब्द में से उसकी कन्डीशन को बाहर जाने वाली चीज को एक्सक्लूड नहीं करते हैं तो ... absolute theoritical standard set हो जावेगा which is detri mental to the land? तो इस दृष्टि से भी हम देखें तो यह धारा बहुत वाइड होती है और इसके आगे पार्ट (बी) जो है वह पार्ट (बी) एक विचित्र प्रकार का पार्ट है कि जिसे अगर बहुत ही मोडरेट रुप से इन्टरप्रेट किया जावे तो It will be a redundant part.

(श्री हिम्मत सिंह अररू, सभापति, पदासीन)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

लेकिन कोर्ट यह मानकर चलेगी, अगर आप इसको इस क्लॉज़ में रहने देंगे। जब लेजिस्लेचर ने बावजूद इस कारण के कि यह एक रिडन्डेन्ट पार्ट है इसको यहां रक्खा है तो लेजिस्लेचर का यह इन्टेन्शन होगा, फिर चाहे हमारा इन्टेन्शन यह हो या नहीं, हमने इस पर पूरी तरह से विचार किया हो या नहीं, हमने अपना दिमाग इस पर एप्लॉई किया हो या नहीं, पर कोर्ट तो इस लेजिस्लेचर को एक बहुत ही अक्लमन्द हाउस मानकर यह प्रिज़्यम करेगा कि इस पार्ट को हमने कुछ सोच समझ कर ही रक्खा होगा। क्यों मैं यह अर्ज करता हूं? जिस जिस जगह और जिस जिस कारण की वजह से इजेक्टमेन्ट होने की गुंजाइश पैदा होती है वहां वहां सेपरेट प्रोवीजन कर दिया गया है। यदि कोई रेन्ट न दे तो उसके इजेक्टमेन्ट की गुंजाइश इस तरह से आपने पैदा कर दी है, यदि कोई और दूसरी प्रकार से उसका मिसयूज़ करे तो इजेक्टमेन्ट के लिए गुंजाइश पैदा कर दी है, खाद अगर नहीं दे सके तो इस पर भी इजेक्टमेन्ट के लिए गुंजाइश पैदा कर दी गई है। इस पूरे एक्ट में किन किन ग्राउन्ड्स पर इजेक्टमेंट हो सकता है यह जगह जगह स्पष्ट कर दिया गया है और इसके बाद कम से कम तीस क्लॉज़ इस सम्बन्ध में काफी इधर उधर से सोच विचार कर पास करने के बाद, उनके एक एक शब्द को तोल तोल कर अपनी समझ के मुताबिक खूब झगड़ा और बहस करने के बाद अब क्लॉज़ १२६ फिर ऐसा रक्खा जा रहा है कि जिसके माने यह होंगे कि जहां जहां आपने इजेक्टमेन्ट के लिए स्पेसिफिक पर्मिशन दी है उस स्पेसिफिक पर्मिशन को तो कोर्ट मान लेगी। यह भी स्पेसिफिक है।

" 129 applies to cases other than those." को कोर्ट प्रिज़्यूम करेगा तो उसके मुतल्लिक यह होगा on any clumsy, flimsy, inconceivable and flivial groundan application for ejectment wil be made.

क्या इससे यह मंशा है हमारी कि हम इजेक्टमेन्ट के सिलसिले में एक ऐसा ओम्नीबस प्रोवीजन रक्खें कि किसी को कभी भी कोई भी ग्राउन्ड की बिना पर इजेक्टमेन्ट की एप्लीकेशन लाने का अधिकार हो।

कहा यह गया है कि ऐसा एग्रीमेन्ट जो होगा, जहां इस प्रकार का कन्ट्रॉक्ट होगा तो वहां यह पार्ट एप्लाई नहीं करेंगे। मैं दावत देता हूं उनको जिन्होंने यह संशोधन रक्खा है कि वे एक ऐसी मिसाल तो बतावें कि नार्मल कन्डीशन में, किसी का दिमाग क्रेक हो उसके सिलसिले में नहीं, पर नार्मल कन्डीशन में ·····

श्री कपिलदेव अग्रवाल—दिमाग नॉर्मल कन्डीशन में या एटमोस्फीयर नार्मल कन्डीशन में?

श्री हरिकृष्ण व्यास—एटमोस्फीयर तो नॉर्मल ही रहता है, अलबत्ता दिमाग का सवाल है क्योंकि वह कभी नार्मल कन्डीशन में से बाहर निकल जाता है। तो अर्ज कर रहा था कि एकाध ऐसी मिसाल तो वे प्रस्तुत करें कि इस एक्ट के अन्दर जो जो चीजें दर्ज हैं इसके अलावा कौनसे

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

ग्राउन्ड्स पर कोई इजेक्टमेन्ट कैसे कर पावेंगे या एग्रीमेन्ट में कौनसी ऐसी शर्त लगा दी है जिससे आप उसको इजेक्ट कर देंगे ? तो यह एब्सर्ड सी चीज है । वहां भी एब्सर्डिटी रह जावेगी, जो इस क्लॉज से कतई सम्बन्धित नहीं कही जा सकती । अगर मानलीजिये एग्रीमेन्ट मे कोई ऐसी शर्त लगा दे कि अगर तुमने कोई दूसरा बिजनेस किया, 'If you do any other business except agriculture on this holding तो फिर हम वापिस जमीन तुमसे ले लेंगे । इस शर्त पर एग्रीकल्चरिस्ट को जमीन दी गई ।

That is not inconsistent with the provisions of this Act. क्योंकि इस चीज़ का प्रश्न ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है इसका इस कानून से । तो इस वजह से....

श्री कपिलदेव—That is inconsistent with the Indian Constitution. इन्डियन कान्स्टीट्यूशन से तो है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—शर्तनामा inconsistent wich the indian eonstitution होगा तो इस वजह से....

This act is an absurd proposition. you can say. Legally it is not in consistent with any law. And some absurd propositions also if they take place, then the fact that there is an absured agreement, this of course is silly, but tha Legislature has permitted ejectment on such absurd agreements is more silly.

तो हमें यह सोचना है कि जिसका खेती से कोई ताल्लुक न हो, जिसका न्याय से कोई सम्बन्ध न हो, वकील के नज़दीक जाने का कभी मौका नहीं आया हो, ऐसी किसी एग्रीमेन्ट की शर्त का वह पाबन्द नहीं हो सकता । आप यह नहीं कह सकते कि चूंकि उसने उस पर अपना अंगूठा कर दिया है इसलिये वह बाध्य है, इससे तो यह उचित नहीं है । काश्तकार का विचार जमीन लेना होता है । वह तो उस पर बिना पढ़े अंगूठा कर देगा क्योंकि वह यह तो जानता है कि अगर जमीन लूंगा तो एग्रीमेन्ट तो लिखाया जावेगा ,वह उसकी चाल को नहीं समझ सकता । तो इस तरह से अंगूठा लेकर और एग्रीमेन्ट कराकर बाद में इस क्लॉज १२६ वें के मातहत वह इजेक्टमेन्ट के लिये गलती करेगा और वह कहेगा कि इसे इजेक्ट करो, क्योंकि एग्रीमेन्ट के इस क्लॉज़ को तुमने वायोलेट किया है । क्योंकि उसने एग्रीमेन्ट के किसी क्लॉज़ को वायोलेट किया है इसलिये इजेक्टमेन्ट किया जावे तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सही तौर पर सोचें तो इसकी कोई जरूरत नहीं । जहां जहां इजेक्टमेन्ट की जरूरत हुई वहां वहां हमने प्रोविजन कर दिया । इसके अलावा इस प्रकार की चीजों की यहां रोक होनी चाहिये ।

"Normally there is no ejectement except where permitted."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कभी भी जहां तक इस एक्ट के मालिक इजाजत न दी गई हो तब तक इजेक्टमेन्ट न किया जावे। यह अगर सदन की मंशा है तो क्लॉज १२६ उस मंशा के खिलाफ जाता है और इस विश्वास से मैं यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस पर आप गम्भीरता से विचार करें।

माननीय रेवेन्यू मंत्री जी ने जब जब इस प्रश्न पर अपने विचार रक्खे हैं या उधर बैठने वाले मेरे माननीय मित्रों ने तकरीरें की हैं तब तब उन्हें यह कहा है कि हमारी यह मंशा है कि इजेक्टमेन्ट के ऊपर पाबन्दी लगे। पर्मिशन्स स्पेसिफिक हों तभी इजेक्टमेन्ट हो सकेगा। तो अब स्पैसिफिक पर्मिशन से जनरल पर्मिशन की ओर जाना और वह भी ओमनीबस पर्मिशन का देना, इन सारी की सारी बातों को देख कर मैं तो यही कहूंगा कि यह सही मंशा से दूर हटने जैसी बात है। यह ओमनीबस पर्मिशन किसान की करीब करीब रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाली क्लॉज़ है, इसलिये मैं फिर माननीय राजस्व मंत्री महोदय से और इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल से इसको कतई हटा दिया जावे, इसे पास नहीं किया जावे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जावेगा।

यह संशोधन हाउस को मैंने अभी लिखकर नहीं दिया है। अभी दे दूंगा। इस रूलिंग के जरिये भी और वैसे भी एट दी इलेवन्थ आवर संशोधन दिये जाने की जो बात होती रही है उस ट्रेडीशन को अब तक कायम रक्खा जावेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं संशोधन को लिखकर अभी देता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, यह क्लॉज़ १२६ इजेक्टमेंट से सम्बन्ध रखने वाला है :

"Ejectment for detrimental act or omission."

सबसे पहले तो मेरे माननीय मित्र, श्री हरिकृष्ण व्यास ने कहा है कि इसे डिलीट कर दिया जावे तो मैं उनका विरोध करना चाहता हूं और इसमें क्यों यह क्लॉज़ रक्खा जाना जरूरी है इसके संबन्ध में कुछ बातें बताना चाहता हूं।

"On the ground of any act or omission detrimental to the land or holding" इसके यह माने नहीं हैं कि अगर हम इजेक्टमेंट का कोई क्लॉज़ रखते हैं तो आम तौर से किसान ही इजेक्ट होगा। इसका मतलब यह है कि किसान को जमीन दी और इसलिए दी कि वह उस पर खेती करे, पर वह खेती करने के बजाय उसमें लगाता है ईंटों का भट्टा तो एक जो एक्ट है उसके खिलाफ यह बात है, कुछ मेरा कन्ट्राक्ट है उसके साथ, उसके भी खिलाफ है और जमीन के लिये भी यह वर्ड-ट्रिमेंटल है ऐसा माना जावेगा कि वह किसान नहीं बल्कि सौदागर बनना चाहता है ईंटों का। जब वह किसान नहीं रहता और ऐसा एक्ट करता है जो कि जमीन के लिए डेट्रीमेंटल ही नहीं है बल्कि मेरा जो

[श्री गोपीलाल यादव]

कंट्राक्ट है, जो कि क्लॉज़ (२) में दिया हुआ है उस पर भी आंच आती है। तो क्यों नहीं उसको इजेक्ट किया जाय? तो मुझे निवेदन करना यह है कि यह क्लॉज़ इजेक्ट करने के लिए नहीं है। यह क्लॉज़ उन लोगों को इजेक्ट करने के लिए है जो जमीन लेकर उस जमीन से फायदा नहीं उठाना चाहते, बल्कि उसमें दूसरे काम शुरू कर देते हैं और जिनका कि खेती से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अब रह गया यह कि ओमीशन की वजह से खाद नहीं डाले तो एक आदमी इजेक्ट हो जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद नहीं डालना, यह एक ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि डेट्रीमेंटल समझा जाय कोर्ट की निगाह में क्योंकि लैंड का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर कोई काश्तकार उसकी लैंड में खाद नहीं डालेगा तो अपनी फसल को खराब करेगा। जहां १० मन बीघा पैदा होने वाली है वहां ४ मन एक बीघा में पैदा होगी। वह अपना नुकसान कर रहा है। खाद डालकर वह अच्छी पैदा ले सकता है। ऐसा नहीं कि खाद डालने का ऐसा काम नहीं माना जा सकता है कि जिसके नहीं करने पर कोर्ट किसी काश्तकार को इजेक्ट कर दें। लेकिन अगर उसमें भट्टा लगा ले तो वह ऐसा एक्ट माना जा सकता है, ओमीशन का कि उसको इजेक्ट किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्लॉज़ इजेक्ट करने के लिए नहीं है काश्तकार को, बल्कि जमीन के मिसयूज़ को रोकने के लिए है।

अब एक ऐसा उदाहरण देता हूं जैसा कि एक माननीय मित्र ने बताया था कि एक नाला जा रहा है उससे हर साल उसके खेत का एक हिस्सा कटता है। एक काश्तकार जमीन देता है इस शर्त पर कि तुम इस पर बान्ध बना दो, इसको रोको या थोडी सी पक्की चीज बना दो जिससे पानी निकल जाय और जमीन कटनी बन्द हो जाय। अगर तुम यह चीज कर लेते हो तो जमीन देता हूं वर्ना नहीं। यह एक ऐसी अच्छी शर्त है जो कि इस एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ नहीं है। वह मान लेता है। मानकर जमीन ले लेता है और जमीन लेने के बाद कुछ नहीं करता है और वह नाला जमीन को तोड़ता हुआ चला जाता है यानी जिस वक्त उसने वह जमीन दी थी तो उस वक्त ३। ४ थी अब आधी या एक चैथाई रह गई और २। ३ पानी में बह गई। यह एक्सप्रेस्ड कंट्राक्ट है जो कि इस एक्ट की प्रोवीजन्स के खिलाफ नहीं है इसलिए इन धाराओं के रखे जाने की निहायत जरूरत है, और इन धाराओं की वजह से कोई किसान बेदखल कतई नहीं होगा। बेदखल होगा वही जो कि वास्तव में किसान नहीं है और जो जमीन को गलत इस्तेमाल करना चाहता है।

अब दूसरी चीज, जो कि मेरे माननीय मित्र कपिलदेव ने रखी है, सेक्शन ३ की जगह 'दिस एक्ट' कर दिया जाय, इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर लेना चाहता हूं कि सेक्शन के मायने ही 'दिस एक्ट' के हैं। इसमें बड़ी क्लियरली दिया हुआ है क्लॉज़ ३ में। क्लॉज़ ३ में जो चीज है वह देखिये :

[श्री मोतीलाल यादव]

'Restriction on certain agreements:- Every agreement, whether made before or after the commencement of this act, which purports, or would operate, to restrict a tenant from enforcing or exercising any right conferred on or secured to him by this Act, shall be void to that extent."

तो क्लॉज़ ३ जो है वह सारे एग्रीमेंट्स को कवर करता है जो कि इस एक्ट के प्रोवीजन्स के खिलाफ है। इस एक्ट की प्रोवीजन्स के खिलाफ अगर कोई कॉन्ट्रेक्ट किया जाय तो that is void इसलिये यहां 'दिस एक्ट' लगाने के बजाय सेक्शन ३ लगाना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सेक्शन ३ से वह पर्पज़ सर्व हो जाता है और जब कि सेक्शन में क्लियरली यह चीज कर दी कि कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रेक्ट वॉयड होगा जो कि इन प्रोविज़न्स के खिलाफ हों। जहां कॉन्ट्रेक्ट और एग्रीमेंट का जिक्र किया गया है वहां सेक्शन ३ को रेफर करता है। क्लॉज़ ३ कॉन्ट्रेक्ट और एग्रीमेंट्स को गवर्न करता है, उसमें साफ लिखा है कि सारे एक्ट में जो प्रोविजन्स हैं अगर कोई कॉन्ट्रेक्ट या एग्रीमेंट उनके खिलाफ होगा तो वह वॉइड होगा। इसलिये यहां 'दिस एक्ट' लिखने के बजाय 'सेक्शन ३' लिखना ही करेक्ट है। सेक्शन ३ ही यहां पर रहना चाहिए।

श्री **सोहनलाल भटनागर**—माननीय चेयरमेन, जो इसमें यह बताया गया है कि कोई डेट्रीमेन्टल एक्ट किया जाय उसके बारे में उसको इजेक्ट किया जाय। वह माना जाय, लेकिन ओमीशन के बारे में जो कहा गया कि ऐसा ओमीशन हो जो कि डेट्रीमेन्टल हो तो उसकी वजह से उसे इजेक्ट किया जायगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा रखना बड़ा ही खतरनाक है। अभी एक उदाहरण दिया गया है वह ठीक हो सकता है, लेकिन मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करूंगा जिसमें किसान की गलती नहीं होने पर भी एक ऐसा ओमीशन हो सकता है कि जिससे वह जमीन बरबाद हो जायगी तो उस पर उसको बेदखल कर दिया जायगा। मैं एक उदाहरण रखता हूं। मान लीजिए, एक किसान खेती कर रहा है। तालाब वहां पहले से मौजूद है। वहां एक नहर निकलती है और नहर निकलने से काफी सीपेज होगा जिससे कि जमीन बरबाद होगी। सीपेज को खातेदार टिनेन्ट ठीक नहीं कर सकता है और बिल्कुल जमीन खराब हो जाती है और वह जमीन अच्छी उपज नहीं देती। ऐसी सूरत में वह लेन्ड होल्डर यह कहे कि यह एक ऐसा ओमीशन है जो कि उस जमीन के लिए डेट्रीमेंटल हुआ है इसलिए बेदखल कर दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय चेयरमेन, यह चीज जो आवश्यक है कि उसकी खराबी जो है कि सीपेज को बन्द कर दे या नहर खोद दे तो ऐसे ही सीपेज खत्म नहीं हो सकता है। तो ऐसी सूरत में बिना किसी कारण के बेदखल कर दिया जायगा। ऐसी सूरत में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक्ट वाला और ओमीशन वाला भाग कम से कम निकाल दिया जाय।

श्री **मोतीलाल चौधरी**—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १२९ को अगर पढ़ते हैं और अगर इस चेप्टर को देखते हैं तो मुझे यह फील होता है कि इस एक्ट को बनाते समय ड्राफ्टिंग के

[श्री मोतीलाल चौधरी]

समय उनके दिमाग में यह रहा होगा कि इजेक्टमेंट किया जायगा तो क्या क्या ग्राउन्ड्स ढूंढे जांय। किसी एक काश्तकार को खेत से निकालने के लिए, इजेक्टमेंट करने के लिए ग्राउन्ड ढूंढे गए हैं कि उसको किस तरह से निकालें। इसलिए वह ग्राउन्ड ढूंढकर कलेक्ट किये गये हैं। प्रिन्सिपल इसके पीछे नहीं है कि क्यों निकाला जाय। यह ढूंढे गए हैं। बैठे बैठे सोचे गये हैं कि काश्तकार खेत से किन किन ग्राउन्डस पर निकाला जाय। एक तरफ यह कहा जाता है कि काश्तकार को खेत से नहीं निकाला जाय लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि बैठे बैठे सोचा गया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं काश्तकार को खेत से निकालने के ? उन ग्राउन्ड्स को ढूंढकर इजेक्टमेंट का चेप्टर निकाला है। अगर इजेक्टमेंट का चेप्टर रखें तो क्या रखें ? मैंने कल इसका विरोध किया था कि एरियर्स ऑफ रेन्ट के कारण इजेक्टमेंट नहीं किया जाय और यह भी कहा था कि इजेक्टमेंट कतई नहीं किया जाय। कई सदस्यों ने कहा था कि अगर एरियर्स ऑफ रेन्ट पे नहीं करें तो फिर किस ग्राउन्ड पर उसको इजेक्ट किया जायगा। इसका मतलब यह है कि इजेक्टमेंट तो किया जाय लेकिन उसके लिए ग्राउन्ड ढूंढे जांय। मैं माननीय चेयरमेन, हाउस से निवेदन करूंगा कि वह अपने दिमाग में यह नहीं बैठा रखें कि खातेदार को इजेक्ट करना है, इसलिए दिमाग में यह नहीं सोचें कि इजेक्टमेंट करने का कोई रास्ता हो। इस क्लॉज़ से साफ जाहिर होता है कि कोई रास्ता नहीं मिला तो उसको कचहरियों में दौड़ाने के लिए इस क्लॉज़ को रख दिया ताकि लैंड होल्डर और काश्तकार आपस में लड़ें और कचहरियों में भागें। यह भी मानते हैं और कोई भी किसान जो खेती से अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालता है और जमीन के ऊपर ही उसका सब कुछ निर्भर है, जानबूझकर उस जमीन का नुकसान करना कभी नहीं चाहेगा क्योंकि जमीन का नुकसान करने से उसको कोई स्वर्ग नहीं मिल जायगा। खेत का नुकसान करेगा तो उसको खुद को रोटी नहीं मिलेगी और उसके खुद के परिवार व बालबच्चों का पालन करने के लिये उसके पास कोई जरिया नहीं रह जायगा। वह नुकसान तब कर सकता है जब उसके दिल में बदमाशी आ जाय तो वह भट्टा पैदा कर सकता है। मैं हाउस में वातावरण का उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस समय लैंड लोर्ड की जमीन को ट्रान्सफर करके उससे फायदा उठाया जाने के बारे में प्रश्न उठाया गया था उस समय यह कहा गया था कि शायद ही किसी लैंड लोर्ड के दिमाग में ऐसी भावना आयगी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप आज यह संभावना क्यों करते है कि लैंड लोड की जमीन को नुकसान पहुंचाने के लिये किसान उसमें भट्टे बनायेंगे, खड्डा खोदेंगे या उसका और तरह से नुकसान करेंगे। वह ऐसा तभी कर सकेगा जब कि उसकी पैदावार का जरिया कोई दूसरा होगा। काश्तकार की जिन्दगी ही जमीन पर निर्भर करती है और उसी के जरिये वह अपना पेट पालता है। ऐसी हालत में वह कभी नहीं चाहेगा कि वह जमीन का नुकसान करे। यह बात आपके दिमाग में आती ही क्यों है।

दूसरी बात यह है कि इस क्लॉज़ के बारे में यह सोचा नहीं गया होगा कि खातेदारी राइट और लैंड लोर्ड में क्या डिफरेन्स है। एक तरफ आप मानते हैं कि खातेदार इज़ एन ओनर ऑफ लैंड, हो इज दी प्रोप्राइटर ऑफ लैंड। वह लैंड को बेच सकता है, मोर्टगेज कर सकता है।

[श्री मोतीलाल चौधरी]

दूसरी ओर यह कहते है कि:"On the ground of any act or omisson detrimental to the land..." आप के दिमाग में यह बात है कि Land lord is an owner of land, it is wrong. खातेदारी राइट मिलने के बाद ही he is an owner of land. उस जमीन का मालिक खातेदार हैं न कि लेंड होल्डर। landholder is the person who can claim some tax on land and that tax is on land. तब आप यह मानते हैं और यह मंजूर किया है कि खातेदार टिनेन्ट को राइट दिया है कि वह जमीन को बेच सकता है, मोर्टगेज कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, तथा और कुछ भी कर सकता है

अब पहले सब क्लॉज़ में इस प्रकार किया है कि"any act or omission detrimental to the land-ओमिशन जैसा कि अभी श्री सोहनलालजी ने कहा यह कत्तई नहीं रहना चाहिये। वास्तव में यह नहीं रहना चाहिये। जैसा उदाहरण दिया नगर (कॉन्स्टिट्युएन्सी) से आने वाले माननीय सदस्य ने कि इस तरह से ओमिशन हो जायगा तो नुकसान होगा जमीन को। यह हम मानते हैं कि grow more foot for national cause के लिये खेती नहीं करेगा और दूसरा काम करेगा तो उस को निकाल सकते हैं। After passing this bill the landlord is no more in the picture खाली लेंड लोर्ड टिनेन्ट से रेन्ट ले और कुछ नहीं। खातेदार बनने के बाद और रिज़म्पशन जागीर के बाद खातेदार टिनेन्ट के डाइरेक्ट रिलेशन्स गवर्नमेन्ट से रहेंगे। कोई उससे इजेक्टमेन्ट नहीं करा सकता सिवाय इसके कि नेशनल कॉज़ में गड़बड़ करे तो इजेक्टमेन्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरे कारणों से कत्तई नही कराया जा सकता। मैं आपको उदाहरण दूं कि किसी शहर में मेरी जमीन है, मैं खातेदार हूँ। मैं उस पर मकान बनाना चाहूगा। मैं यदि मकान दहीं बनाता तो क्या आप मुझे निकाल सकते है और बनाना चाहूं तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं मकान नहीं बना सकता? यदि मैं मकान के बजाय झोंपडी बनाता हूँ या गार्डन लगाता हूँ तो आप मुझे मना नहीं कर सकते। सिमिलरली आप ओनर ऑफ लैंड खातेदार को निकाल नहीं सकते। सिर्फ उस हालत में निकाल सकते हैं जब कि वह नेशनल अहित करे। जमीन को डेट्रिमेन्ट करे तो आप एक्शन ले सकते हैं। यदि आप इसको मेन्शन करदें कि डेट्रिमेन्ट इन कारणों से हो सकता है, यह मेन्शन कर दें तो अच्छा रहे। यदि चेप्टर में यह लिखेंगे :

"On the ground of any act or ground detrimental to tne land.........."

यदि आप यह लिखदें कि भट्टा नहीं कर सकता, ईंटें नहीं पका सकता, खड्डा नहीं खोद सकता तो ठीक रहेगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। टिड्डियें आती हैं, उनको मारने के लिए खड्डे खोदने पड़ते हैं, पाउडर डालना पड़ता है। यदि इसको भी लैंड के लिये डेट्रिमेंटल कहा जाय तो क्या हो? यदि कोई अधिकारी यह समझ कर इजेक्टमेंट करदे की खड्डे खोदे गये हैं तो यह ठीक नहीं रहेगा। यह क्लॉज़ बनने के बाद किसी को रोक नहीं सकते, यह कहने से कि डेट्रिमेंटल क्या है। यदि आपको करना ही हैं तो मेन्शन करदें कि भट्टे करना, ईंटे करना, खड्डे खोदना आदि ये ये बातें डेट्रिमेंटल होंगी। ओन दि ग्राउन्ड शब्द रहता है तो उसका इन्टरप्रिटेशन करना जज पर डिपेन्ड करेगा, अधिकारियों पर डिपेन्ड करेगा कि वे उसकी परिभाषा क्या लें?

[श्री मोतीलाल चौधरी]

दूसरा इसमें जो प्रोविजन दिया है उसमें आया है कि ;

"Provided that the planting of trees or the making of an improvement in accordance with the provisions of this Act shall not constitute a ground for ejectment under this section" इसमें प्लान्टिंग ऑफ ट्रीज़ के लिए डेट्रिमेंट नहीं मानते हैं, तो फिर किस एक्ट को डेटरिमेंटल मानते हैं। इसको सोच-विचार कर इसमें मेन्शन करना चाहिये। माननीय चेयरमेन, यह मेरा सुझाव है। मेरा इस क्लॉज़ पर कोई अमेंडमेंट नहीं है, डेट्रिमेंटल किस दृष्टिकोण से रखा जाय उसको मेंशन कर दें कि इस चीज को डेट्रिमेंटल मानते हैं, जिन एक्ट्स को करने से कि उसको निकाला जा सकता है। मान लीजिये एक आदमी अपने खेत में कूआ खोदता है। उसका कूआ खोदना बीच में ही रह जाता है क्योंकि ४० फीट गहरा खोदने के बाद उसके पास के रुपये सब खर्च हो जाते हैं और रुपयों के अभाव में उसका इंप्रूवमेंट पूरा नहीं हुआ या यों समझ लीजिये कि कुछ दूर तक खोदने के बाद बीच में पत्थर आ गये और पानी नहीं निकल पाया, तो भी उसका इंप्रूवमेंट तो पूरा नहीं हुआ। तो उसको भी डेट्रिमेंटल में ले सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह मेन्शन कर दिया जाय कि डेट्रिमेंटल इन इन सूरतों में माना जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ; actually Khatedar is on owner of the land, and the land hoder इस लए लैंडलोर्ड की एप्लीकेशन पर बेदखल किया जाय, यह गलत होगा। जो संशोधन जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको डिलीट किया जाय। इस क्लॉज़ को रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप रखना ही चाहते हैं तो यह जरूर लिखदें कि ये ये एक्ट्स डेट्रिमेंटल माने जायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Speaker, Sir, if the Act of 1935 gave full rights of Self-Government then I can say that this Tenancy legislation is conferring full and fre right on the tenant. If that was a measure to specify a place of independence then this Bill is the same Bill that satisfied their demand for free and fullest right to play their fullest role in the construction of our national economy. We are told that we are progressive. No doubt, Sir, when we enacted the measure to abolish feudalism, we were progressive. But then, Sir, progress is spiral and it does not move straight. Progress was explained by one of the communist leaders as 'one step forward and two steps backward'. This is we are...

श्री हरिकृष्ण व्यास—That incidentally is wrong.

श्री श्री भानसिंह—We are taking two steps bacward. In this Bill we have adopted the principle of ejectment, we have accepted the principle of sub-letting, we have placed rent at a very high level but our progressive minds were not satisfied

Page No.78

[श्री श्रीमानसिंह]

with so much. They had in it made provision for feudals' compensation. After all from where that compensation would come? who will pay? It will be the tenant. The amount that you will claim by abolishing Jagirdari you will not be able to pay from the State. You will tax and therefore one of the essentials of our Land Revenue Bill will be higher and greater taxes on the peasants. By giving them half bread you have daprived them of the full.

I must speak on this clause. Most of the Hon'ble Members have supported and the Hon'ble Member from Nagar gave instances. But of course with me, I take that he gave extreme instances. I do not even say that bricks made by a farmer for his home farm is not a detrimental act. Moreover we have provided that a tenant can only be ejected for the arrears of rent. Here we have provided a general clause. We have not defined as to how and what acts will be detri-mental. For instance our view and approach towards farming in this country is not decided. Today farming has not developed because we are governed only with one fundamental idea and that is the raising of crope. While in the progressive western countries farming is co-ordinated. We have to understand that farming does not mean only the raising of wheat crop or any other allied crops but it has to be co-ordinated. We have to raise live stocks, poultary; we have to plant trees. Without trees one can't live. Our farmers will not be ideal farmers and unless farming is co-ordinated it will not be paying. If we look to the proviso we have made provision for the planting of trees. But here I would make an humble suggestion to the Hon'ble Revenue Minister as to whether he considers raising of poultary and live stock as a detrimental act. Suppose a khatedar tenant keeps poultary. Will he be ejected in the circumstances? Therefore, I would request him that even if he insists on keeping of the provision, then provision should also be made that poultary keeping, raising of live stock, etc. will not be acts on which a tenant should be ejected from his holding.

(११ बज कर २२ मिनट पर श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२६ के सम्बन्ध में विचार करते समय सब से पहले इस बात पर ध्यान दिया जायगा कि इसमें इजेक्टमेंट का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है या जमीन की उपज शक्ति को बढ़ाने का प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर विचार किया जायगा तो मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ का विरोध किया है वे भी इस बात के लिए सहमत हो जायेंगे कि इस प्रकार का क्लॉज़ का इस कानून में रखना बहुत आवश्यक है।

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय उपाध्यक्ष, ज्यादा झगड़ा जिस शब्द को लेकर इस सदन में आया है वह "ओमिशन" शब्द से है। जिन माननीय सदस्य ने इस शब्द को तोड़-मरोड़ कर रखा और इस सम्बन्ध में जिस प्रकार का काश्तकारों का नुकसान होने का भय बताया, वे यदि इस ओमिशन शब्द के बारे में पूर्ण जानकारी रखते तो उनके लिये इस सदन में इस प्रकार की न तो आवश्यकता ही होती और न वे इस बात को कहना ही जरूरी समझते।

एक्ट और ओमीशन जमीन के सम्बन्ध में इस प्रकार के रिलेटिव टर्म्स हैं कि यदि किसी चीज के करने से नुकसान होता है तो कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके न करने से भी नुकसान हो सकता है। न करने का प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो एक जरूरी सवाल हमारे सामने उपस्थित होता है वह यह है कि एक आदमी एक काम करने के लिये बाध्य था और उसने वह काम नहीं किया तो यह ओमिशन हो गया। 'ओमिशन' शब्द की डेफिनेशन इसमें दी है:

"Omission:- Act of omitting" the neglect or failure to do something required'

तो इस तरह ओमिशन से स्पष्ट है कि जो काम जो एक आदमी के लिये करना जिब था, वह जो काम करने के लिये पाबन्द था, उस काम को नहीं करता है तो वह ओमिशन की डेफिनेशन में आता है। एक्ट और ओमिशन जमीन के मामले में इस प्रकार से रिलेटिव टर्म्स हैं कि हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते। एक चीज होती है कि वह काम करना जमीन के उपजाऊपन को, जमीन की पैदावार को बढ़ाने के लिये आवश्यक है तो दूसरी चीज ऐसी है कि उस काम के न करने से जमीन के उपरोक्त गुण में नुकसान होता है, उपजाऊपन कम होता है इस प्रकार का नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार की जो ये दो रिलेटिव टर्म्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा कि यह क्लॉज रखना है कि नहीं?

यों तो बेदखली के नाम से ही कई माननीय सदस्यों को चिढ़ है, हमने इस कानून में इस तरह की क्लाज़ेज़ रखी हैं कि यदि काश्तकार लगान नहीं देता है तो उसे बेदखल कर सकते हैं, और भी कई सूरतें रखी हैं कि किन किन सूरतों में उसे बेदखल किया जा सकता है। कई ऐसे कारण भी हो सकते हैं कि लगान न लेने देने के आधार पर ही नहीं, बल्कि कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनके आधार पर उसे बेदखल करना आवश्यक हो जाता है। इसलिये ऐसी क्लॉज़ इस बिल में रखा गया है। जिस प्रकार कि श्री यादवजी ने ईंटे बताया कि बनाते हैं तो ईंटें बनाने का काम उस जमीन के लिये ज्यादा नुक्सान पहूंचाने वाला काम है। यह तो मैं मानता हूं कि यदि अपने मकान के लिये ईंटें बनाता है तो किसी प्रकार डेटिमेन्टल नहीं। पर मकान और दूसरे कामों के लिये ईंटें बनाने में अन्तर है। मान लीजिये एक जमीन है उसकी उपजाऊ शक्ति आज इतनी कम

[श्री भैरोंसिंह]

है कि उसे नहीं बढ़ाया गया तो जमीन की उपज तो कम होगी ही पर जिसने सब-लेट किया है उसे इससे बड़ा नुक्सान होगा। क्योंकि वह आदमी जिसे कि सब-लेट किया है वह देखेगा कि यदि मैंने तरक्की की तो इससे लैंड होल्डर को फायदा होगा और वह देखेगा कि दूसरी फसल बोने या और तरीकों से उतना मुनाफा नहीं हो सकता जितना कि ईटें बनाने से हो सकता है, तो वह ईटें ही बनायेगा। और इस तरह से वह जमीन बिल्कुल बेकार हो जयगी, उसकी उपजाऊ शक्ति बिल्कुल ही नष्ट हो जायगी।

तो मेरा यह निवेदन है कि इस क्लॉज़ को रखे रहें तो इसका कोई बुरा असर किसी पर नहीं पड़ने वाला है, इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। जिस वक्त यह एक्ट लागू होगा तो जितने सब टिनेन्ट्स हैं वे कम्पेंन्सेशन देकर या और तरीकों से खातेदार टिनेन्ट्स बन जायंगे और खातेदार टिनेन्ट के बेदखल करने का प्रश्न वहीं खत्म हो जाता है। सवाल आता है सब-लेटिंग का। सब-लेटिंग का प्रोविजन इस बिल में रखा है, इसके लिए जो सब-लेटिंग का तरीका हैं, जिस समय के लिए सब लेट की जाय उस अर्से में वह काश्तकार ऐसा काम करे या न करे जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो तो उसे पाबन्द करना जरूरी है। जिस जमीन को सब-लेट करने वाले ने उपजाऊ बनाया है पैदावार के लायक बनाया है वह सबलेट करते समय उस काश्तकार को जिसको कि सबलेट कर रहा है, कहेगा कि दो साल बाद तक जिस प्रकार का प्रोसेस जमीन को उपजाऊ बनाने का जारी किया है, उसे जारी नहीं रखा गया तो जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जायगी। अगर वह आदमी जिसे सिलेक्ट किया जा रहा है उस प्रोसेस को खत्म कर देगा, नहीं करेगा तो उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जायगी। जिस प्रोसेस के जरिये जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, जहां लगान देता है या दूसरी सुविधाएं प्राप्त हैं उस सुविधा के माफिक काम करता है पर जमीन की उपजाऊ शक्ति को कम करने का काम करता है तो ऐसा प्रोविजन होना चाहिये कि ऐसे काश्तकार को बेदखल कर दे या तो खुद काश्त करे या किसी दूसरे को दे दे। एक माननीय सदस्य यहां तक कह गये और आपत्ति उठाई कि अगर कोई व्यक्ति ग्राउन्ड पर पौल्टरी फार्मिंग या बी फार्मिंग का काम करना चाहे तो वह भी उस जमीन में करने दिया जाए और उसका करना भी बहुत जरूरी है। यह काश्तकार का सवाल है।

(घंटी)

काश्त से जो आमदनी हो उसका सवाल है। जो व्यक्ति काश्त उस जमीन पर नहीं करता उस व्यक्ति को वह जमीन नहीं दी जानी चाहिये और उसका उस जमीन पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर वह काश्त करना चाहता है तो उस जमीन को लेने का हकदार है, अगर वह बी फार्मिंग या पोल्टरी फार्मिंग के लिए काश्त की जमीन चाहता है तो उसको नहीं दी जानी चाहिये। इस कार्य के लिए गैर उपजाऊ जमीन भी काम में ली जा सकती है, गैर उपजाऊ जमीन में बी फार्मिंग का काम किया जा सकता है। मगर मैं यह कहूंगा जिस मकसद के लिए काश्त की जमीन है यह मकसद

[श्री भैरों सिंह]

खेती की पैदावार को बढ़ाना है और अगर हमें उस जमीन से पैदावार' नहीं लेनी है तो वह जमीन आपको नहीं मिलेगी। आपको जो फार्मिंग आदि के लिए जमीन चाहिये तो आप ऐसे स्थान पर जावें जहां जमीन गैर उपजाऊ हो। लेकिन जिस जमीन से खेती का काम किया जा सकता है और जो जमीन उपजाऊ है वहां पर इस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता। इसलिये सबसे अच्छा तो यह है कि आप खुद उस जमीन को छोड़कर चले जावें और अगर आप छोड़कर नहीं जाते हैं तो सरकार को चाहिये कि इस प्रकार का कानून होना चाहिये कि उन्हें बेदखल कर दिया जावे।

मुमकिन है कि किसी खेत में एक नाला या नदी आती है और उससे खेत बह कर चला जाता है। अगर वह काश्तकार उसको नहीं रोकता और इससे फसल बरबाद होती है तो इसके लिए तो 'ओमिशन' का शब्द है। मगर वह उसकी हिम्मत का काम नहीं तो वह' उसको नहीं कर सकता है। इस कारण से उसको बेदखल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिये कि आप एक चेप्टर बनाएं और उसके जरिये काश्तकारों को बेदखल कर दें। इसके लिए कोर्ट डिसाइड करेगी। यह प्रश्न वास्तव में डेट्रिमेंटल है। जब कोर्ट को तसल्ली हो जावेगी, उसके बाद में कोर्ट अपना फैसला देगी। आपने इस सम्बन्ध में चेप्टर बना दिया और उस चेप्टर के आधार पर काश्तकार को बेदखल कर दिया जावे, यह तो ठीक नहीं होगा और इस प्रकार का प्रोविजन इस क्लॉज़ में रहना चाहिये। इस आशय को लेकर मैं सदन से निवेदन करता हूं।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२६ के बारे में मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं। सब क्लॉज़ (१) में यह है "A tenant shall, on the suit of the landholder, be liable to ejectment from his holding:" मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि इस क्लॉज़ की इस तरह की भाषा रहने के कारण यह कठिनाई पैदा हुई कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये ये बातें पैदा हो जाती हैं तो खातेदार को भी इजेक्ट कर दिया जावेगा, तो ऐसा तो होना बिल्कुल अनुचित होगा क्योंकि खातेदार को अपनी होल्डिंग मे काफी अधिकार दिया गया है और अगर स्टेट गवर्नमेंट मामूली बात के लिये उसे इजेक्ट कर देती है तो हकदारों के साथ बड़ा अन्याय होगा। इसलिये निवेदन है कि इसके अन्दर यह जोड़ दिया जावे :

"A tenant on the suit of the landholder otherwise than the State Government, be liable to ejectment from his holding." तो यह ज्यादा उचित होगा। इससे खातेदार की रक्षा हो जावेगी और जिस मंशा से यह क्लॉज़ रखा गया है कि होल्डर्स अनुचित काम नहीं करें, नहीं करेंगे और प्रोटेक्शन भी मिल जावेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १२६ टिनेन्सी बिल में इस प्रकार का क्लॉज़ है। उसके द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अगर एक किसान जो जिस जमीन को जोतता है चाहे सब-टिनेन्ट की हैसियत से, चाहे खातेदार की हैसियत से तो उस जमीन को बनाने या उसमें

Page No.82

[श्री नाथूराम मिर्धा]

कुछ ऐसे काम करने के लिये खुदकाश्त करना जरूरी है, अगर नहीं करेगा और कुछ ऐसे काम करेगा जो जमीन की पैदावार को कमी करने में मदद करता है तो उसको उस ग्राउन्ड पर जो लेन्ड होल्डर है, जिसकी वह जमीन है, उसको यह अधिकार होगा कि उस किसान को बेदखल करने के लिये दावा करे। इसके साथ में कुछ बातें ऐसी हैं कि एक टिनेन्सी किसी एग्रीमेंट के बेसिस पर कायम हुई है और इस एग्रीमेन्ट में वह बात है जो कानून के रूप में सही है। अगर उन सारे एग्रीमेन्टों की शर्तों पर जो कानून के नीचे वाजिब है पाबन्द नहीं करे तो उसको कानून से बेदखल किया जा सकता है। इसके साथ साथ कानून में प्रोविजन रखा गया है और उस प्रोवीजन में साफ पाया गया है कि जो इम्प्रूवमेन्ट में आनेवाली बात है वे किसानों को बेदखल करने के ग्राउन्ड नहीं बन सकती और उसके बाद में जो सब-क्लॉज (२) है, "In any suit for: ejectmont under this secticn any person claiming through the tenant may be joined as a party and where the plaintiff's cause of act!on is based wholly or partly cn any act or omission or breach of coudition by a sub lessee or other transferee such sub lessee or other trrnsferee shall be joined as a party" तो इस रूप में किन किन को इन्ट्रेस्ट है उनको जोइन किया जावे यह सब क्लॉज (२) की मंशा है।

इस सदन में मेरे मित्र नीम के थाने से आने वाले सज्जन ने जो बात रखी है उसमें भी उन्होंने सबक्लॉज (३) को हटा कर 'दिस एक्ट' की बात रखी है। इसके रखने से सारी बातें जो उसकी तहत में आती हैं कवर हो जाती हैं। इसलिये जो संशोधन रखा है वह बिलकुल वाजिब है और उचित है। उसके बाद में जो बहस इस वक्त चल रही है वह इस बात पर चल रही है कि इस क्लॉज को इस कानून में रखा जावे या नहीं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने जो बहस की, उसके दौरान में उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि इस क्लॉज के जरिये किसानों को बहुत परेशानी होगी और उनको परेशान किया जा सकता है। लेन्ड होल्डर्स के द्वारा और छोटी छोटी बातों को लेकर क्या एक्ट ऑफ ओमिशन उन्होंने किया है कि जिसकी वजह से वे दावा अदालत में ला सकें और उन्होंने मिसाल दे दे कर इस बात को समझाया है। इसके बाद में उन्होंने कुछ ऐसी एक्ज़ाम्पल भी दीं, कौनसे ऐसे एक्ट हैं जो डेट्रिमेन्टल हो सकते हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में खड़े होकर कई बातें कहीं और उसमें से एक माननीय सदस्य ने एक बात यह कही कि किसी किसान ने एक खेत में कूआ खुदवाना चाहा और वह कूआ बनाने के लिये तैयार है और उसने कूआ खुदवाना शुरू किया मगर बीच में एक चट्टान आ गई और अब उस चट्टान की वजह से कूआ खुदाना उसकी सामर्थ्य के बाहर हो गया कि वह उसको चालू रख सके। या ऐसी सूरत मालूम हुई कि इस जगह पर पानी नहीं निकलने वाला है तो बेरे को खोदने के इरादे से जो खड्डा बनाया हुआ है यह डेट्रिमेन्टल एक्ट की तारीफ में आयगा या नहीं और अदालतों में घसीटने को ले जाया जा सके? माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मैं सदन के सामने यह जाहिर करना चाहता हूँ कि क्या डेट्रिमेंटल एक्ट्स होंगे और क्या एक्ट्स ऑफ ओमिशन्स होंगे, इन

[श्री नाथूराम मिर्धा]

सारी चीजों की एक कॉम्प्रिहेन्सिव लिस्ट बना कर इस दफा में रखना और उनका समावेश करना बड़ी मुश्किल बात नजर आती है। परन्तु हम मानते हैं कि हमें हर अदालत से इन्साफ मिलता है और हम उम्मीद रखते हैं कि हमें कानून के रखने से इन्साफ मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष, जब कानून हम बनाते हैं तो हमें पास्ट के जो एक्सीपीरियेन्सेज़ हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। आज तक यही क्लॉज़ हमारे जयपुर के, बीकानेर के और जोधपुर के टिनेन्सी एक्ट्स में इसी तरह से मौजूद हैं। दूसरे इलाकों में भी इस कानून का क्लॉज़ मौजूद है। जितने पास्ट एक्सीपीरियेन्स हमें वे इलाके बताते हैं, कम से कम मुझे तो आज तक जानकारी नहीं है कि अपील की गई हो। कानून में व्यवस्था रहती है, कोई बद्‌यान्ती से जमीन को बिगाड़ने की दृष्टि से करे तो उसके लिये हमारे कानून में गुंजाइश होनी चाहिए और यहां तक मिसयूज़ करते हुए आज नजर नहीं आया कि कोई लैंड होल्डर बोनाफाइड एक्ट्स को ओमिट कर जाय या जिससे मामूली जमीन का नुकसान हो जाय तो यह नहीं देखा गया है कि कोई बेदखली का दावा अदालत में हुआ हो। अभी तक का माननीय उपाध्यक्ष, जो पास्ट एक्स्पीरियन्स है उससे पता चलता है कि यह क्लॉज़ काम में नहीं लाया गया है, न किसान ने दुरुपयोग किया है और न लेन्ड होल्डर ने किया है। तो पुराना जो हमारा एक्पीरियेन्स है वह इस क्लॉज़ के बारे में ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से कानून में यह क्लॉज़ रखने से किसान को परेशान किया गया हो। न परेशानी हुई है और न लैंड होल्डर ने मिसयूज किया है और ऐसी सूरत में इस क्लॉज़ को कानून के रूप में रखें तो कोई खराबी की बात नजर नहीं आती है। बल्कि ऐसी बातें जरूरी हैं कि जान-बूझ करके कोई जमीन है, कोई व्यक्ति जिस काम के लिए जमीन लेता है लीज की बेसिस पर या वह जमीन खातेदार की है और खातेदार कभी अपनी जमीन को बिगाड़ने के लिए नहीं देगा लेकिन जमीन लेने का जो उसका काम है काश्त करने के काम में उपयोग करने का किन्तु उस जमीन को दूसरे काम में लाये जिससे कि उसका उपयोग खेती से हट जाय हालांकि न तो मेरी आशंका है और न मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई ऐसा करेगा परन्तु फिर भी कोई सब टिनेन्ट या और कोई किस्म का टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त अगर इस जमीन को लेकर उसमें ऐसी कार्यवाही करे या ऐसा काम करे जिससे उस जमीन का नाश हो, वह खेती के लायक पर्टीकुलर हिस्सा जमीन का न रहे, साख को सुधारने के लिए खेती के काम जो पर्टीकुलर मौके पर करना चाहिये न करे, तो ऐसी सूरत में लैंड होल्डर के सामने रेमेडी रहनी चाहिये अदालत के सामने जाकर कहे कि इस जमीन को इस काम के लिये लिया था। मिसाल के तौर पर जमीन काश्त के लिए ली और काश्त का काम न करके उसमें फैक्टरी लगाने लगे तो यह डेट्रीमेन्टल एक्ट होता है। जमीन काश्त के लिए पर्टीकुलर पीरियड के लिये लीज पर देता है और लेने वाला उसमें फैक्टरी चाहे वह छोटी-मोटी हो कायम करने लगता है तो जिस मकसद से जिस एग्रीमेन्ट की तहत वह जमीन ली वह उस मुआयदे के खिलाफ है तो इस तरह का इजेक्टमेंट का दावा इस प्रोवीजन के जरिये ला सकता है। तो इस कानून का महत्त्व तो है। कहीं पर इलाज न मिलता हो, उस क्लॉज़ को बिल्कुल इस क्लॉज़ से हटा दें तो उसका इलाज नहीं रहता है। तो जमीन ली है, हो सकता है ऐसी सूरत में जो आशंकायें, जो डर है हमारे बोनाफाइडीज़ में कि किसान पर ज्यादती करने के लिए इसका दुरुपयोग होगा, तो मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये से

[श्री नाथूराम मिर्धा]

मेरे जो विचार हैं वे सदन के सामने रखना चाहता हूं। न तो अदालत जिसके सामने ऐसे मामले जावेंगे वह रियलिटीज़ की तरफ से आंखे बन्द नहीं करेंगी किन्तु किसान की बोनाफाइडी समझते हुए और लेन्ड होल्डर की ज्यादती को समझते हुए इस क्लॉज़ का उपयोग करके झगड़े को तो निपटा सकती है। लेकिन इलाज ही नहीं रखते हैं और मिसयूज होने का सवाल हो लेजिस्लेशन बनाते वक्त सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों की जो ड्यूटी है उसको पूरा नहीं करते हैं। इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में सारे आज तक का पास्ट एक्सपीरियन्स रहा है उसको देखते हुए इस प्रोविजन की वजह से जो आशंकायें प्रकट की जा रही हैं इससे इस तरह का दुरुपयोग होगा, इसलिये इस क्लॉज़ को इस कानून की धाराओं से हटा दिया जाना चाहिए, नहीं तो किसानों को कठिनाइयां होंगी, लिटिगेशन होगा, व्यर्थ का पैसा खर्च होगा। किन्तु मेरी ऐसी धारणा है कि ये आशंकायें साफ नहीं मालूम होती हैं और यदि मिसाल के तौर पर सौ में से कोई एक जगह भी ऐसा होने की पोसिबिलिटी हो तो इस क्लॉज़ को कानून में न रखना उचित नहीं होगा। यह क्लॉज़ पास्ट एक्पीरियेन्सेज़ को ध्यान में रखते हुए और दूसरे कानूनों के क्लॉज़ेज़ जो कि हमारे इलाके के लिए रहा है उनको भी देखते हुए चूंकि हर एक टिनेन्सी एक्ट में ऐसी क्लॉज़ रही है कि जमीन को खुदकाश्त के लिए रखे और उसका उपयोग दूसरे तरीकों से करने लगे और उसके लिए हमारे पास कोई रेमेडी न रहे, इलाज न कर सकें तो इस प्रकार की क्लॉज़ को न रख कर हम उचित नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत में जिस रूप में यह क्लॉज़ आया है और जो छोटा सा संशोधन नीम के थाने से आये हुए माननीय सदस्य ने रखा है उसको मानते हुए इस क्लॉज़ को माना जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपध्यक्षजी, क्लॉज़ १२६ के सिलसिले में कुछ मित्रों ने अपने विचार प्रकट किये हैं कि यह बेकार है और इसको रखना हितकर नहीं है। इससे किसानों के साथ कुछ ज्यादती हो जायगी। तो इस सम्बन्ध में तो माननीय मिर्धाजी ने, माननीय यादवजी ने और माननीय मित्रों ने काफी जबाब दे दिया है और उदाहरण तक रखे गये है कि इसको रखना जरूरी है। उनको दोहराने से कोई लाभ नहीं है।

इसमें एक अहम खामी है और जैसा कि हम पुराने अनुभव के रूप में जानते हैं कि ऐरियर्स ऑफ रेन्ट के सम्बन्ध में नोटिस देकर इजेक्ट किया जाता है। इस सिलसिले में लेन्ड होल्डर का दावा दायर होगा, उसकी नकल ऑपोजिट पार्टी के पास भेजी जावेगी, वह जबाब-दावा पेश करेगा और तनकियात कायम होगी, फिर फाइनली कोर्ट एडज्युडिकेट करेगी कि यह ब्रीच ऑफ कन्डीशन है या नहीं, या इजेक्ट किया जा सकता है या नहीं?

जहां तक प्राइवेट लेन्ड होल्डर्स का ताल्लुक है उनके सिलसिले में यह माना जा सकता है, उसके बारे में सट फाइल करे और कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाय। इससे

[श्री श्रीदास गोयल]

ज्यादा अच्छा यह होता कि स्यूट फाइल करने की नौबत या नोटिस देने का तरीका जो हमने एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिये रखा है वही यही रखते हैं तो "It should be tried like a civil suit."

प्राइवेट लेन्ड होल्डर्स के मामले, जिसके लिये अव्यवस्था है, ऐसी हालत में मैं अर्ज करूं कि एक तो "land privately held from the State" की यही मन्शा है, जो मेरे माननीय मित्र भूल गये। जहां तक प्राइवेट लेन्ड होल्डिंग है जो गवर्नमेंट की नहीं उनको नोटिस तहसीलदार द्वारा देने के बाद, कॉन्टेस्ट करने के बाद सूट तय हो तो यह क्लॉज ज्यादा ठीक हो जाता, लेकिन इसमें लेन्ड होल्डर गवर्नमेंट भी आ जाती है। क्या गवर्नमेन्ट्स के मामलात में भी इस प्रकार सूट्स दायर होकर डेन्ट्रीमेन्टल ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स के सिलसिले में निर्णय लिया जायगा? अगर निर्णय लिया जाता है तो वास्तव में गवर्नमेंट का कदम लोगों को राहत पहुँचाने का, कोलोनाइज़ेशन करने का या दूसरे तरीकों से काश्तकारों को कन्सेशन देकर सही मायने में काश्तकार बनाने का जो उद्देश्य है वह नष्ट हो जायगा, इससे बहुत से आदमी नाजायज फायदा उठा लेंगे इसलिये मैं इस प्रोविजन में एक सुझाव देता हूँ। इसका जो फर्स्ट प्रोविज़ो है उसके बाद एक सेकन्ड प्रोविज़ो एड होना चाहिये, स्टेट गवर्नमेन्ट को यह अधिकार होना चाहिये। अगर कोई व्यक्ति सरकारी लेन्ड लेता है और वह लेन्ड डेट्रीमेन्टल ब्रीच ऑफ कनवेन्शन की जाती है और वह अपने एग्रीमेन्ट के विपरीत कार्यवाही करके लेन्ड से फायदा करता है तो तहसीलदार को यह अधिकार होने चाहिये कि वह ऐसे मामले में नोटिस दे सके। अगर नोटिस पर काश्तकार कॉन्टेस्ट करता है तो फिर तहसीलदार उसको असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास फॉर्वर्ड कर दे to try like a civil suit, इसमें कोई कठिनाई नहीं रहेगी, एज ए सूट जिस प्रकार बर्डन ऑफ प्रूफ क्लॉज़ १०२, १०३ और १०४ में, जिस प्रकार नोटिस दिया जाता है उसमें प्लेन्टिफ ओटोमेटिकली सरकार होगी। बरडन ऑफ प्रूफ सरकार पर रहेगा। इससे यह होगा कि टीनेन्ट्स को अपनी ओर से सावधानी बरतने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे पहले तहसीलदार द्वारा नोटिस मिल जाता है तो वह एक प्रकार का वारन्ट होगा और वह अपने तमाम एक्शन्स को देख लेगा। इसके साथ साथ एक दूसरी बात और है। स्टेट के द्वारा सारा का सारा सूट दायर हो जाता है, अगर बिला नोटिस दिये जाय तो उसके सामने सरप्राइजिंग परिस्थिति टीनेन्ट के सामने आती है। मेरा यह एक सुझाव था कि जिस प्रकार एरियर ऑफ रेन्ट के इजेक्टमेन्ट के सिलसिले में या सबलेटिंग के सिलसिले में प्रोविजन रखा है। अभी हम क्लॉज़ १२९ (?) कन्सीडर नहीं कर रहे हैं, कन्सीडर करेंगे उसमें भी इस प्रकार के सुझाव आ सकते हैं। इसलिये मेरा अमेन्टमेन्ट यह है कि इस फर्स्ट प्रोविज़ो के बाद सेकन्ड प्रोविज़ो और एड कर दिया जावे :

"Provided further that in case land is held directly from the State Government, a notice shall be issued by the Tehsildar under this section and if the tenant contests the notice the Tehsildar shall forward the case to the Assistant Collector who shall try in accordance with the procedure laid down for the trial of suits."

[श्री श्रीदास गोयल]

यह एक मेरा दूसरा अमेंडमेंट है इन लेन्ड्स के सिलसिले में। इसके लिए मैं एक उदाहरण देकर ज्यादा स्पष्ट कर दूं। मान लीजिये सरकार द्वारा ५०० बीघा जमीन १० फेमिलीज़ को कोलोनाइज़ करने के लिए दी गई। उस जमीन पर वे लोग काश्त करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उस जमीन पर वे दस साल तक काश्त करते है। जिस तरह से खातेदार टिनेन्ट को सबलेटिंग के अधिकार दिये, सरकार ने तो उनको जमीन मुफ्त में दे दी, कोलोनाइज़ेशन के लिए। वे महाशय उस जमीन पर नहीं जाते और उसको कोलोनाइज़ नहीं करते।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ऑफ आॅर्डर सर, कोलोनाइजेशन बिल तो अलग से आ रहा है। उसकी तहत वह अलग से प्रोविजन होगा। इसमें इसका समावेश कैसे कर रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल (जारी) – किसी शख्स को जो मुबनी नहीं है ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स के तौर पर आता है तो क्लॉज़ १२९ की अवहेलना होती है। इस सम्बन्ध में टीनेन्सी लॉ है, वह सुप्रीम है।

जो जमीन इस प्रकार की किसी शख्स को दी जाती है, जैसा कि माथुर साहब ने कहा कि आपको एक शहर के पास चार-पांच बीघा जमीन है वह इसलिए दी जाती है, आप उसमें शाक सब्जी बोए किन्तु आप उसमें शाक सब्जी न बोकर उसमें फेक्टरी लगा लेते हैं या और किसी पर्पज़ के लिए उसको इस्तेमाल में लाते है; यह तो आपने ब्रीच ऑफ कन्डीशन की है, आपने कॉन्ट्राक्ट की खिलाफ वर्जी की है। स्टेट के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि उससे कहेंगे आप कि इस जमीन से बराये महरबानी तशरीफ ले जाइये। ऐसे सज्जनों को अगर एक स्टेट द्वारा इतने कॉम्प्लीकेशन के रास्ते से प्रोसीजर अख्त्यार किया गया तो तमाम प्रोग्रेस में रुकावट पैदा हो जायगी। तहसीलदार द्वारा नोटिस देने के बाद वह मामला नाजिम के पास जाय। इसलिए यह मेरा एमेंडमेंट है वह साफ है। इस अमेंडमेंट द्वारा तहसीलदार को जिस प्रकार इजेक्टमेंट के सिलसिले में नोटिस देने की आवश्यकता रखी गई है कोई वजह नहीं कि यहां पर भी ऐसा प्रोवीजन न रखा जाय। इस प्रकार का प्रोविजो पुराने जयपुर स्टेट के टिनेन्सी कानून में था, जिसको बहुत सही और व्यवहारिक ढंग को अपनाते हुए लिया गया था। उस एक्ट की दफा ८२ बिल्कुल इसी प्रकार की है। क्लॉज़ १२९ मौजूदा टीनेन्सी बिल का है, वह उस एक्ट की दफा ८५ में बहुत साफ है :

"If on service of notice by the Tehsildar under sections 83 and 84a.A tenant contests the notice, the Tehsildar shall forward the case to the Nazim and he shall try it like a suit."

तो इस हालत में यह प्रोवीजन बहुत व्यवहारिक है। मेरा जो अमेंडमेंट है उस पर माननीय मन्त्री पुनर्विचार करके इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्षजी, एक अमेंडमेंट अभी जो श्री श्रीदास गोयल ने रखा है मेरा भी एक अमेंडमेंट वैसा हो है, जिसे मैं पेश करना चाहता हूं।

श्री जवानसिंह—एक दफा बोलने के बाद फिर ...।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बारह बजे बाद भी हाउस की कार्यवाही चालू रहेगी क्या; इस पर कोई कानून नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि अब समय हो चुका है इसलिए आज की बैठक समाप्त की जाती है कल सुबह फिर आठ बजे सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २१ सितम्बर, १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१. (४८१ । सी. एम.) श्री मोतीलाल चौधरी, एम. एल. ए., विभाजन संख्या (१०६)—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला नागोर में सन् १९५१-५२, ५२-५३ व ५३-५४ में कितनी डकेतियां हुई, और उनमें से कितनी डकेतियों का माल बरामद हुआ था, डाकू पकड़े गये तहसीलवार बतलाने की कृपा करें ?

(ख) तहसील परवबसर के थाना परवतसर पर और गच्छीपुरा में सन् १९५१-५२, ५२-५३-व ५३-५४ में डकेतियां और चोरियां हुई और उसमें से कितनी बरामद हुई। इस दरमियान में थाना परवतसर और गच्छीपुरा में एम. आई. कौन २ रहे हैं ?

(ग) बड़ी खेाटु, डालुरिया, वेसरोली और ललाने में डकेतियां किस २ तारीख को हुई है और उसकी कारवाई क्या चालू है ? क्या यह सच है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही यह डकेतियां हुई है और अब भी कार्रवाई ठीक चालू नहीं हैं, इससे थाना गच्छिपुरा में जनता में पुलिस के प्रति कोई विश्वास नहीं हैं ?

उत्तर

(क) जिला नागोर की पाचों तहसीलों में १९५१ से ५४ तक हुए डाके दर्ज हैं। इसके निरीक्षण द्वारा ज्ञात होगा कि १९५१ में सात मुकदमों में से दो में माल बरामद हुआ और तीन मुकदमें गलत साबित हुए। तीन मुकदमों में अपराधी पकड़े गये। १९५२ में दर्ज हुए १३ मुकदमों में एक गलत साबित हुआ और बाकी बारह मुकदमों में से दो में माल बरामद हुआ और चार में अपराधी पकड़े गये। यह जानने योग्य है कि एक मुकदमें में माल व अपराधी दोनों ही बरामद हो सके।

चालू वर्ष मे दो मुकदमें दर्ज हुए और एक में माल बरामद हुआ।

(ख) परवतसर में परबतसर व गच्छीपुरा नाम के कोई थाने नहीं हैं फिर भी गच्छीपुरा और परवतसर नामक थानों की खबरें नक्शे बी० द्वारा दी जा रही हैं।

डाके—१६५१ में किसी भी थाने में कोई डाका नहीं पड़ा। थाना परवतसर में १६५२ में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसका पता लगा लिया गया। १६५३ में भी एक ही मुकदमा हुआ जिसका पता लगा लिया गया। १६५४ में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

थाना गच्छीपुरा में केवल १६५४ में एक डाका पड़ा और इसका पता लगा लिया गया।

नकबजनी—इसमें थाना परवतसर में १९५१ से १६५४ तक ७० मुकदमें दर्ज हुये जिसमें से १५ मुकदमों में माल बरामद हुआ और १५ मुकदमों में अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये।

पुलिस स्टेशन गच्छीपुरा में नकबजनी के ३६ मुकदमें हुये जिनमें से ४ मुकदमों में माल बरामद हुआ और ८ में अपराधी पकड़े गये।

पशुओं की चोरी—पुलिस स्टेशन परवतसर में १६५१ से १६५४ तक ३६ मुकदमें दर्ज किये गये जिनमें से १४ में माल बरामद हो सका और १५ में अपराधी पकड़े गये।

गच्छीपुरा पुलिस स्टेशन में १७ मुकदमें दायर हुये जिनमें से ५ में अपराधी पकड़े गये और ५ में माल बरामद हुआ।

साधारण चोरियां—थाना परवतसर में १६५१ से '५४ तक ५३ मुकदमें दर्ज हुये जिनमें से ६ में माल बरामद हुआ और १२ में अपराधी पकड़े गये। छोटी-मोटी चोरी के मुकदमों में न पहचानी जाने योग्य वस्तुओं जैसे अनाज आदि की चोरी भी आती है, जिन्हें, पुलिस दफा १५७ बी० के अनुसार तफतीश करने से इन्कार करती है।

गच्छीपुरा में १४ मुकदमें दर्ज हुए जिनमें दो में अपराधी पकड़े गये।

इस नक्शे द्वारा ज्ञात होगा कि अपराधियों की संख्या पिछले दो वर्षों की संख्या से कम है और स्थिति काबू में है।

नक्शा (स) द्वारा सन् १६५२ से १६५४ तक नियुक्त थानेदारान के नाम ज्ञात हो सकेंगे।

सम्मिलित नक्शे (डी) द्वारा पूरा विवरण ज्ञात हो सकेगा। नक्शे (डी०) में दिये गये मुकदमों में दो डाके हैं और दो लूटमार के मुकद्मे हैं, इनमें से बासरोली डकेती का पता लगा लिया गया है।

Page No.90

और सात में चार अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये हैं। बाकी तीन अभीतक फरार है जिनकी गिरफ्तारी के लिये कठिन प्रयास किया जा रहा है। यह कहना गलत है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ये जघन्य अपराध हो रहे हैं। जिला नागौर की पुलिस बिल्कुल दक्ष है और वहां प अपराध करने वाले दलों की समाप्ति के लिये प्रयास जारी है।

Statement-A

STATEMENT OF DACOITIES DISTT. NAGAUR FOR THE YEAR 1951-52-53 & 1954.

	YEAR											
	1951			1952			1953			1954		
	No. of reported	No. in which property recovered.	No. in which accused arrested	No. of reported	No. in which prop. recovd.	No. in which accused arrested	No. of reported	No. in which prop. recovd.	No. in which accused arrested	No. of reported	No. in which prop. recovd.	No in which accused arrested.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nagaur.	1	—	—	3 (1 Untraced.)	1	1	2	1	2	...	—	—
Merta.	3	1	2	7 (5 false)	—	2	1	1	1	—	—	—
Didwana.	2	2 proved false.	—	...	...	...	...	...	...	1 untraced.	...	...
Parbatsar.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Nawa.	3	one false, 1 not proved and 1 not traced.	...	2 2 (False)			...	...	...	...	...	...
Total	10	3 false 2 untraced.	3	13 (7 false) (1untraced)	2	4	4	3	4	2 (1 Untraced)	1	1

Statement—B.

Dacoities at P. S. Parbatsar and Gahhipura

	YEAR											
	1951			1952			1953			1954		
	No. of reported	No. in which property recovered.	No. in which accused arrested	No. of reported	No. in which prop. recovd.	No. in which accused arrested	No. of reported	No. in which prop. recovd.	No. in which accused arrested	No. of reportd	No. in which prop. recovd.	No in which accused arrested.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DACOITY												
Parbatsar.	...	...	...	1	1	1	1	1	1	...	...	...
Gachhipura.	...	...	...	...	...	...	...	—	...	1	1	1
BURGLARIES.												
Parbatsar.	24	4	4	18	5	5	20	4	4	8	2	2
Gachhipura.	16	1	4	10	2	—	8	1	2	2	—	...
CATTLE-THEFT												
Parbatsar.	6	...	1	17	7	7	8	5	5	5	2	2
Gachhipura.	7	1	1	6	3	3	5	1	1	...	...	...
ORDINARY-THEFT												
Parbatsar.	12	1	1	15	2	4	21	2	6	5	1	1
Gachhipura.	4	...	1	6	...	1	4	...	...	...	...	...

STATEMENT-C.

Name of P. S.	Year 1951	1952	1953	1954
Paebatsar.	Shivraj.	Jainarain.	Jainarain / Harnarain D/ 13-2-53	Harnarain.
Gachhipura.	Shankerlal	Allauddin.	Harnarain / Jainarain D/ 8-2-53.	Jainarain.

Note: S. I. Shri Jainarain P. S. Gachhipura has been tranferred.

STATEMENT—D.

DABARIYA ROBBERY CASE.

FIR No.I dated 5-2-54 u/s 302/392 I P C. P S. Gachhipura.

The foot prints of the accused were followed immediatily for 60 miles but the tracks had to be given up as they were lost on the hand soil of Kuchaman. Subsequent raids were organised at various places in distt. Sikar and Churu by S. P. Nagaur but the accused were not found. All possible efforts were made to work out the case and are being still continued.

Resroli. FIR No. 6 dated 11-3--54 u/s 395/397 I P C P S Gachhipura

Out of 7 accused 3 have so for been arrested namely 1 Bheiudana Bharudan 2. Kania and 3. Bhawonidan in raids organised by then S. P. Nagaur and Bikaner distts. The remaining 3 accoused are Akhey Singh of Sundariawas. Madan Singh of Harnawa, Shetan singh and Anti decoity operations are being carried out for the liquidation of these dacoits. They were perused immediately.

LALANA. FIR No. 8, dt. 28-5-54 u/s 397-302 IPC PS Gachhipur

The foot prints were followed promptly for over 115 miles by S. P, Nagaur and party and dacoits Akhey Singh and Madan Singh were engaged in an encounter

of the pursuit patty near Villeage Moon-ka-Bas P. S. Phulera, but unfortunater the dacoits escaped under the cover of derlkness.

It is not correct that these crimes were comlted due to any sleckness on the part of the police. Even now raids are being carrled out by not only the S.P. but C. Is. and S. H. cs. for the liquidation of the gangs-

KHATU. FIR No. 2 dated 7-1-54 u/s 395 I P C P S Khatu

The foot prints of the decoits were followed immediately by S. P, Dy. S P and party upto the hills of Lohagarh in distt. Jhunjhunu were the tracks of accused lost. All efforts were made to work out this case.